खण्ड-274, अंक-3
सोमवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1889
(17 जुलाई, 1967 ई0)

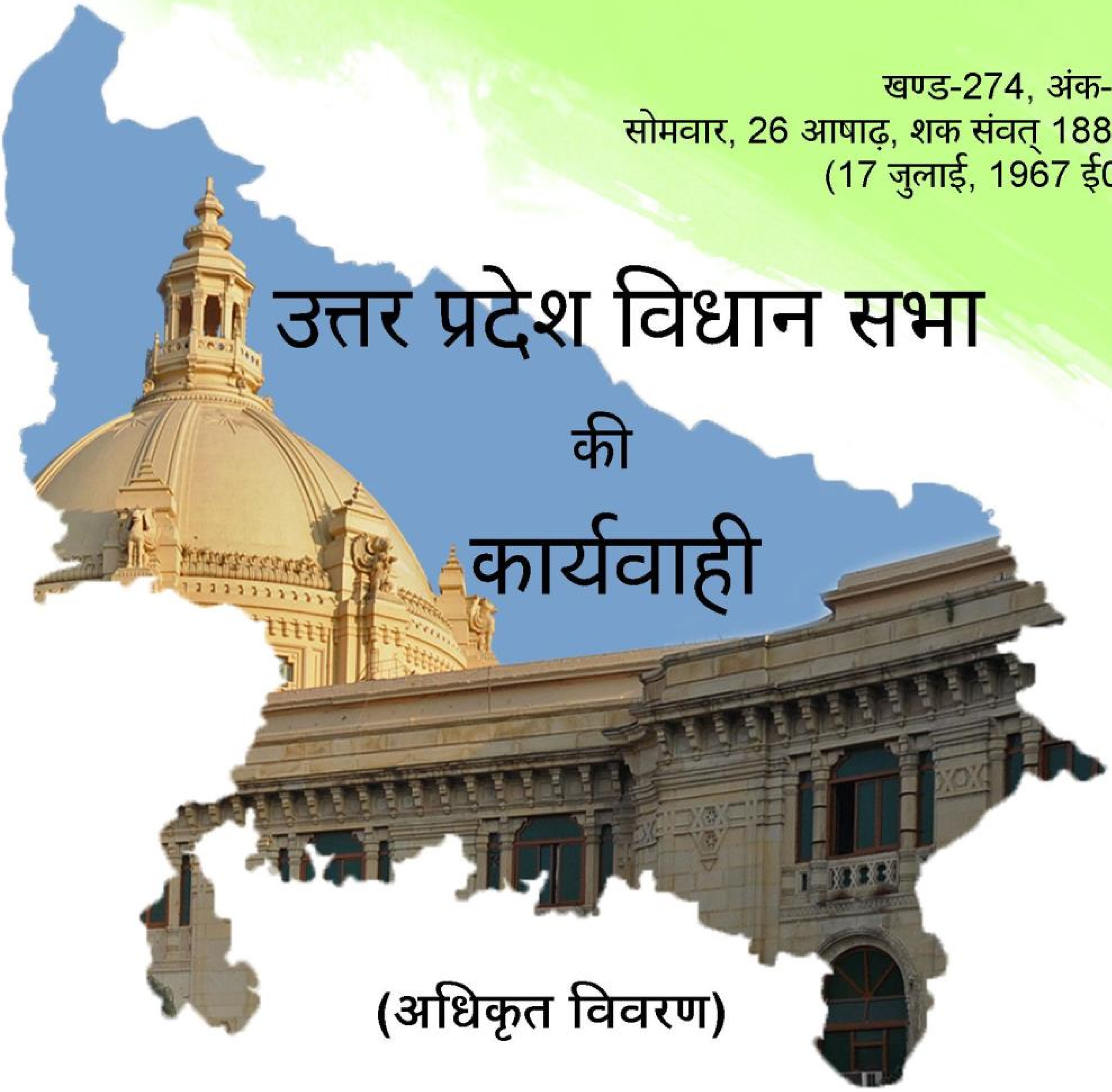

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार १७ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७७

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री

गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल रामदास, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंड राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवन्द्र सिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री

प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग अली ब्रह्मचारी, श्री
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भीखालाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मंसादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मारकण्डे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)

राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेन्गर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—उप मुख्य मंत्री श्री रामप्रकाश तथा उद्योग मंत्री श्री प्रभूनारायणसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्न के कार्यसूची में न आने पर आपत्ति

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, मेरा एक सवाल १० तारीख के एजेंडे में २६ नम्बर पर है उसमें लिखा है कि पांचवें सोमवार के लिये यानी १७-७-६७ के लिये स्थगित, लेकिन आज मैंने देखा है कि एजेंडे में वह प्रश्न नहीं है, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

आज के प्रश्नों के बारे में आप कह रहे हैं?

श्री गुप्तारसिंह—

आज के लिये, वह प्रश्न स्थगित था लेकिन आज के एजेंडे में वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जानकारी की, तो मालूम हुआ कि उसके छपने में कहीं गलती हो गई थी। वह आज के लिये नहीं बल्कि अगले दिन के लिये है।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ जुलाई, १९६७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा में छुरा मारने की घटनायें

**१—श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक ५ जुलाई, सन् १९६७ को दोपहर के लगभग आगरा नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र पथवारी के चौराहे पर एक युवक को छुरा मार कर हत्या कर दी गई जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बाजार बन्द हो गया ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह तो सही है कि दिनांक ५-७-६७ को मोहल्ला पथवारी में दिन के पौने १२ बजे के लगभग एक व्यक्ति पर चाकू से आक्रमण किया गया जिसके फलस्वरूप बाद में अस्पताल पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई पर इस घटना से इलाके में सनसनी फैलने अथवा बाजार बन्द होने की बात सही नहीं है। इस सम्बन्ध में धारा १४८/३०२ भा० दं० वि० का अभियोग अंकित किया गया है और विवेचना की जा रही है।

**२—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आगरा नगर में दिन-दहाड़े छुरा मारने की पिछले दो माह में यह चौथी घटना है ? यदि हां, तो पिछली तीन घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। गत तीन घटनाओं से सम्बन्धित अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कोई नामजद रिपोर्ट हुई है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, नामजद रिपोर्ट हुई है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है ?

श्री चरणसिंह—

जब से रिपोर्ट चली है तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस बीच में कोई हो गई हो तो पता नहीं है।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो और कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह—

दफा ८७-८८ की कार्यवाही हो रही है और अगर किसी और कार्यवाही की जरूरत होगी तो जरूर की जायेगी।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या मंत्री जी आगरे में इन बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुये मोबाइल वान का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अभी इसकी वजह से तो विचार करने का प्रश्न सामने नहीं है क्योंकि केवल चार घटनायें हुईं और पिछले वर्ष की घटनाओं के देखने से इस प्रकार की घटनाओं में इजाफा नहीं हुआ है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि आगरा में कोई मोबाइल स्कवैड है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। जब स्थानीय माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं समझता हूं कि नहीं है।

श्री अश्वनी कुमार—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब कि छुरे मारने की घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार शस्त्रास्त्रों पर लाइसेंस लगाने की सोच रही है ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आगरे में इन घटनाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कानपुर में बढ़ रही है और कानपुर के सिलसिले में गवर्नमेंट इस प्रश्न पर विचार करने जा रही है कि वहां चाकू पर प्रतिबन्ध लगाया जाय या न लगाया जाय।

कामिसपुर थाने में श्री मथुरा तथा श्री राजा बाबू सिंह का कत्ल

**३—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि दिनांक २ जून, १९६७ को थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में ५ बजे प्रातः श्री मथुरा तथा श्री राजा बाबू सिंह की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। श्री मथुरा और श्री राजा बाबूसिंह का कत्ल हुआ है, श्री मथुरा का कत्ल २–६–६७ ई० को साढ़े पांच बजे सुबह व श्री राजा बाबू सिंह का कत्ल दिनांक ७–८–१९६७ ई० की आधी रात में थाना कासिमपुर क्षेत्र में हुआ है। मुकदमें अलग-अलग थाना कासिमपुर पर कायम हुये और उनकी विवेचना की गई। तत्पश्चात्, चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जो उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि मथुरा और राजा बाबू का मर्डर २–६–६७ और ७–६–६७ को किया गया है, उनमें सिर्फ चार्जशीट भेजी गई है या गिरफ्तारियां की गयी हैं ?

श्री चरणसिंह—

चार्जशीट दोनों में भेज दी गयी। पहले कत्ल में गिरफ्तारी नहीं हुई। दफा ८७–८८ की कार्यवाही हो रही है। दूसरे में मुलजिम अदालत में हाजिर हो चुके हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों कत्लों के सिलसिले में अभियुक्तों की नामजदगी की रिपोर्टें हैं ?

श्री चरणसिंह—

पहले कत्ल में चार आदमियों की बाबत कहा जाता है कि कत्ल किया । तीन के नाम दिये हुये हैं । चौथे को, मकतूल के भाई ने जो रिपोर्ट लिखायी है, नहीं जानता था । दूसरे कत्ल में भी नामजद रिपोर्टें हैं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इसमें जो नामजद रिपोर्टें तीन आदमियों की लिखायी गयी है वह तीन आदमी हिस्ट्रीशीटर हैं और बुरे आदमी हैं, परन्तु पुलिस उन्हें पकड़ने के लिये नहीं जाती, क्या इस बात की शिकायत मकतूल के घर वालों ने आपको भेजी है ?

श्री चरणसिंह—

मुझ को नहीं मालूम है कि वह हिस्ट्रीशीटर हैं और बुरे आदमी हैं न मुझे याद है कि कोई रिपोर्ट या शिकायती-पत्र आया । मुमकिन है कि आया हो लेकिन मुझे इस समय याद नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस बात को देखते हुये कि महीने भर का समय हो रहा है कोई मुलजिम पकड़ा नहीं जा सका है, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई विशेष व्यवस्था करेंगे जैसे मामला सी० आई० डी० को सुपुर्द करना या कोई दूसरी कार्यवाही करना, क्योंकि दफा ८८ की कार्यवाही कारामद नहीं हुई है ?

श्री चरणसिंह—

इसमें पकड़ने के लिये सी० आई० डी० की कार्यवाही की जरूरत नहीं है । सी० आई० डी० की कार्यवाही की जरूरत होती है जब कि जुर्म करने वालों का पता न हो । जुर्म करने वाले नामजद हैं इस लिये सी० आई० डी० की कार्यवाही की जरूरत नहीं है । जहां तक पकड़ने के लिये कार्यवाही का सम्बन्ध है, अभी मैं समझता हूं कि कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पकड़ने के सम्बन्ध में ढ़िलाई बताई जाती है यह इसी मामले में नहीं है और बहुत से मामलों का उन्हें ज्ञान है कि अपराधी का पुलिस को पता चल जाता है लेकिन पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है ? मैं इसी सन्दर्भ में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई शिकायत है या नहीं ? यदि है तो क्या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ? बावजूद इसके कि तथाकथित हत्यारे वहां मौजूद हैं और उनके मौजूद होते हुये भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता ?

श्री अध्यक्ष—

मौजूद हैं—यह बात कहां से आई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अभी माननीय सदस्य रिजवी साहब ने कहा है ।

श्री चरणसिंह—

अगर मेरे माननीय मित्र जी को कोई वाकयात इसके बारे में मालूम हों तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वह मुझे वह बतला दें । इस तरह से सुनकर कहना मैं नहीं समझता हूं कि कहां तक ठीक है। आपको यह ठीक पता नहीं है कि शिकायत आई है, या नहीं या किस तारीख को आई है।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह के सवालात से पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में डिमारिलाइजेशन तो नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मेरे देखने की बात है, मुख्य मंत्री के देखने की बात नहीं है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मैं मुख्य मंत्री जी को निश्चित सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि मुख्य मंत्री ने कहा कि निश्चित सूचना नहीं है, कि राम दयाल, जो इस इलाके का बहुत मशहूर डाकू है और कई डकैतियों में भागा हुआ डाकू है और कानपुर की पुलिस ने उस के पकड़ने पर इनाम घोषित कर रखा है, को इस थाने की पुलिस शरण दे रही है ?

श्री चरणसिंह—

वह हिस्ट्रीशीटर है या पुराना मर्डरर है इसके बारे में मुझे नहीं मालूम । पुलिस ने ८७-८८ की कार्यवाही उसके खिलाफ की है, यदि इसमें कोई कामयाबी पुलिस को नहीं हुई तो आगे क्या कार्यवाही की जाय, इस पर विचार किया जायगा ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या यह सही है कि आपको इस बात की दरख्वास्त आई है कि जीतबहादुर सिंह और सावनसिंह जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध जमींदार हैं वे इस प्रकार से पोलिटिकल मर्डर करते हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही कराई है ?

श्री चरणसिंह—

इसका जवाब मैं दे चुका हूं । मुझे उनके बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं है । कानपुर की पुलिस द्वारा उन पर कोई इनाम है यह भी मेरे लिये सम्भव नहीं है कि मैं सारे प्रदेश की पुलिस के इनाम की सूचना दे सकूं ।

कानपुर में 'जागरण कार्यालय' का घेराव

**४—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक १० जुलाई, १९६७ को कानपुर में कुछ हाकरों ने दैनिक जागरण कार्यालय व विक्रय केन्द्रों का घेराव किया, वहां से तथा पत्र वितरक मोटर को रोक कर उससे समाचार-पत्रों के बण्डल लूट लिये तथा मोटर पर पथराव भी किया और जागरण के कार्यालय के कर्मचारियों को मारा-पीटा जिससे जनता में बड़ा भय, क्षोभ तथा आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो पुलिस ने इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

इस संबंध में पुलिस को मिली सूचना तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. २३९ पर ।)

श्री श्रीराम तिवारी—

जब हाकरों ने "जागरण" को ४ बजे प्रातः लूटा और ५ बजे सहायक मैनेजर की गाड़ी को लूटा और यह घटना लूटने की थी, तो रिपोर्ट ३७९ में क्यों दर्ज की गई, ३९५ में क्यों नहीं दर्ज की गयी ? क्या इस प्रकार की कार्यवाहियों से वहां शान्ति भंग होने की आशंका नहीं है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

(श्री चरण सिंह के खड़े होने पर) श्रीमन्, मैं सहयोग चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

पहले उत्तर हो जाय, फिर मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री चरणसिंह—

रिपोर्ट यह लिखाई गयी कि गाड़ी को प्रेस के पास रोका गया और हाकरों ने घेराव कर लिया । बाद में बात गलत साबित हुई और यह मालूम हुआ कि गाड़ी जब अखबारों को लेकर कुछ दूर जा चुकी थी सर्वोदय मुहल्ले में स्वराज्य आश्रम के पास पहुंची थी तो हाकर लोग उसमें से अखबारों के बंडल उठाकर ले गये । इन हाकरों में और मैनेजर में कमीशन की बाबत झगड़ा चल रहा है । तो जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी वह बिलकुल सही नहीं थी, कुछ हद तक सही थी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी माननीय मुख्य मंत्री जी का सहयोग गालिबन इसलिये चाह रहे थे कि यह जो प्रश्न का उत्तर है उसमें आपने कहा कि विवरण संलग्न है, तो वह सूची चाहते थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रथा यह रहनी चाहिये कि अगर कोई तालिका या सूची लम्बी हो तब तो इस तरह का उत्तर ठीक है कि सूची संलग्न है लेकिन अगर कोई कार्य विवरण है या सूचना है तो वह कृपा करके सूचना पढ़ दी जाय तो अच्छा होगा । दो-तीन दिन हुये इस तरह का उत्तर आया था जो तीन-चार लाइन का था लेकिन यह कहा गया था कि सूची संलग्न है। तब भी मैंने कहा था लेकिन विस्तृत रूप में नहीं कहा था और मैं आइंदा चाहूंगा कि जब तक सूची या तालिका लम्बी न हो तब तक प्राप्त सूचना यदि कार्यवाही का भाग बन जाये तो सदन को प्रकाश पड़ सकता है और उसको यहां पर पढ़ दिया जाया करे, यही उचित होगा ।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, बात बिलकुल उचित है । जनाब की रूलिंग मेरी नोटिस में नहीं आयी । यह लम्बा विवरण नहीं था और दिया जा सकता था मुझे उसका खेद है । विवरण इस प्रकार है—"मैनेजर, जागरण प्रेस, कानपुर ने १०—७—६७ की शाम साढ़ पांच बजे पुलिस में इस आशय की सूचना दी कि प्रातः ४ बजे जब अखबार ढोने वाली टैक्सी अखबार के बंडल लेकर जा रही थी तो स्वराज्य आश्रम के पास कुछ हाकरों ने टैक्सी रोक ली तथा उसमें लदे अखबार के बंडलों को लूटा तथा कुछ बंडलों को सड़क पर फेंक दिया । लोगों के पहुंचने पर हाकर हाथा पाई करते हुये भाग गये । प्रातः ५ बजे सम्पादक की कार को एक हाकर ने रोका और पत्थर फेंका ।

सहायक मैनेजर, जागरण प्रेस कानपुर ने १०—७—६७ को दो बजे दिन में पुलिस को सूचना दी कि ५ बजे प्रातः जब वे अखबार के बंडल सेल करने जा रहे थे तो घंटाघर के पास कुछ हाकरों ने अखबार लूट लिया तथा मारा-पीटा ।

मैनेजर द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर धारा १४७, ३२३, ३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना आरम्भ की गयी । हाकरों ने जागरण प्रेस आफिस का घेराव नहीं किया । कुछ हाकरों ने जिनका पहले से कमीशन की बढ़ोत्तरी

के सिलसिले में प्रेस के प्रबन्धकों से विवाद चल रहा है पत्र वितरक मोटर को रोका और अखबार के कुछ बंडल लेकर भागे । विवेचना से मोटर पर पथराव तथा कार्यालय के कर्मचारियों को मारने-पीटने की बात सही नहीं पायी गयी ।

सहायक मैनेजर द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया परन्तु अविवेचित रखा गया ।

इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिये समुचित गश्त का प्रबन्ध कर दिया गया है और अखबार के प्रबन्धकों के बताये हुये स्थानों पर उचित व्यवस्था हेतु पुलिस कांस्टबिल तैनात कर दिये गये हैं ।"

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

जो विवरण मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा है उसमें जबरदस्ती कोई सामान लूटा गया है, मोटर को रोका गया और चारों तरफ से उसको घेरकर अखबारों के बंडल लूटे गये तथा इसके अतिरिक्त हाथापाई भी की गई । तो इन परिस्थितियों में इस घटना के आधार पर यहां स्पष्ट रूप से ३९५ और ३९७ का आरोप था । मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ३९५ और ३९७ की रिपोर्ट न लिखने के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

मैं समझता हूं कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरीके की घटना दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी हुई ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, मुझे मालूम है कि इस दिन के बाद कोई घटना नहीं हुई ।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे क्योंकि हम लोगों ने अखबार में देखा है कि तीसरे दिन इस तरह की घटना हुई, अगर हुई है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने २, ३ दिन तक इस प्रकार की घटना होने दी और ठीक से व्यवस्था नहीं की, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

माननीय मित्र ने अखबार में पढ़ा है और उस पर यहां सवाल करते हैं । इसमें मैं उनसे जवाब तलब नहीं कर सकता इससे खामख्वाह काम बढ़ता है । जिस वक्त उनको एसी तसल्ली हो जाय तब मैं उनसे जवाब तलब करूंगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर जिले में चीनी वितरण व्यवस्था

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर में देहात के अधिकृत सरकारी सस्ती शकर विक्रेताओं को नियमित रूप से मासिक कोटे नहीं दिये जाते ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य उप मंत्री (श्री शमीम आलम)—

जी हां । यह सही है कि शाहजहांपुर के देहात के अधिकृत सरकारी सस्ती शकर विक्रेताओं को १ मई, १९६७ से नियमित रूप से मासिक कोटे नहीं दिये जाते । इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रदेश के कोटे में भारी कटौती कर दी गई है ।

२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के तिलहर में शकर के होल सेल डीलर ने अप्रैल, १९६७ में किस तिथि को कितना कोटा उठाया और वह तहसीलदार, तिलहर के आदेश पर कितने दिन में वितरित कर दिया गया ?

श्री शमीम आलम—

तिलहर के शकर के होलसेल डीलर ने ८ अप्रैल, १९६७ तथा १० अप्रैल, १९६७ को क्रमशः ७५–७५ बोरी शकर उठायी । यह शकर तहसीलदार के आदेशानुसार ९ अप्रैल, १९६७ तक वितरित कर दी गयी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या उपमंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सिर्फ शाहजहांपुर के देहातों का कोटा कैंसिल किया गया या सारे प्रदेश का कोटा कसिल किया गया है ?

श्री शमीम आलम—

यह सारे प्रदेश का ही कोटा कैंसिल हुआ है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश का कितना कोटा है और उसमें कितनी कटौती की गई है ?

श्री शमीम आलम—

भारत सरकार ने प्रदेश का कोटा २३ मई, १९६७ को २० हजार मैट्रिक टन से घटाकर १६,७१२ टन कर दिया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या खाद्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चीनी का कोटा कम हुआ है प्रदेश भर में, उस कमी को गांव पर ही क्यों आयद कर दिया गया, शहरों में भी चीनी का कोटा क्यों नहीं कम किया गया ?

श्री शमीम आलम—

पहले ऐसे आदेश हो गये थे कि गांव का कोटा बन्द कर दिया जाय, लेकिन ५ दिन के बाद ही यह आदेश दे दिये गये कि इस कोटे को बिलकुल बन्द न किया जाय । लेकिन शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसके अनुसार बन्द कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

जो कमी हुई कोटे में, वह गांव और शहर दोनों में एक सी क्यों नहीं हुई, यह उनका प्रश्न है ।

श्री शमीम आलम—

इस वक्त ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि गांव वालों को चीनी न दी जाय । लोकली डी० एम० के मातहत, उस के डिस्क्रिशन पर यह चीज है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि १४ या १५ मई को खाद्य विभाग के सचिव का कोई जी० ओ० गया है प्रदेश के सभी डी० एस० के यहां कि गांव का चीनी का कोटा समाप्त कर दिया जाय और कोई स्पेशल परमिट भी गांव वालों के लिये न काटा जाय ?

श्री शमीम आलम—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नवल किशोर—

क्या खाद्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जो मौजूदा कोटा है शक्कर का उस का कितने फीसदी वह देहात को देते हैं और कितने फीसदी शहर को देते हैं ?

श्री शमीम आलम—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या खाद्य मंत्री जी बतलायेंगे कि गांव में जो चीनी का कोटा नहीं गया है उस का खास कारण यह है कि आप ने गल्ला वसूली के सिलसिले में गांव की चीनी का कोटा काट कर जिन से गल्ला वसूल होना था उनको देने का निश्चय किया था ?

श्री शमीम आलम—

चीनी का लालच गल्ला देने वालों को कोई नहीं दिया गया था, पर उनको प्रायरिटी दी गयी थी कि जो लेवी का गल्ला देंगे उन की दरख्वास्तों पर प्रायरिटी बेसिस पर कंसीडरेशन किया जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

जो जी० ओ० १४ या १५ मई को ईश्यू हुआ है क्या उसका पता लगा कर मंत्री जी उसे वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उनको इस जी० ओ० का पता होना चाहिये था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके लिये सूचना की आवश्यकता है । इसलिये आप दूसरा प्रश्न कर लें । अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

पिछले वर्षों में भी शहर वालों को गांव वालों के बनिस्बत क्या चीनी का अधिक कोटा मिलता रहा है ?

श्री शमीम आलम—

इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी ।

गाजियाबाद में राशन का कोटा

*३—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद में राशन प्राप्त करने वाले यूनिटों की संख्या १ लाख २० हजार है और जिनका राशन ४,७०० क्विंटल होता है, परन्तु प्रत्यक माह वहां के लिये केवल २,४०० क्विंटल ही राशन दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शमीम आलम—

गाजियाबाद शहर में राशन की यूनिटें १ लाख २० हजार हैं । ४ किलो प्रति यूनिट प्रति माह के हिसाब से इन यूनिटों के लिये ४,८०० क्विन्टल अनाज की प्रति माह आवश्यकता होती है । मगर यह सही है कि वहां पर इतना गल्ला न एलाट कर प्रति माह १० क्विंटल गल्ला एलाट किया गया । शहरी क्षेत्रों के लिये जो गल्ला दिया जाता है वह १९६१ की आबादी में ३० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को जोड़ते हुये तथा कुल संख्या की ९० फीसदी यूनिटें मानकर किया जाता है ।

श्री प्यारेलाल—

क्या खाद्य मंत्री बतलायेंगे कि उन्होंने जो बतलाया कि सन् ६१ की जन-संख्या को आधार मान कर ९० फीसदी को यूनिट मानकर कोटा दिया जाता है तो सन् ६१ से ६७ तक क्या कोई आबादी नहीं बढ़ी और यदि बढ़ी है तो क्या उनको राशन और चीनी खाने का अधिकार नहीं है ?

श्री शमीम आलम—

आबादी जरूर बढ़ी है और ३० फीसदी बढ़ोत्तरी मानी गयी है जो कि बढ़कर ९१,५७० आती है और ९० प्रतिशत से ८२,४१३ यूनिट आते हैं, उन्ही को गल्ला दिया जाता है ।

श्री प्यारेलाल—

९० फीसदी ही मानकर क्यों राशन दिया जाता है, बाकी १० फीसदी को क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री शमीम आलम—

ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत से राशन कार्ड जाली बने हुये हैं । इस संबंध में सरकार ने जिलाधीश को आदेश जारी कर दिये हैं कि उनकी जांच करायें और जाली राशन कार्डों को कैंसिल करें ।

श्री जी० एस० चौधरी—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गाजियाबाद की म्युनिसिपैलिटी में एक इलाका ऐसा है जो कि म्युनिसिपल लिमिटी में होते हुये भी उसको राशन नहीं दिया जाता ?

श्री शमीम आलम—

इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है, मुझे सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

जिन १० फीसदी को राशन नहीं दिया जाता और कहा कि उन्होंने जाली कार्ड बढ़ाये हुये हैं तो कितने दिनों से इसके लिये कार्यवाही हो रही है और कब पूरी हो कर सबको राशन दिया जा सकेगा ?

श्री शमीम आलम—

जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्यवाही की जायगी ।

सिकन्दराराऊ के बी० डी० ओ० श्री मदनगोपाल मेहरोत्रा के विरुद्ध जांच

*४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) के बी० डी० ओ० श्री मदनगोपाल मेहरोत्रा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

जी हां। सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ के क्षेत्र विकास अधिकारी श्री मदन गोपाल मेहरोत्रा के विरुद्ध एक शिकायती पत्र श्री कृपा शंकर निवासी ग्राम हंसायन तथा अन्य लोगों की ओर से प्राप्त हुआ था। यह शिकायती पत्र २५ अप्रैल, १९६७ को भेजा गया था। इस की जांच जिला नियोजन अधिकारी से करा ली गई है।

*५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार को यह भी शिकायत मिली थी कि उक्त बी० डी० ओ० ने कांग्रेस उम्मीदवार श्री ओमकार सिंह का प्रचार अपनी जीप से किया था? यदि, हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री रूपनाथ—

जी हां। श्री नेकराम शर्मा, एल०एल०ए० द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ तथा उप विकास आयुक्त, आगरा को यह शिकायतें की गई थीं कि सिकन्दराराऊ ब्लाक की जीप रोज इलेक्शन के प्रचार हेतु प्रयोग की जा रही है इस पर जांच कराई गई और शिकायतें निराधार पाई गईं?

श्री नेकराम शर्मा—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जीप जब्त करके हेड क्वार्टर पर भेज दी गई थी?

श्री रूपनाथ यादव—

अध्यक्ष महोदय, १ जनवरी से १५ जनवरी तक यह जीप ब्लाक में थी। ९ जनवरी को जब शिकायत आयी तो सिर्फ ब्लाक में ३ दिन जीप इस्तेमाल हुई और उनमें जिलाधिकारियों के साथ और बी० डी० ओ० के साथ थी। उसको सरकारी काम के लिये मंगा लिया गया था।

श्री चन्द्रशेखर—

जो १२ दिन तक यह गाड़ी खाली पड़ी रही क्या उन दिनों उस जीप द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार का प्रचार हुआ?

श्री रूपनाथ यादव—

जी नहीं।

दिवारी पाइप लाइन

*६—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) तथा श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा की बैठक दिनांक २३ अगस्त, सन् १९६२ ई० को प्रश्न संख्या २१६ के क्रम पर, दिवारी पाइप लाइन के सम्बन्ध में जो जांच की जा रही थी उसका क्या परिणाम अब तक निकला?

*७—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस पेय जल योजना में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है?

श्री रूपनाथ यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि संबंधित योजना से संबंधित मूल पत्रावली जिला हरिजन अधिकारी द्वारा मिस प्लेस्ड कर दिये जाने कारण सूचना नहीं आ सकी है, यदि हां तो यह सूचना कब तक आ जायेगी?

श्री रूपनाथ यादव—

इस योजना के संबंध में भारत सरकार से भी पत्र व्यवहार हुआ था । भारत सरकार द्वारा पेय जल योजना में कुछ परिवर्तन किया गया, फिर उसे स्वास्थ्य शासन विभाग को भेजा गया, अब उस सूचना को एकत्र कर रहे हैं और तीन सप्ताह के अन्दर सूचना आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि नियमों के अनुसार मैं १५ दिन के लिये ही इसको स्थगित कर सकता हूं, १५ दिन बाद यह फिर आयेगा तो आप १५ दिन के अन्दर ही सूचना मंगा लें ।

श्री रूपनाथ यादव—

अच्छी बात है, आज्ञा शिरोधार्य है ।

ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत वाराणसी जिले में कार्य

*८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० एम० पी० स्कीम (रूरल मैनपावर) के अन्तर्गत वाराणसी में अब तक कौन सी सड़कें तथा कितने तालाब दिये गये हैं और अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और इस स्कीम को किस विभाग के अन्तर्गत चलाया जा रहा है ?

श्री रूपनाथ यादव—

आर० एम० पी० स्कीम (रूरल मैनपावर) के अन्तर्गत वाराणसी जनपद में ५७ सड़कें बनाई जानी हैं जिसकी अनुमानित लागत १,४२,६[illegible],८३९ रु० है तथा [illegible] पर ३१ मई, १९६७ तक कुल २८,६५,६३६ रु० व्यय हुआ है तथा [illegible] २ तालाब हैं जिनकी अनुमानित लागत ९,९८,७८९ रु० है और इन पर ३१ मई, १९[illegible] तक कुल रु० [illegible]३,१५८.०५ पै० व्यय हुआ है ।

हर सड़क व तालाब का पूर्ण विवरण संलग्न है ।

इन कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और वन विभाग तथा जिला परिषद् वाराणसी के माध्यम द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४०–२४५ पर)

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुये कि रुपया बहुत दिनों से मंजूर पड़ा है, क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि उस रुपये को जल्दी इस्तेमाल करके बकाया काम शीघ्र पूरा किया जाय ?

श्री रूपनाथ यादव—

जी हां ।

श्री चन्द्रशेखर—

बहुत से तालाब ग्राम जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत बन कर पूरे हो चुके हैं, किन्तु लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला है क्या सरकार उनको पैसा जल्दी दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री रूपनाथ यादव—

इसकी कोई सूचना नहीं, माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जल्दी इसका इन्तजाम करा दिया जायेगा ।

श्री श्याम बिहारी सिंह, अध्यक्ष, जिला परिषद्, वाराणसी के विरुद्ध मुकदमा

*६ श्री ऊदल--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, वाराणसी के अध्यक्ष के खिलाफ सुरक्षा कोष के गबन का मुकदमा अदालत में चल रहा है और उस पर जो खर्च हुआ है और हो रहा है उसे जिला परिषद् के कोष में दिया गया है और दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन है और अब तक मुकदमे में कितना रुपया खर्च का जिला परिषद् ने दिया है?

राज्य विकास उपमंत्री (श्री महीलाल)--

श्री श्याम बिहारी सिंह, अध्यक्ष, जिला परिषद्, वाराणसी और अन्य ६ व्यक्तियों के विरुद्ध श्री राम अधार सिंह द्वारा ताजीरात हिन्द की धारा ४०९/४७७-क/४७१/४६८/३४ के अन्तर्गत इस्तगासा दायर किया गया है जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे में अब तक २,३४३ रु० ७० पै० का व्यय हुआ है जो जिला परिषद् कोष से वहन किया गया है। मुकदमे के निर्णय के बाद ही यह पता चल सकता है कि कितने रुपए का गबन हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो प्रश्न छपा हुआ है उसमें लिखा है कि "कोष में दिया गया है"। यह मिसप्रिन्ट है। इसको "कोष से दिया गया है" पढ़ा जाय।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह सुरक्षा कोष एकत्र हो रहा था उस समय यहां के डेवलपमेंट कमिश्नर श्री सतीशचन्द्र ने समस्त जिला परिषदों को जिसमें वाराणसी भी शामिल था एक जी० ओ० भेजा था कि देश भर पर जो आपदा पड़ रही है उसके लिए जिला परिषद् सुरक्षा कोष एकत्र करें? उसी जी० ओ० के अन्तर्गत वाराणसी जिला परिषद् ने एक कमेटी की स्थापना की थी और उस कमेटी के माध्यम से एक लाख रुपया सुरक्षा कोष में जमा किया गया था?

श्री महीलाल--

शासन के समक्ष वह जी० ओ० जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, नहीं है। परन्तु यह सच है कि जिला परिषद् वाराणसी ने एक उपसमिति बनाई और उस उप समिति द्वारा यह धन संग्रह किया।

श्री ऊदल--

अध्यक्ष महोदय, शासन की तरफ से यह आदेश था कि जो सरकारी रसीद होगी और जिस पर जिलाधीश के हस्ताक्षर होंगे उस रसीद के माध्यम से ही रुपया वसूल करेंगे। परन्तु इस जिला परिषद् ने ऐसा न कर अपनी रसीद के जरिए ही रुपया वसूल किया है?

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया)

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, ठीक यही प्रश्न अदालत के अन्तर्गत विचाराधीन है कि वह जिलाधीश की रसीद के अन्तर्गत वसूल होना था या घर की रसीद के अन्तर्गत वसूल होना था।

श्री अध्यक्ष --

माननीय मन्त्री जी क्या आप बतायेंगे?

श्री महीलाल--

श्री रामअवध सिंह ने एक मुकदमा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कर रक्खा है।

श्री अध्यक्ष--

वह मुकदमा चल रहा है और क्या उसमें वही प्रश्न विचाराधीन है?

श्री महीलाल--

मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री के समक्ष इस तरह का सवाल आया कि सुरक्षा कोष के रुपए को कोई व्यक्तिगत रसीदों पर न वसूले यदि हां, तो क्या फाइल को देखेंगे कि जिसमें उस समय के मुख्य मन्त्री ने आदेश दिया था कि जो सरकारी रसीदें होंगी उसी पर सुरक्षा कोष का पैसा वसूल होगा और कोई संस्था अपनी रसीद पर वसूल नहीं करेगी ? इस जिला परिषद् ने अपनी रसीद पर कैसे वसूल किया है ?

श्री अध्यक्ष--

पहली बात आप कहते हैं कि मुख्य मन्त्री द्वारा आदेश दिए गए उसकी सूचना तो स्वयं मिल गई। दूसरा प्रश्न यह होता है कि संस्थाओं ने अपनी रसीद पर वसूल किया ? इसका उत्तर माननीय मन्त्री कृपया दे दें।

श्री महीलाल--

श्रीमन्, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं थोड़ा-सा विवरण बता दूं कि वर्तमान क्या स्थिति है। यह बात सही है कि २६ अक्तूबर, सन् १९६२ को जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके अन्तर्गत छः माननीय सदस्यों की एक समिति बनी। उस समिति ने अपनी निजी रसीद छपवाई और उनसे सुरक्षा कोष इकट्ठा करना आरम्भ किया। इस पर माननीय राम अवध सिंह ने दावा किया जिसमें केवल एक ही गवाह पाया गया था। जिसमें उन्होंने शासन से प्रार्थना की, कि यह रुपया जिला परिषद् का खर्च न किया जाय और उसकी जांच सी० आई० डी० से कराई जाय। शासन ने अपने न्याय परामर्शी विभाग से परामर्श करके गुप्त विभाग को जांच दे दी। गुप्त विभाग ने अदालत से प्रार्थना की है कि मुकदमे को स्थगित कर दिया जाय जब तक गुप्त विभाग पूरी जांच न कर ले। इस प्रार्थना-पत्र पर अदालत का निर्णय होना है। अदालत का मामला होने से कुछ विशेष कहना उचित नहीं होगा।

गल्ला जखीरेबाजों के खिलाफ कार्यवाही

*१०--श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामायण राय, श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) तथा श्रीमती कलारानी (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ अप्रैल, १९६७ से १८ मई, सन् १९६७ तक कितने स्थानों पर प्रदेश में गल्ला के जखीरों पर छापे मारे गए और उनसे कितना गल्ला प्राप्त हुआ और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शमीम आलम--

८ अप्रैल, ६७ से १८ मई, सन् ६७ तक प्रदेश में ११० स्थानों पर गल्ले के जखीरों पर छापे मारे गए, उनमें ३,२२६.७६ क्विंटल और ,२२४ बोरा गल्ला पकड़ा गया। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की गई। ४८ मुकदमे चलाए गए और ६० मामलों में जांच की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

पकड़े हुए गल्ले को जब्त किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शमीम आलम--

अदालत के आदेश के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री रामायण राय--

पकड़ा हुआ गल्ला सड़ने से पहले जनता को मिल जाय, इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री शमीम आलम--

सूचना चाहिए।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

अभी भी होर्ड किए हुए गल्ले को सरकार पकड़ेगी ?

श्री शमीम आलम--

सूचना मिलने पर छापे अब भी मारे जाते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

इन ११० छापों में से कोई छापा क्या किसी ऐसे भी व्यापारी के यहां था जो ५०,००० रुपए से ऊपर इनकम-टैक्स देता हो ?

खाद्य मन्त्री (श्री झारखंडे राय)--

सूचना चाहिए।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--

मुकदमा खत्म होने तक छापे में पकड़े हुए गल्ले का सरकार क्या करती है ? वह बांट दिया जाता है या रखा रहता है ?

श्री झारखंडे राय--

जिस मामले में कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाता है उसमें कोर्ट के आदेश के बाद ही गल्ले की वितरण व्यवस्था की जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

पकड़े हुए गल्ले की कीमत कोर्ट में जमाकर सड़ने से बचाने के लिए उसे शीघ्र ही जनता में बंटवाने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय--

इस सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

ये छापे प्रदेश के सभी जिलों में थे या कुछ में ही थे ?

श्री झारखंडे राय--

कुछ में पड़े हैं और कुछ में नहीं। जहां से गुप्त सूचना मिली वहां पड़े। कोई निश्चित योजना बनाकर सभी जिलों में हमला करने की बात अभी नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एसेंशल सप्लाईज टेम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट में प्राविधान है कि पकड़े हुए गल्ले को डी० एम० अपने अधिकार से तुरन्त आक्शन कर सकता है और इस सम्बन्ध में भूतपूर्व माल मन्त्री के आदेश भी हुए, क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई ?

श्री झारखंडे राय—

जिलाधीश के आदेश से उचित कार्यवाही की जाती है ताकि कोई पकड़ी हुई चीज सड़ने न पावे और उसके पहले उसे जनता में वितरित कर दिया जाय।

कानपुर महापालिका में काकादेव योजना

*११—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत काकादेव योजना में कितनी जमीन अभी तक लोगों को एलाट की गई है और किस दर से ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

काकादेव योजना में नगर महापालिका द्वारा १,३१२.३९ एकड़ भूमि अभी तक एलाट की गयी है। दरों के विषय में सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४६ पर)

*१२—श्री बसन्तलाल—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिन लोगों को यह जमीन दी गई उनमें आई०ए०एस० और आई० पी० एस० अधिकारी कितने हैं तथा अन्य सरकारी अधिकारी कितने हैं और आई० ए० एस० व आई० पी० एस० अधिकारियों को कितनी-कितनी जमीनें दी गयीं तथा असरकारी कुल कितने लोगों को इस योजना में जमीन दी गई ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

महापालिका द्वारा जिन लोगों को काकदेव योजना के अन्तर्गत सितम्बर, १९६४ के बाद जो प्लाट एलाट किए हैं गए उनमें आई० ए० एस० अधिकारी कोई नहीं है केवल चार आई० पी० एस० अधिकारी हैं और १३३ अन्य सरकारी कर्मचारी हैं।

जिन आई० पी० एस० अधिकारियों को प्लाट एलाट किए गये हैं उनके क्षेत्रफल लगभग ९००, ८७०, ८०० व ५०० वर्ग गज हैं।

कुल २२३ असरकारी व्यक्तियों को प्लाट एलाट किए गये हैं।

सितम्बर, १९६४ के पहले १७१६ प्लाट एलाट हुए। इन एलाटीज के बारे में सरकारी व असरकारी होने की सूचना नहीं मिल पाई है क्योंकि उस समय एलाटीज को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया था।

श्री बसन्तलाल—

क्या मन्त्री जी ४ आई० पी० एस० के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

सर्व श्री श्रीपालसिंह, जगरनाथ सिंह, एस० पी० चन्दोला, और आर० एन० निगम।

श्री बसन्तलाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि काकादेव योजना के अन्तर्गत जमीन क्या असरकारी व्यक्तियों को दिए जाने का नियम है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

जी हां।

गल्ले का तस्कर व्यापार

*१३--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने १५ मई, १९६७ को आगरे में प्रेस सम्वाददाताओं को यह बताया था कि गल्ले को सूबे से अनधिकृत रूप से बाहर जाने से रोकने तथा चोर बाजारी मिटाने के लिए सरकार विशेष पुलिस की टुकड़ियां बना रही है और सरकार चोर बाजारी आदि रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट का सहारा लेगी? यदि हां, तो उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत सूबे में कितने व्यक्तियों पर दिनांक १५ मई, १९६७ से अब तक कितने व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई?

श्री शमीम आलम--

जी हां, सरकार ने गल्ले की तस्करी तथा चोर बाजारी आदि को रोकने के लिए प्रदेश की सीमा पर चेक पोस्टों की स्थापना की है, पुलिस की टुकड़ियां बनाई हैं तथा अपराध अनुसंधान विभाग में एट फूड सेल की स्थापना की है। चोर बाजारी आदि को रोकने के लिए प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के सहारे की अभी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी अपने उन विचारों को कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे कि जो कुछ दिनों पूर्व उन्होंने इस ओर बैठकर इस सम्बन्ध में व्यक्त किए थे कि स्मगलिंग को रोकने के लिए प्रीवेंशन डिटेंशन ऐक्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए?

श्री झारखंडे राय--

मान्यवर, स्मगलिंग को रोकने के लिए जो भी संभव उपाय होगा, वह किया जायगा। जवाब में केवल इतना ही कहा गया है कि पी० डी० ऐक्ट की अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है क्योंकि जो और वर्तमान कानून हैं उनके अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर यह कानून फेल हुए तो पी० डी० ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने में यह सरकार न हिचकेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस समय बाजार में गल्ले के जो भाव चल रहे हैं, उनके चलते अगर मन्त्री जी पी० डी० ऐक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो किस भाव का गल्ला बिकेगा जब उसका इस्तेमाल किया जायगा?

श्री झारखंडे राय--

उत्तर बिल्कुल साफ है। उसमें लिखा है 'अभी नहीं'। इस वक्त नहीं किया जा रहा है मुमकिन है कल हो जाय।

श्री कृष्णानन्द राय--

जब माननीय मन्त्री जी ने लेवी को वसूल करने के लिए एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट लागू किया है तो फिर व्यापारियों के खिलाफ वह पी० डी० ऐक्ट कब तक लागू करने का विचार करते हैं?

श्री झारखंडे राय--

जो भी व्यक्ति समाजद्रोही काम करेंगे उनके विरुद्ध समय आने पर आवश्यकतानुसार पी० डी० ऐक्ट का इस्तेमाल किया जायगा। लेकिन इस समय जो कानून हैं उन्हीं के अनुसार हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने जो कहा कि कानूनों के अन्दर ऐसी पेचीदगियां हैं तो वह पेचीदगियां क्या हैं और जो लोग महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं वह तो गिरफ्त में आ जाते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं और जो लोग महंगाई बढ़ाने वाले हैं उन को कानून छोड़ देता है, तो वे ऐसी क्या पेचीदगियां हैं जो इन कानूनों में हैं ?

श्री झारखंडेराय--

आचार्य जी ने मेरे उत्तर को नहीं सुना, मैंने कहा था कि जो मौजूदा कानून रोकथाम के लिए हैं वे इतने सक्षम हैं कि उन के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है और अभी इस वक्त प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट को लागू करने की जरूरत नहीं है, जो कानून हैं उन्हीं के अन्दर कार्यवाही हो रही है और हो सकती है।

पनियाली मार्ग पर पुलियों का निर्माण

*१४--श्री इन्द्रलाल तथा श्री इन्द्रमणी--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि गन्ना विकास निरीक्षक, हल्द्वानी, ने सन् १९६३-६४ में पनियाली मार्ग पर जिन तीन पुलियों का निर्माण कार्य कराया उससे जनता को कोई हित न होकर बल्कि रास्ते का आवागमन रुका पड़ा है ? यदि हां, तो उसके मुख्य सबब क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)--

जी हां। पानी के रेले से पुलियों के मुंह बन्द हो गए हैं और पानी ने पुलियों के दोनों किनारों से मिट्टी काटकर अपना रास्ता बन्द बदल लिया। सहायक अभियन्ता ने इन पुलियों का निरीक्षण किया और उन्होंने कटाव का कारण ऊपर व नीचे बचाव दीवार का न होना बताया।

[१७ जुलाई, १९६७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सिकन्दराराऊ तहसील में 'लेवी' का भुगतान

*१--श्री नेकराम शर्मा--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तहसील सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में कितना रुपया लेवी (फंड) का किसानों को देय है जो अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है और कब से देय है।

श्री झारखंडेराय--

तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में 'लेवी' का कोई पैसा किसानों को भुगतान करना बाकी नहीं है।

*२--श्री नेकराम शर्मा--

क्या यह सही है कि जिन किसानों ने लेवी दे दी है उनसे भी गल्ला जबर्दस्ती लिया जाता है ?

श्री खारखंडे राय--

जी नहीं।

नोट--तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चीनी की महंगाई रोकने के उपाय

*३—श्री इन्द्रलाल तथा श्री इन्द्रमणी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बढ़ती हुई शकर की महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने अब तक कौन-कौन से कदम उठाए ?

श्री झारखंडे राय—

सरकार ने प्रदेश में चीनी की महंगाई रोकने के लिए अब तक निम्नलिखित कदम उठाए :—

(१) भारत सरकार द्वारा कोटा कम किए जाने पर भारत सरकार को लिखा कि यू० पी० का कोटा अधिक होना चाहिए।

(२) खंडसारी यू० पी० से बाहर जाने के परमिट देना लगभग बन्द कर दिया।

(३) जिला अधिकारियों को यह आदेश दे दिए कि वे फेअर प्राइस शाप से चीनी के वितरण और कोटा पाने वाले बल्क कंज्यूमर्स पर कड़ी निगाह रखें और चोर बाजारी एवं कोटा का दुरुपयोग न होने दें।

*४—श्री इन्द्रलाल तथा इन्द्रमणी—

क्या सरकार को मालूम है कि बाजारों में शकर की कीमत साढ़े तीन रुपए किलो, चार रुपए किलो तक हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शकर की ब्लैक को रोकने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री झारखंडेराय—

जी हां। चोर बाजारी में शकर बिकती है। चोर बाजारी को रोकने के लिए जिलाधीशों को उचित आदेश दिए गए हैं।

*५-६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[३१ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद में नाजायज आटा पकड़ने की शिकायत

*७—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रश्न कर्त्ता द्वारा पुलिस एस० ओ० एवं एस० डी० एम० को सूचना दिए जाने पर दिनांक ३ मार्च, १९६७ को किसी ट्रक पर लगभग १०० बोरी नाजायज आटा गाजियाबाद जिला मेरठ में पकड़ा गया, जो राशन का था ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

*८—क्या सरकार को पता है कि प्रश्नकर्ता के साथियों ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को तुरन्त कर दी थी ? यदि हां, तो सरकार क्या वह शिकायती पत्र सदन की मेज पर रखेगी और बताएगी कि उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री झारखंडे राय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश कृषक समाज

*९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६५-६६ और १९६६-६७ में उत्तर प्रदेश कृषक समाज नाम की संस्था को सरकार की ओर से कितनी आर्थिक सहायता दी गई ? इस संस्था के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

उत्तर प्रदेश कृषक समाज को सन् १९६५–६६ और १९६६–६७ में कृषि विभाग द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उक्त संस्था के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:

अध्यक्ष	..	श्री चरण सिंह,
उपाध्यक्ष	..	(१) श्री चतुर्भुज शर्मा,
उपाध्यक्ष	..	(२) श्री मुनिदेव
मंत्री..	..	श्री शिवराज सिंह
संयुक्त मंत्री (ज्वाइन्ट सेक्रेटरी)	..	चौधरी अतर सिंह

रासायनिक खादों के दामों में बढ़ोत्तरी

*१०—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने रासायनिक खाद संबंधी अनुदान को जो १९६६–६७ में ५७ करोड़ था १९६७–६८ में घटा कर १९ करोड़ कर दिया है? इसे कटौती के कारण फर्टीलाइजर के दामों के कितनी बढ़ोत्तरी हो गई? सरकार फर्टीलाइजर की कीमतों को घटाने को क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जयराम वर्मा—

भारत सरकार ने रासायनिक खाद संबंधी अनुदान (Sudsidy) से संबंधित सूचना प्रदेश सरकार के पास नहीं है। रासायनिक खादों के दामों में जो बढ़ोतरी भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९६७ से की है, वह संलग्न तालिका में दी गई है। इन दामों को कराने या बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार को ही है, अतः प्रदेश सरकार इस में कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४७ पर)

*११—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या यह सही है कि अमोनियम सल्फेट की कीमत ४०५ रुपये क्विंटल से बढ़ाकर ४९२ रुपये क्विंटल कर दी गई है?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं। सही दाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४७)

इलाहाबाद में नजूली जमीन पर गजटेड अफसरों के मकान

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने सरकारी गजटेड अफसर हैं जिन्होंने पिछले ५ वर्ष में नजूल की जमीन ले कर अपनी इमारत बनवाई है?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

कोई नहीं।

*१३—श्री ऊदल—

[५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले में क्षेत्र विकास अधिकारी

*१४—श्री विशुन प्रताप सिंह (जिला गोंडा), श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने क्षेत्र विकास अधिकारी जिला गोंडा में ऐसे हैं जिनको इसी जिले में १० वर्ष से अधिक हो गये हैं, तथा कितने क्षेत्र विकास अधिकारी ऐसे हैं जिनको एक ही ब्लाक में ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं।

श्री जयराम वर्मा—

गोंडा में कोई ऐसे क्षेत्र विकास अधिकारी नहीं हैं जो १० वर्ष या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हों।

इस जिले में केवल एक ऐसे क्षेत्र विकास अधिकारी हैं जो कि एक ही ब्लाक में ५ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

बुलन्दशहर जिले में राशन की दुकानें

*१५—श्री नेत्रपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६७ के पश्चात् आज तारीख २० जून, १९६७ तक कितनी राशन की दुकानें जिला बुलन्दशहर के विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा दी गई हैं? यह दुकानें किन-किन व्यक्तियों को दी गयीं और क्या दुकानों के वितरण के विषय में जिले के फूड एडवाइजरी कमेटी में से विचार विमर्श किया गया?

श्री झारखंडेराय—

उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४८ पर)

मिर्जापुर जिले में बीज वितरण

*१६—श्री राम नाथ (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में वर्तमान खरीफ की फसल की बोआई के संबंध में सरकार बीज हेतु कोई प्रबन्ध कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री जयराम वर्मा—

मिर्जापुर जिले में खरीफ की बोआई के लिये आवश्यक बीज तथा तत्संबंधी आपत्तिकालीन तकावी के लिये समुचित धन की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। जिले में निम्नलिखित खरीफ बीज की मात्रायें किसानों को बांटे जाने के लिये उपलब्ध हैं:—

					कुन्तल
अगेती धान	..	..	..	..	१०,९१८
अगहनी धान	..	..	..	..	३,४८२
संकर मक्का	..	..	..	..	१८५
जौनपुरी मक्का	..	..	..	..	६२
ज्वार	..	..	..	..	९३
बाजरा	..	..	..	..	२८
अरहर	..	..	..	..	१८३
			योग	..	१४,९५१

*१७-१८—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[४थे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

महाबतगढ़ ग्राम में प्राइमरी स्कूल भवन के लिये धन

*१९—श्री मधुकर दिघे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम महाबतगढ़ विकास क्षेत्र आजमगढ़, जिला आजमगढ़ में प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु ५,००० रुपया ग्राम प्रधान श्री विजय सिंह ने सरकार से १९६४-६५ में प्राप्त कर लिये, परन्तु आज तक प्राइमरी स्कूल का भवन निर्माण न करने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—

वर्ष १९६४-६५ में कोई धनराशि ग्राम सभा महावतगढ़ विकास क्षेत्र आजमगढ़ को प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण हेतु नहीं दी गई है ।

*२०—श्री मधुकर दिघे—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त रुपया सरकार को वापस कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

वर्ष १९६४-६५ में जब कोई धनराशि नहीं दी गई है तो उसके वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी-गेहूं बदलाव संबंधी कथित पत्र

*२१—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें खाद्य मंत्री पंजाब के श्री सत्यपाल डांग का इस आशय का मई, १९६६ में कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब को चीनी दे तो उन्हें बदले में गेहूं दे सकते हैं ?

श्री झारखंडे राय—

जी नहीं । मई १९६६ में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ।

इलाहाबाद जिले में नये टाउन एरिया

*२२—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार इलाहाबाद जिले के ग्राम मंझनपुर करारी दारानगर, कड़ा, अझूआ बाजार, सिराथू, उदिहित, नरई तथा पश्चिम शरीरा की बढ़ी हुयी आबादी को ध्यान में रखते हुये यह बताने की कृपा करेगी कि ग्रामों को टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

मंझनपुर, कड़ा, उदिहिन नरई, दारानगर तथा पश्चिमी सरीरा की ग्राम सभायें टाउन एरिया बनाने के पक्ष में नहीं है । अझुवा बाजार, सिराथू तथा करारी में टाउन एरिया बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

*२३—श्री माताप्रसाद—

[३१ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४—श्री चन्द्रशेखर सिंह—

[३१ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया ।]

बरेली में चीनी का कोटा

*२५—कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगर में १ अप्रैल, १९६७ से अब तक (२९ जून, १९६७) चीनी का एडहाक कोटा किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना दिया गया ?

श्री झारखंडेराय—

वांछित सूचना निम्नलिखित है—

	बोरी
(१) किसान प्रोडक्ट्स	७५३
(२) यू० पी० केमिकल्स फ्रूट प्रोडक्ट्स ..	१६३
(३) नवयुग फ्रूट प्रिजर्वेशन	१९
(४) चावला एयरेटेड वाटर्स	५

रबी खाद्यान्नों की वसूली

*२६—श्री हरीश कुमार गंगवार तथा श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष की रबी गल्ला वसूल योजना का लक्ष्य क्या था और उसमें अब तक कतना अनाज खरीदा गया ?

श्री झारखंडेराय—

प्रारम्भ में रबी खाद्यान्नों की वसूली योजना का अनुमानित लक्ष्य ६ लाख मीट्रिक टन था परन्तु समय समय पर दी गयी छूटों के कारण यह घट कर २,२०,१९२ मीट्रिक टन रह गया । अब तक कुल १,९९,०२३ मीट्रिक टन रबी खाद्यान्नों की वसूली हो चुकी है ।

*२७–२८—श्री रामनाथ पाठक (मिर्जापुर) श्री विशुन प्रतापसिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[३१ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

प्राणमती पुल संबंधी लोहे का सामान

१—श्री योगेश्वर प्रसाद—

क्या सरकार को यह मालूम है कि चमोली जिले में परगना बधांण के अन्तर्गत थराली के पास प्राणमती नदी के पुल निर्माण हेतु लगभग १५ वर्ष से लोहे का सामान पास ही तलबाड़ी मंडी में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो यह क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

प्राणमती पुल के लोहे का सामान तलवाड़ी मंडी में १९६१ से पड़ा हुआ है । सामान बहुत भारी और बड़े आकार का होने के कारण व तलवाड़ी से पुल बनाये जाने की जगह दूर व दुर्गम होने के कारण कोई भी ठेकेदार लोहे के सामान ढोने के कार्य को करने लिये तैयार नहीं हुआ । मजदूर व कुली भी आवश्यक तादाद में इस काम के लिये नहीं मिल सके । साथ ही परिषद् में तकनीकी स्टाफ न होने के कारण इस कार्य में कठिनाई पड़ी । ऐसी स्थिति में पुल का शेष कार्य पूरा कराने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा गया है ।

२—श्री योगेश्वर प्रसाद—

क्या सरकार चमोली जिले के उपरोक्त थराली के पास के प्राणमती नदी के पुल का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शेष कार्य के दिसम्बर, १९६८ तक पूरा किये जाने की आशा है ।

कार्य सूची में अधिक प्रश्न रखने पर आपत्ति

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आज के लिये ४८ प्रश्न रखे गये थे और उत्तर केवल १३ के ही हो सके तो इतने अधिक सवाल क्यों रखे जाते हैं कि उनके उत्तर नहीं मिल पाते । इसका कृपया ठीक प्रबन्ध कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कई बार इस तरह का जिक्र आया है । प्रश्न जो निर्धारित होते हैं वे नियमानुसार रखे जाते हैं । यहां पर कभी कभी ऐसे सवालात आते हैं जिनमें ज्यादा मेम्बरों को रुचि हो जाती है और इसलिये गति धीमी हो जाती है और ज्यादा सवाल नहीं आ पाते । मैं ऐसा नियंत्रण आज के नियमों में नहीं कर सकता कि इतने से ज्यादा की इजाजत नहीं दी जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रश्न पर पूरा घंटा लग जाय और ऐसा हुआ भी है । फिर भी अगर नेता सदन और नेता विरोधी दल आपस में मिलकर ऐसा तय कर लें कि इतने प्रश्नों पर ही इतने पूरक प्रश्न होंगे तो मुझे उसमें कोई ऐतराज न होगा ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (संशोधन) नियमावली, १९६७†

कृषि उपमंत्री (श्री महीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७२३४-बी/३३-२-८-(२)-६६, दिनांक १२ जून, १९६७ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश जिला परिषद (कार्यवाहियों का संचालन) (संशोधन) नियमावली, १९६७ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६ में प्रख्यापित शुद्धि-पत्र*

कृषि उप मंत्री (श्री महीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६ में पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६२६-बी/३३-२-५-आर-६२, दिनांक १५ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित शुद्धिपत्र को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

*छपा नहीं गया ।

पंचायतराज विभाग द्वारा प्रख्यापित कतिपय नियमावलियां†

गन्ना विकास उपमंत्री (श्री महीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२७३-बी/३३—१५०-६५, दिनांक ७ जून, १९६६ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यालय स्थान) नियमावली, १९६६', विज्ञप्ति संख्या ५२०१-ए/३३-२३-आर-६१, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ द्वारा प्रख्यापित 'क्षेत्र समिति के प्रमुख तथा उप-प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित करने के नोटिस से संबंधित नियमावली' के शुद्धिपत्र संख्या १३५६-बी ३३, दिनांक ७ जून, १९६६, विज्ञप्ति संख्या ३१२८/३३-२५-आर-६१, दिनांक १७ जून, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६६'; विज्ञप्ति संख्या ३७३५-बी/३३—२५-आर-६१, दिनांक १७ जून, १९६६ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६६' को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ११ अगस्त, १९६६ को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुयी है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

पंचायतराज विभाग द्वारा प्रख्यापित शुद्धि-पत्र

गन्ना विकास उपमंत्री (श्री महीलाल)—

मान्यवर, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४११८-बी-३३-६९-६५, दिनांक २९ जुलाई, १९६६, द्वारा प्रख्यापित शुद्धि पत्र को, जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६ को सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कलाविधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन नियमावली, १९६६*

गन्ना विकास उपमंत्री (श्री महीलाल)—

मान्यवर, मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१६८-बी/३३—१५५, (१०)-५९, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन नियमावली, १९६६" को, जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा ३ के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी, और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुयी है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

खाद्य मंत्री द्वारा प्रश्न का कथित गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास परसों, अर्थात् शनिवार को, २ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये थे परन्तु समयाभाव के कारण मैंने उन्हें नहीं लिया था । उनमें से एक माननीय चन्द्रबली सिंह जी

---

† छापी नहीं गयी ।

*छापा नहीं गया ।

[श्री अध्यक्ष]

का है। उनका कहना है कि कल अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ के संबंध में जो लिखित एवं मौखिक उत्तर खाद्य एवं पूर्ति मंत्री श्री झारखंडे राय ने दिया है वह जानबूझ कर सदन को धोखा देने की गरज से दिया है। इसीलिये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं ताकि विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर विचार किया जाय।

चूंकि लखनऊ नगर में लैमन चूस की एक ही फैक्ट्री एलाइट का कोटा २०० बोरी का किया गया किन्तु उसे गहरे आवरण में छिपा कर उत्तर दिया "जी नहीं"। चूंकि उसे किसी विशेष कारणवश २०० बोरे का चौथाई ५० बोरा चीनी उठवा दिया गया था, अब एतराज होने पर बढ़ाए रखने की नीयत है। इसीलिए गलत बताया कि १०० बोरी का कोटा था। कोटा ६० बोरी का था उसे अब भी छिपाया जा रहा है। उस फैक्टरी को जान बूझ कर मन्त्री जी बहुत सिफारिश के बाद दिलवाया है और प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर उस फैक्टरी के मालिक को बता दिया गया। वह मुझे उत्तर के दिन के पूर्व घेर कर विवश कर रहा था। सवाल न उठाने पर उससे धमकी दिलवाया देख लेने की। दर्जनों लोगों के सामने यह काम हुआ है। मन्त्री जी पापों पर पर्दा डाल कर सदन को धोखा दे रहे हैं। अस्तु, इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय ....।"

तो यह जो मेरे पास प्रश्न आया इस सम्बन्ध में मैंने प्रोसीडिंग्स भी देखीं, तो मैं २ बातें बताना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि माननीय चन्द्रबली सिंह को इसमें विशेषतः यह शिकायत है और जो इसका आपरेटिव पोर्शन है वह यह है कि "उत्तर के दिन पूर्व फैक्टरी की मालिक घेर कर विवश कर रहा था" और यह है कि "उत्तर दिए बगैर उस फैक्टरी के मालिक को बता दिया गया"। जो प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की गयी, हो सकता था कि फैक्टरी के मालिक को कुछ जानकारी हो गयी हो लेकिन माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने यह नहीं बताया कि कौन-सी चीज जो नहीं बताना चाहिए थी और या कोई ऐसी बात बतायी जो गोपनीय थी, ऐसा कोई आरोप नहीं है। लेकिन जो सूचना मिली है उसके आधार पर माननीय चन्द्रबली सिंह जी यह कहते हैं कि "उत्तर के दिन के पूर्व घेर कर विवश कर रहा था"। तो इसके माने यह हुए, अगर यह बात ठीक है तो अवश्य उन के संसदीय कार्य में बाधा का प्रश्न हो सकता था। उस के खिलाफ तो उन्होंने कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया नहीं। वह है माननीय मन्त्री जी के खिलाफ। तो मैं माननीय मन्त्री जी के खिलाफ नहीं समझ पाया कि किस तरह से यह ठीक है। माननीय चन्द्रबली जी मैं आप को २ मिनट देता हूं, आप बतायें कि कैसे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

*श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार अवहेलना के हमारे दो कारण हैं। एक तो यह कि माननीय मंत्री जी ने पहले तो यह कहा कि जी नहीं। जब कि एक के ही प्रति सवाल था और उस मंशा को भी समझ गए थे और माननीय मन्त्री जी के कार्यालय से, चाहे मन्त्री जी या इनके नीचे के अधिकारी द्वारा, जिसके ऊपर सवाल का असर पड़ता था, उसको बताया गया। प्रश्नों की गोपनीयता का मैंने यही मतलब समझा कि सवाल का जवाब होने के पहले तक किसी को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। वह मन्त्री जी के कार्यालय से इसकी जानकारी हुई। तो उसकी सारी जिम्मेदारी मन्त्री जी पर जाती है और ६० की जगह उन्होंने १०० कहा ताकि उसको २५ बोरा का कोटा मिलता रहे और प्रश्नों को जो छिपाने की बात है उसका जवाब चला गया, प्रश्न मालूम हो गया जिस पर असर पड़ने वाला है। तो गोपनीयता को जाहिर किया गया। इस वास्ते निश्चित तौर पर मन्त्री जी पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है, और मैं चाहूंगा इसे जरूर विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजा जाय ताकि वहां पर गवाहियों और सबूत की मार्फत स्पष्ट हो जाय कि विशेषाधिकार अवहेलना हुई कि नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने एक बात और बढ़ायी। एक आधार उनका यह भी है कि खाद्य मंत्री ने जवाब देते समय "जी नहीं" कहा, जबकि एक ही फैक्टरी थी और समझ लेना चाहिए था कि उसी से मतलब है। मैं समझता हूं कि प्रश्नकर्ता को मन्त्री जी का आभारी होना चाहिए था। समझने के ऊपर प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता और न ही यह माना जा सकता है कि उस का प्रभाव पड़ा, जब तक कि प्रश्न सम्बन्धित न हो। प्रश्न में आप ने एक और नाम दिया था। वह फैक्टरी थी नहीं लिहाजा मन्त्री जी ने "जी नहीं" कहा। यह बात विस्तारपूर्वक सदन में हो चुकी है। लेकिन फिर भी मन्त्री जी खड़े हुए और कहा कि गालिबन एक फैक्टरी है जिस के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता है।

दूसरा आधार गोपनीयता का रहा। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि कौन-सी गोपनीय बात सम्बन्धित व्यक्ति को बतायी गयी। उसको कुछ जानकारी होना तो आवश्यक है जब उस के बारे में मालूमात की जायंगी, तो आभास तो हो जायगा कि पूछ-ताछ चल रही है। लेकिन आप ने यह नहीं बताया कि वे कौन-सी बातें थीं जो नहीं बतानी चाहिए थीं और बता दी गयीं। तीसरी बात यह है कि सम्बन्धित फैक्टरी वाले ने आप को घेरा, कुछ धमकी दी। तो खाद्य मन्त्री का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता। मैं इसको अवैध घोषित करता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न आप के सामने रखना चाहता हूं। विशेषाधिकार समिति हमारी जो है वह किस लिए बनायी गयी है। जितने प्रश्न हैं श्रीमन्, वाकयात के सम्बन्ध में भी और नियम और कानून के सम्बन्ध में, यदि यहीं हम लोग निर्णय कर लें तो उस समिति को भंग क्यों न कर दिया जाय। यह एक कल्पना हमारे दिमाग में है। पिछले एक, डेढ़ महीने में जितने प्रश्न उठाए गए, उन में से कोई भी नहीं माना गया।

श्री अध्यक्ष--

यह ऐसी बात हुई कि कोई क्राइम प्रिवेंशन कमेटी बने तो पहले यह आवश्यक कराया जाय कि क्राइम कराए जायं, क्राइम हों फिर उस को रेफर हों, वरना वह कमेटी निरस्त कर दी जाय। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी का मतलब यह नहीं है कि यहां पहले प्रिविलेज के इश्यू पैदा किए जायं और फिर प्रिविलेज कमेटी में उनको भेजा जाय। अगर वाकई उसको आवश्यकता न पड़े तो यह इस सदन के लिए अभिमान की बात होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अगर कोई प्रिविलेज का मामला न आए और प्रिविलेज न बने तो कम से कम उस कमेटी को प्रिविलेज सम्बन्धी साहित्य ही दिलवा दिया जाय ताकि वह उस काम में लगी तो रहे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

मान्यवर, आपने जो कहा वह शिरोधार्य है। मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी से यह कहूंगा कि आपके हाथों में हमारे प्रिविलेजेज इतने सुरक्षित हैं कि उनकी अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

वास्तव में अगर आप की यह भावना है, तो मैं उसका आभारी हूं।

खाद्य मंत्री द्वारा कथित गलतबयानी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक माननीय इन्द्रलाल जी का विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव इस प्रकार है :--

"नियम ६४ के अन्तर्गत मैं यह सूचना देता हूं कि कल दिनांक १४-७-६७ को, किसानों से जबरन लेवी वसूल करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत उठाए गए प्रश्न पर माननीय खाद्य मन्त्री जी ने, जिला नैनीताल की स्थिति पर अपना जो वक्तव्य सदन में दिया है, वह वक्तव्य बिल्कुल असत्य तथा आधार रहित जानबूझ कर दिया है।

खाद्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में नैनीताल जिले पर ६वें लाइन में--"केवल पूरे जिले में ५५ उत्पादकों से ४३१ क्विंटल अनाज जबरन डाज दे कर लिया गया, परन्तु यह भी नोटिस देकर किया गया" मगर यहां पर यह वक्तव्य स्पष्ट नहीं दिया कि किस तारीख के बाद नोटिस दिये गये और किन-किन से जबरन गल्ला वसूल किया गया। जबकि मन्त्री को वसूली से पीड़ित किसानों के रजिस्टर्ड पत्र तथा तार से अधिकारियों के किए जा रहे जुल्मों की पूर्ण सूचना थी, किन्तु वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया।

सही तथ्य यह है कि माह जून के अन्दर ही माल अधिकारी पुलिस दल के साथ किसानों को डरा धमका कर जबरन गल्ला लेते रहे और मनमानी रूप से बन्दूकें उठा लेना, तलाशियां करना साधारण दिनचर्या रही। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सर्वश्री दौलतराम शिवराम, ग्राम पानपुर, तहसील हल्द्वानी को तहसील से जारी की गयी १९-४-६७ को सूचना से १५ क्विंटल लेवी लगाई, जब २ क्विंटल अनाज १-६-६७ को जमा किया गया था। तो कम होने के बजाय अवधि के भीतर ही तहसील से १९६ को ३ दिन का एक नोटिस दिया जाता है कि २१ क्विंटल जमा कर दो वर्ना कानूनी कार्यवाही कर दी जायगी।

इसी प्रकार सर्वश्री पंडित बद्रीनारायण मिश्र जो भूतपूर्व एम० एल० ए०, ग्राम प्रतापपुर, तहसील किच्छा के मकान में घुसकर सभी अनाज उठा ले गए तथा ग्राम सभापति हल्द चौड़दीना में श्री खीमानन्द दुमका की बन्दूक व लाइसेन्स अवधि के भीतर ही बिना किसी नोटिस उठा ले गए। इसी भांति और भी कई ज्यादतियां हुई हैं जिन्हें माननीय मन्त्री जी ने तथ्यों को छिपाते हुए सदन में गलतबयानी की है, जिस के लिए मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं। कृपया हुतुमति प्रदान करेंगे।"

माननीय इन्द्रलाल जी कृपया बतायेंगे कि इसमें विशेषाधिकार की बात क्या हुई? माननीय खाद्य मन्त्री ने कुछ बातें यहां कहीं और आपने उसमें से कुछ बातें और निकाल कर जोड़ दी हैं।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मन्त्री ने सदन में यह कहा था कि ३० जून के पेश्तर किसानों से जबरन कोई लेवी वसूल करने की कार्यवाही नहीं हुई जिसके खिलाफ मैंने १९-६-६७ को सर्टिफाइड कापी लगा रखी है और २६ जून को इस हाउस में माननीय मन्त्री ने घोषणा की थी कि जहां ५० परसेन्ट ओलों से नुकसान हुआ है वहां की जनता से कोई लेवी नहीं लेंगे जबकि सरकार ने ओला पीड़ितों को हजारों रुपए वहां सहायता के रूप में स्वीकृत किये।

श्री अध्यक्ष--

अब आप उस भाषण का विस्तार न कीजिए, तथ्य बता दीजिए।

श्री इन्द्रलाल--

तथ्य तो यह है कि १७-४-६७ को जब १५ क्विंटल की एक नोटिस पानपुर के दौलतराम-शिवराम को दी गयी तो १९-६-६७ को मनमानी नोटिस जाती है केवल तीन दिन के लिए। दूसरे हल्दूचौड़ के सभापति साहब हैं जिनके यहां २८-६-६७ को ही उनके यहां धावा बोल दिया गया। उनकी बन्दूक और लाइसेन्स ले लिया गया और अभी तक बन्दूक वापस नहीं मिली। इसी प्रकार अन्य लोगों को भी डराया धमकाया गया। इसके अलावा किछा में पं० बद्रीनारायण मिश्र, भूतपूर्व एम० ए० ए० ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मैं घर पर नहीं था। मेरी पर्दानशीन औरत को डराया धमकाया अन्दर घुसकर सभी अन्न उठा ले गए। यह तानाशाही नहीं तो क्या है?

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यदि आप की आज्ञा हो तो केवल एक शब्द निवेदन करना है कि आप जो इस समय निर्णय देने जा रहे हैं वह बड़े महत्व का निर्णय होगा क्योंकि वह इस बात का निर्णय करेगा कि सदन को अधिकार है कि मन्त्रियों द्वारा सच्ची घटनायें पा सकें या नहीं या मन्त्रियों को यह अधिकार है कि वे सदैव झूठ बोलते रहें। माननीय मन्त्री जी ने आपके सम्मुख हजारों बार दोहराया है कि जितनी लेवी वसूल कर रहे हैं किसान प्रेम से दे रहा है। माननीय सदस्य ने आपको सबूत दिया है कि लोगों की बन्दूकें छीन ली गयी हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। तो श्रीमन्, जो भी निर्णय आप देंगे उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सदन को सच्ची बात जानने का अधिकार है या नहीं वरना मन्त्रियों को झूठ बोलने का अधिकार सदैव के लिए प्राप्त हो जायगा।

श्री इन्द्रलाल--

केवल एक बात मुझे कह लेने दीजिए। मैं कह रहा था कि ५ जुलाई को हल्द्वानी से एक टेलीग्राम खाद्य मन्त्री जी को दिया गया कि किसानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं आप इसे रोकिए। इस सूचना का उन्होंने सदन में कोई उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड पत्र द्वारा ३०-६-६७ को माननीय खाद्य मन्त्री जी के पर्सनल नाम पर आयी हैं और वहां के जिलाधीश और पुलिस परिंटेंडेंट को भी शिकायत की प्रतियां दी गयी हैं और भी कई सूचनायें उनको ज्ञात थीं लेकिन उनमें से किसी का भी यहां पर उल्लेख न करते हुए केवल जिले से जो गलत सूचना दी गयी है उसी को यहां बताया है और दूसरी तरफ की सही शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपया इस पर अपना निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, प्रश्न यह है कि इसमें जो प्रश्न था नियम ५१ के अन्तर्गत जिसकी मैंने अनुमति दी थी और जिस पर मैंने विभिन्न जिलों के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अपेक्षा की थी वह और अब जितनी बातें माननीय इन्द्रलाल जी ने कहीं वह एक एडिशनल इन्फार्मेशन है। जैसे इन्द्रलाल जी अपनी बातें कह रहे थे मैं इसको देख रहा था। इस में कोई ऐसी बातें नहीं हैं जिनका खंडन आपकी सूचना के द्वारा हुआ।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

आप जो फैसला सुनाने वाले हैं, उस से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष--

उसके पहले का तो अवसर अब रहा नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम--

मेरा निवेदन केवल यह है कि इन दोनों पक्षों को अपने चेम्बर में सुनने के बाद कोई निर्णय दें, तो शायद ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक इसका सम्बन्ध है, माननीय इन्द्रलाल जी ने जो आरोप लगाए यह एक सूचना है, एडीशनल फैक्ट है लेकिन इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जो माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य पढ़ा था नैनीताल के सम्बन्ध में, उससे इसका खंडन होता हो। ऐसी शक्ल में मैं इसको विशेषाधिकार का प्रश्न तो मानता नहीं हूं। अब माननीय गौतम जी ने जो बात कही, उनका मैं बड़ा आदर करता हूं, बड़ी अच्छी चीज है। जिस तरह के विशेषाधिकार के प्रश्न आ रहे हैं और आगे आयेंगे तो कदाचित् मैं यही करूंगा, जहां तक सम्भव होगा, चेम्बर में ही जो सज्जन विशेषाधिकार की सूचना देंगे और जो सम्बन्धित मन्त्री या सदस्य होंगे, जिनके खिलाफ वह सूचना दी जायगी, तो अधिकतर मैं इसी सलाह को मानूंगा कि उनसे बात कर लूं। आगे के लिए नियम केवल इतना अपेक्षित है कि यदि मैं चाहूं तो उन सज्जन से जिन्होंने विशेषाधिकार की सूचना दी और जिनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठे, उन दोनों को सुनकर अपनी राय दूं। अब कहां मैं उनको सुनूं, यह मेरे सोचने की बात है। तो मैं माननीय गौतम जी का बड़ा आभारी हूं। कदाचित् आगे मुझे यही करना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा जन कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे एक सूचना देनी है माननीय सदन को। एक माननीय सदस्य रामचन्द्र सिंह ने मेरे पास सूचना भेजी है कि "मैं कांग्रेस विधायक दल का सदस्य था, उससे अब मैंने त्यागपत्र दे दिया है और जन कांग्रेस दल में शामिल हो गया हूं। कृपया सदन में घोषणा कर दी जाय।"

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २६,३१,७०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क--के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २६,३१,७०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०--राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १७,४५,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०--राजनैतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १७,४५,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४--राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय-के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५१,४७,२०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४--राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय-के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५१,४७,२०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन

*श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन-के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९८,५८,९०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। तथा

अध्यक्ष महोदय मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन-के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,००,१२,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान संख्या १० और ११ जिनके सम्बन्ध में मैंने माननीय सदन के सामने अभी प्रस्ताव रखा है उनमें से पहले अनुदान में वे खर्चे आते हैं जो सचिवालय (सेक्रेटेरियट) के ऊपर होते हैं। इसमें मिनिस्टर्स भी हैं, गवर्नर, पी० एस० सी०, बोर्ड आफ रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट जजेज कोर्ट और भूमि सुधार से सम्बन्धित जो खर्चे हैं वे सभी इसमें शामिल हैं। अनुदान संख्या ११ में कमिश्नर और कलेक्टरेट के खर्चे शामिल हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड डिवीजन है, उसका यहां से प्रबन्ध होता है वह भी शामिल है। यह मोटे-मोटे मद हैं जो मैंने आपकी इजाजत से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

सदन के सामने रखे हैं। यह ब्रेक अप है। उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश का माप दण्ड (स्टैन्डर्ड) क्या होगा. क्षमता कैसी होगी, यह काफी बड़े अंश में निर्भर करता है सामान्य प्रशासन पर जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, उसके पैमाने पर। अध्यक्ष महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी सामान्य प्रशासन का वह स्तर और वह उसकी क्षमता नहीं रह गई है, जिसकी हम आशा करते थे। कुछ लोगों का खयाल यह है कि कुछ पहलुओं में या कुछ दशाओं में जिसकी हम आशा करते थे वैसा मापदंड नहीं बन पाया है बल्कि कुछ घट गया है, हमारा पैमाना (स्टैन्डर्ड) कुछ नीचे हुआ है। जनता और हम सबको निराशा हुई। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबके सदस्यों को निराशा हुई कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्वप्न देखा करते थे वह बजाय पूरे होने के धीरे धीरे सब भंग होते जा रहे हैं। खैर, यह कहानी तो लम्बी है। उसके कारण बहुत से हैं। हमारे कर्मचारियों को अपने अपने विभाग में कार्य क्षमता से काम करना है। भिन्न भिन्न दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। मैं केवल यह अर्ज कर रहा था कि सामान्य प्रशासन के जो मापदंड हैं, उनका असर दूसरे मुहकमों पर भी पड़ेगा। मेरा इरादा केवल दोनों अनुदानों को पेश करने का था, बोलने का इरादा बिलकुल नहीं था लेकिन अभी मैंने यह निश्चय किया कि कुछ थोड़ा सा गवर्नमेन्ट जो कुछ कर पायी है अपनी कठिनाइयों के बावजूद वह सदन के सामने पेश किये देता हूं और तफसील के साथ जब माननीय मित्रों के सुझाव और आलोचनायें प्राप्त हो जायेंगी तो कल शाम को जवाब दूंगा।

बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी, अंग्रेजों के जमाने से, आल इंडिया नेशनल कांग्रेस की और जितने देशभक्त थे, सार्वजनिक काम करने वाले थे उनकी, कि जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव का कम्प्लीट सेपरेशन हो, एक आदमी के हाथ में अदालती और एक्जिक्यूटिव दोनों पावर्स न आयें। इस मांग का औचित्य अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा समझ में आता था क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में शासन सूत्र नहीं था। जब जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में वह सूत्र आ गया तो जो थोड़ी बहुत अफसरों के हाथ में पावर्स हैं जुडीशियल और एक्जिक्यूटिव उनका दुरुपयोग होने की सम्भावना बहुत कम रह गयी है। वैसे तो ऐसे अधिकार बहुत कम हैं जो प्रिवेंटिव सेक्शन हैं १०१, ११७, १०९ और ११० वगैरह, जो एस० डी० ओ० होता है उसके हाथ में यह पावर्स हैं, वह एस० डी० एम० भी होता है। रेवेन्यू के मामले में भी उसको पावर्स हासिल हैं और मैजस्टीरियल पावर्स भी। उसको १०७, ११० वगैरह के मुकदमे करने का अधिकार होता है यह सेमीजुडिशियल कार्यवाही है। मेरी इनफार्मेशन के मुताबिक यह ऐसी पावर्स हैं जिनको कहा जा सकता है कि जुडीशियल और एक्जिक्यूटिव एक अफसर के हाथ में कम्बाइंड हैं। मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में हो। लेकिन फिर भी यह मांग थी। इस मांग को पूरा करने की कोशिश की जो हमारी पहले गवर्नमेन्ट थी, १९४६ से लेकर अब तक उन्होंने कोशिश की। उन्होंने जुडीशियल अफसरों की नियुक्ति की जिनके हाथ में केवल न्यायिक कार्यवाही करने का, मुकदमों की समाप्ति और फैसला करने का अधिकार हो और जिनके हाथ में एक्जिक्यूटिव पावर्स न हों। लेकिन जनहित को दृष्टि में रखते हुये और कुछ मसलहतों से उनको रखा गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन। वह हाईकोर्ट के अधीन नहीं हैं जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट जजेज और मुंसिफ वगैरह होते हैं। लेकिन मांग बराबर चल रही है कि कम्प्लीट सेपरेशन होना चाहिये। तो अभी यह इन्कम्प्लीट सेपरेशन है। इसमें यह संकेत किया जाता है कि जूडिशियल आफिसर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन नहीं होना चाहिये, उनके ट्रान्सफर वगैरह का जो अधिकार है वह हाई कोर्ट को होना चाहिये। यह भी कि जो वह प्रिवेन्टिव सेक्शन्स हैं, उनका अधिकार भी जो जिस तरह से अमल होता है उसमें कुछ चेन्जेस होने चाहिये। इस डिमान्ड को दृष्टि में रखते हुये गवर्नमेन्ट ने वसूल में यह तय कर लिया कि हम इसका परेशन लोगों की मांग को दृष्टि में रखते हुये करेंगे। जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव को अलग अलग करने का निश्चय उसूलन गवर्नमेन्ट कर चुकी है। अब उसके अमल में क्या क्या कठिनाइयां हैं और इस फैसल के कान्सीक्वेन्सेज के तौर पर क्या क्या तब्दीलियां कानून में हों या प्रशासकीय

आदेश क्या देने की आवश्यकता या ऐडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या करना आवश्यक है, इस पर विचार करने के लिये गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की है। वह कमेटी कई बार अपनी बैठक कर चुकी है। और मेरा अनुमान है कि उस कमेटी की रिपोर्ट बहुत शीघ्र ही इस महीने में गवर्नमेंट को हासिल हो जायेगी, तदनुसार सरकार कदम उठायेगी। तो एक कदम तो गवर्नमेंट ने सामान्य प्रशासन के अधीन यह किया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात सितम्बर, १९६६, में पिछले मंत्रिमंडल ने यह तय किया था कि साढ़े तीन सौ रुपये जिन पदों का मैक्सिमम वेतन होता है उनमें से कुछ जगहों को लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से हटा लिया जाय और उन पदों पर गवर्नमेंट कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। अध्यक्ष महोदय, किन्तु अब इस गवर्नमेंट ने यह तय किया कि शासन की निष्पक्षता को दृष्टि में रखते हुये और जो उम्मीदवार हैं उनको यह मालूम हो कि उनके साथ बिलकुल निष्पक्ष व्यवहार होगा, इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। जो सेलेक्शन कमेटी चुनाव के लिये गवर्नमेंट की तरफ से होती है वह चाहे जितनी ईमानदार और निष्पक्ष क्यों न हों बहुधा लोगों का उसमें पूरा विश्वास नहीं रहता है। लोगों को यह विचार बना रहता है कि इन कमेटियों में मेरिट के अलावा और चीजों का कान्सिडरेशन होता है। जनता की इस भावना को दृष्टि में रखते हुये इस गवर्नमेंट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है और सारे इस मसले को पी० एस० सी० के सुपुर्द कर दिया गया है।

तीसरी बात जो काबिले जिक्र है, वह यह है कि कुछ पद हमारे कलेक्ट्रेट में ऐसे थे जो अब तक ट्रांसफरेबुल नहीं थे और उन पदों पर जो लोग काम करते हैं, उनके हाथ में बड़ी शक्ति होती है। गांवों के गरीब आदमियों का तो अधिकतर उन्हीं से ताल्लुक रहता है। अधिकांश जनता जो ग्रामों में रहती है, उसका सम्पर्क डाइरेक्टर या आई०जी० से नहीं होता है; उनका अधिकांश सम्पर्क कलेक्ट्रेट के दफ्तरों से ही रहता है। अपने जिले में अपने कलेक्ट्रेट में जो दफ्तर होते हैं सर्वसाधारण का उनसे सम्बन्ध रहता है, तो हमने उन सबको ट्रान्सफरेबुल करार दे दिया है। जैसे कलक्टरेट का स्टेनोग्राफर होता है, उसे बड़ा बड़ा अधिकार होता है। वह २०-३०, ३५-३५ वर्ष तक जब तक रिटायर नहीं होता अपने पद पर बना रहता है एक ही स्थान पर। कोई भी कलेक्टर आये, वह रहता है। वह पुराना और अनुभवी हो जाता है और जब कभी नया कलेक्टर आता है तो वह अपने अनुभव का उसकी अपेक्षा, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। पर्सनल इक्वेशन अगर कुछ उलट पलट गया तो वह स्टेनोग्राफर बहुत दिनों तक कलेक्टर पर हावी रहता है। इसी तरह से नाजिर का पद भी ऐसा ही है, जो एक बहुत बड़े असर का आदमी होता है। इसी तरह से रेवेन्यू असिस्टेन्ट होते हैं। रेवेन्यू और जुडीशियल असिस्टेन्ट हैं, और भी पदाधिकारी हैं। अब ये लोग डिवीजन के अन्दर ५ साल के बाद काबिल तबादला हो जायेंगे। एक ही जगह रहने से जो वेस्टेड इंटेरेस्ट हो जाते हैं और अपने नालेज और तजुर्बे के बल पर अकसर हावी हो जाते हैं और जिनके हाथ में बड़े-बड़े अधिकार होते हैं, जिनका लाखों आदमियों से वास्ता पड़ता था अब तक वे ट्रान्सफरेबुल नहीं थे अब वह ट्रान्सफरेबुल होंगे। और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सुनकर खुशी होगी कि वे अब काबिल ट्रान्सफर कर दिये गये हैं।

अवकाश ग्रहण की आयु की सीमा जो हमारे यहां है वह एक प्रकार से ५५ है और एक प्रकार से ५८ है। आज स्थिति यह है कि वह ५८ है लेकिन शर्त यह है कि ५५ वर्ष के बाद कोई अधिकारी या कर्मचारी ५८ वर्ष तक जा सकता है जिसका रिकर्ड 'एबव दि ऐवरेज' हो। पहले तो यह था कि 'बिलो दि ऐवरेज' न हो अब कुछ दिनों से हो गया है कि 'एबव दि एवरेज' हो। अब यह औसत कौन आंके? हर एक का अपना जजमेंट होता है और प्रायः इसीलिये सभी ५८ तक जाते थे। साल भर हुआ कि गवर्नमेंन्ट ने उसको 'एबव दि ऐवरेज' कर दिया। अब इसमें भी वही बात आयी, परसनल जजमेंन्ट की बात इसमें भी एलिमिनेट नहीं हुई। डाइरेक्टर्स, हेड्स आफ डिपार्टमेन्ट्स, सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स भी, इनको यह तय करना पड़ता है और वे सारे

[श्री चरणसिंह]

कागजात इन्दराज जो चरित्र तालिका में देखकर तय करना पड़ता है कि फलां आदमी एबव दि ऐवरेज है या नहीं। मान लो कि १० साल पहले किसी का इन्दराज अच्छा नहीं है, लेकिन बाद के ५ साल का बहुत अच्छा है तो इसको एबव दि ऐवरेज कहा जाय या नहीं। तो इसमें इतने डिटरमिनेंट्स हैं जिनको विचार में रखकर डेसीशन लेना पड़ता है। फिर इसमें कितने प्रेशर्स भी आते हैं। इस बीच में कितना अच्छा काम करते थे पहले खराब काम करते थे वगैरह-वगैरह। गवर्नमेन्ट इस पर विचार कर रही है लेकिन किसी डिसीजन पर पहुंची नहीं है कि एक दम ५५ कर भले दें या नहीं। हम उसके माल ले इकट्ठे कर रहे हैं कि हमारे पहले के नियम का क्या असर पड़ा है। अगर उस पर अमल हो रहा है तो कितना। तो यह सब आंकड़े हमारे सामने आ जायं सब डिपार्टमेन्टस से मांगा है कितने आदमी ५५ पर हो गये, कितने ऐक्चुअली रिटायर हो गये और कितनों को आपने एबव ऐवरेज माना है। वे सब आंकड़े आ जायेंगे तो गवर्नमेन्ट निश्चय करेगी। मेरा कहना का मतलब यह है कि यह प्रश्न कि अवकाश प्राप्त करने की आयु ५५ कर दी जाय या नहीं यह गवर्नमेन्ट के ऐक्टिव कंसीडरेशन में है।

अध्यक्ष महोदय, एक सर्कुलर अभी यहां से डिपार्टमेन्ट्स के हेड्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास गया है और उनको सुझाव दिया है सम्बन्धित नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कि आप यह तय करें कि जिस आदमी के काम से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही होगी, आप क्या-क्या कार्यवाही कर सकते हैं। अक्सर कुछ कर्मचारियों और पोलीटिकल वर्कर्स को भी यह कहते हुये मैंने सुना है कि यह डिमोक्रेसी है और डिमोक्रेसी में ऐक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है, डिमोक्रेसी में जो करप्ट आफिसर्स हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लेना सम्भव है। जरा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत आदमी करना नहीं चाहता। आदमी तो आराम का रास्ता चाहता है। लेकिन अगर नियम के अनुसार मैटिरियल इकट्ठा है तो कार्यवाही की जाय। डेमोक्रेसी में भी एफिशियन्ट एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया जा सकता है और हासिल किया जा सकता है। तो इस सम्बन्ध में हमने ७, ८ बातें बतलाई हैं। मैं आपकी इजाजत से ३, ४ बातें गिनाये देता हूं। कोई टेम्पोरेरी आदमी हैं और ऊपर के अधिकारी उसके काम से खुश नहीं है तो रूल्स यह अधिकार देते हैं उस नियुक्त करने वाले अधिकारी को कि बिना कारण बताये एक महीने का नोटिस उसको दे दें या एक महीने की उसको तनख्वाह दे दें। अगर कोई जवाब तलब होता है तो उस जवाब तलब के सम्बन्ध में डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के अनुसार काम करना पड़ेगा। गवर्नमन्ट में बहुत से केसेज ऐसे हुये हैं कि अधिकारियों की तरफ से गलती हुई। वर्षों बाद मामला हाईकोर्ट में गया और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा प्रोसीजर गलत है लिहाजा रिइन्सटेट करो। इस तरह से हजारों लाखों रुपया देना पड़ता है। तो उनसे कहा गया है कि एकदम मालूम करो। अगर कोई परमानेन्ट गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है तो उसकी बाबत यह अधिकार है, अंग्रेजों के जमाने से यह नियम है जिसको गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स में दिया है कि कोई कर्मचारी अगर ५० वर्ष का हो जाय या २५ वर्ष का उसका सेवाकाल हो जाय और उसकी एन्ट्री आम तौर पर अच्छी न हो तो उसका कम्पलसरी रिटायरमेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से ५५ साल के बाद जिन लोगों को ५८ साल तक रहने का मौका है, एबव एवरेज होने से मौका दिया जाय उनको भी ३ महीने का नोटिस देकर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई मातहत कर्मचारी है उसकी बाबत अफसर को यह विश्वास है कि यह आदमी स्वच्छ नहीं है, भ्रष्ट है लेकिन यह सोचता है कि इसके खिलाफ ऐक्शन क्या लिया जाय, सबूत नहीं है, भ्रष्टाचार का साबित करना आसान बात नहीं होती तो उसके लिये हमने उनको सुझाव दिया है कि ऐसे लोग जिनके बाबत तुमको यह खयाल है कि यह करप्ट है लेकिन तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो फिलहाल उनको दूर ट्रान्सफर किया जा सकता है।

तब्दीली भी बहुत दूर हो जाना सरकारी कर्मचारी के लिये डिस्प्लेजर का कारण होता है और उसको अच्छा नहीं लगता। उसमें भी जिनकी बाबत आप कन्विन्स्ड हो और आप यह

समझते हों कि करप्ट हैं और सबूत भी है और अधिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं तो इस बीच में वह काफी करप्शन कर सकता है । इसके लिये यह सुझाव दिया है कि जिनकी बाबत उनको सबूत मिल जाय या कन्विन्स्ड हों कि यह आदमी करप्ट है तो उसको एक दम सस्पेंड कर सकते हो अन्डर रूल्स । यह जरूरी नहीं है कि तहकीकात करायें और रिपोर्ट आ जाय तो तब कार्यवाही करें । वे अपनी अथारिटी से ऐसे केसेज में उनको एक दम सस्पेंड कर सकते हैं । तहकीकात होती रहेगी । सस्पेंशन की तनख्वाह उनको मिलती रहेगी । ५० फीसदी वेतन का जो नियम है वह इस दौरान उनको मिलता रहेगा । तो हमने अपने यहां से इस प्रकार के सुझाव देते हुये जिलों में तथा जो डिपार्टमेन्ट प्रमुख लोग हैं, अप्वाइंटिंग अथारिटी हैं उनके पास सर्कुलर भेजा है । बहुत ताकीद के साथ उनसे यह कहा है कि जनता यह जानती है कि वह गरीब है और गरीबी मिटाना आसान नहीं लेकिन सिर्फ क्लीयर ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं । एक सर्कुलर इस सम्बन्ध में अभी यहां से गया है । पिछली गवर्नमेन्ट के जमाने में १८ हजार कर्मचारियों को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया था, जो जरूरत से ज्यादा समझे जाते थे उनमें से ५ हजार कर्मचारियों को एबजार्ब किया जा चुका है या किये जा रहे हैं । १३ हजार आदमी, अध्यक्ष महोदय, ऐसे हैं जिनकी, गवर्नमेन्ट की राय में, जरूरत नहीं है, सरप्लस हैं । यह पुराना डिसीजन है और ३,००० के मुताल्लिक इस मौजूदा गवर्नमेन्ट ने फैसला किया है कि वह सरप्लस हैं और उन का रिट्रेन्चमेन्ट होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं गालिबन पहले अर्ज कर चुका हूं और फिर दोहरा देना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट की नीति यह रही कि अधिक से अधिक इकानामी हो लेकिन कम से कम रिट्रेन्चमेन्ट हो और जिन का रिट्रेन्चमेन्ट हो उनको हतुलइमकान यथा शक्ति दूसरी जगह देने की कोशिश की जाय । तो इस वक्त ३,००० आदमी कुछ बैठते हैं जो हमारे इकानामिक प्रपोजल्स के नतीजे के तौर पर रिट्रेन्च होने वाले हैं । उनम हमारी महिला मंगल योजना की महिलायें भी हैं, सूचना विभाग के आदमी भी हैं और कुछ इंडस्ट्रीज के आदमी हैं । उनकी कुल तादाद ३,००० है । मेरे सहयोगी राम प्रकाश जी ने और प्रताप सिंह जी ने महिलाओं को एब्जार्ब करने के लिये क्या-क्या रास्ते खुले हैं, यह सब बतला दिया है । मैंने तो यह कहा था कि यथाशक्ति उनको एब्जार्ब किया जायगा, लेकिन मेरे मित्रों ने जो आंकड़े दिये हैं उन से जाहिर होता है कि अगर वह क्वालिफाइड हैं, और अगर वे जरूरी ट्रेनिंग हासिल कर लें तो सब की सब एब्जार्ब हो जायेगी । इसी सिलसिले में यह जो सत्याग्रह है, या जो फास्टिंग हो रही है, उसकी बाबत में अपने विचार फिर दोहराना चाहता हूं । आज हम लोग बिला लिहाज एक दूसरे के राजनीतिक मतभेदों के, उन को भुलाते हुये, अगर देश की स्थिति पर विचार करें कि वह कहां पहुंच चुका है, हमारा शासन कैसा है, हम कितने गिर चुके हैं, तो इस बात में सभी एक मत होंगे । हमारे यहां, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि बड़े से बड़े प्रश्न हों, उस पर सरकार ने फैसला कर लिया हो । मान लो कि किसी स्टेट का मसला है और सरकार ने फैसला कर लिया है कि ये दो स्टेट अलग नहीं होंगे । ऐसा होना देश के हित में है । उस के लिये प्राइम मिनिस्टर का एलान है, फैसला है, लेकिन उस के बाद एक साहब ने फास्ट कर दिया । बदकिस्मती से उन का देहान्त हो गया । अगले दिन स्टेट अलग हो गया । इस के अलावा कर्मचारियों का मामला है । उन्होंने हड़ताल की । मांगें माकूल थीं, इसलिये हड़ताल होने से पहले मान ली जानी चाहिये थीं । हड़ताल के एक दो दिन बाद भी मान लेनी चाहिये थीं । नहीं । वे हड़ताल पर गये । जलूस निकाले गये, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मुर्दाबाद के नारे लगने लगे । उनकी इफीजी जलाई गयी और उसके बाद उन की पूरी मांगे मान ली गयीं । इसी तरह से यह केस है । धमकियां दी जाती हैं कि हम अपना आत्मदाह कर लेंगे अगर फलां काम नहीं हुआ । आत्मदाह की नौबत नहीं आयी, आत्मसमर्पण हो गया । तो बड़े फैसले अगर मेरिट्स पर लिये जायं तो ठीक हो सकता है । आज फैसले आत्मदाह की धमकियों के बाद उस के नतीजे के तौर पर लिये जा रहे हैं, तो इस का असर क्या पड़ेगा ?

स्टूडेन्ट्स का मामला है । उनकी कोई डिमांड है, रीजनेबिल या अनरीजनेबिल, अगर वह बहुत जबरदस्त एजीटेशन कर दें तो मान ली जायगी । सरकारी कर्मचारियों का मामला है,

[श्री चरन सिंह]

मजदूरों का मामला है। वन की जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने का मामला है। अगर उस कब्जे को हम रहने देते हैं तो धीरे-धीरे और लोग भी कब्जा कर लेंगे और अगर वन न रहे तो देश की इकानामी को बड़ी हानि होगी। आने वाले नस्लों के लिये वह बहुत बड़ा नुकसान होगा। जहां जलूस निकले, जहां एजीटेशन हुआ, जहां किसान और मजदूर का सवाल आया, यदि उसके लिये मैं सेंटीमेंटल शब्द कहूं तो अनुचित न होगा, हम सबके सब, सभी पार्टियों के लिये सेंटीमेंटल हो जाते हैं और हम पूर्ण सरेंडर कर देते हैं। झुग्गी वाले हैं देहली में बैठे हैं, म्युनिसिपैलिटी में बैठे हैं, अगर इनको म्युनिसपल ऐडमिनिस्ट्रेशन हटाता है तो पार्टी बीच में आ जाती हैं। इसी तरह से तराई के जमीन के रहने वाले हैं। सबकी कोशिश यह रहती है कि हमारी बात मान ली जाय और अगर मान लेंगे तो हम पापुलर हो जायेंगे। लेकिन इस पापुलैरिटी, इस इमीजिएट गेन और प्रलोभन और लालच की वजह से ५१ करोड़ आदमियों का देश और समाज की हालत कितनी खराब होती जा रही है? क्या कहूं? मेरा कहना यह है कि कानून पर अमल होना चाहिये। अगर खराब है तो बदल दीजिये, किसी इम्भीजिएट कम्पलशन या प्रेशर में नहीं, सोच विचार के बाद—और कानून का सख्ती से अमल कीजिये तब ५१ करोड़ आदमियों का देश जिसमें गरीबी है, अज्ञान है और अत्यन्त नातर्जुबेकारी है, सैकड़ों वर्ष से गुलामी और प्रशासन की कमी रही है, इस देश में भविष्य बहुत अन्धकारमय है वह सुधर सकता है। मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग आत्मदाह की धमकी देने वाले हैं। मुझको, आपको, सबको विचार करना है कि आत्मदाह के जरिये से, आत्मदाह की धमकी देकर जो कि लेजिस्लेचर का फैसला नहीं, अदालत का फैसला नहीं, गवर्नमेन्ट का फैसला नहीं, मामले की मेरिट से कोई फैसला नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि कितने आदमी धमकी देते हैं और बदकिस्मती है इस देश की और अभाग्य है कि हमारे ही कुछ साथी, हमारे पब्लिक वर्कर्स अच्छे से अच्छे कोई न कोई इस गलत काम के करने वालों के साथ मिल भी जाते हैं। तो मेरी इन मित्रों से और उन मित्रों से दरख्वास्त है कि हमारे राजनीतिक मतभेद कितने ही गहरे और तीव्र हों, उन सब बातों को ताक पर रख कर यह देखना है कि सैकड़ों वर्ष के बाद इस मुल्क के रहने वालों के हाथ में राजनीतिक सत्ता आयी, उसको हम कैसे चलाते हैं। २० साल का जो ट्रायल हो चुका है वह जाहिर करता है कि हम फेल हो गये हैं। अगर हमें विश्वास है कि हमारे देश का भविष्य उज्वल होगा तो हम सब को यह दृष्टिकोण बदलना होगा, अपने हित में नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के हित में, वरना यह देश बिखर जायगा।

मैं कह रहा था कि महिलाओं का सत्याग्रह हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिर्फ यह चाहती हैं कि आप जाकर कह दीजिये, श्री झारखंडे राय, जयराम वर्मा जी, रामप्रकाश जी कह दें, उनका मुहकमा है। लेकिन जब यहां ऐलान हो गया कि वह सब ले ली जायंगी, सिर्फ मैंने कहा कि हतुलइम्कां ले ली जायंगी। मेरे मित्रों ने कहा कि सब ले ली जायंगी। उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन जितनी जगहें खाली हैं वह उन सबसे भी ज्यादा हैं तो फिर क्यों हो रहा है सत्याग्रह? सिर्फ यह चाहती हैं कि हम कह दें कि आप फास्ट छोड़ दीजिये। कहते हैं कि आपका क्या हर्ज है आप तो बड़े जिद्दी हैं, आप जरा चले चलिये। जिद का सवाल नहीं है। क्या मैं नहीं जानता हूं, मेरी बेटियां नहीं हैं? सिर्फ सवाल यह है कि यह उसूल की बात है। अगर मैं जाकर कहता हूं, गवर्नमेन्ट जाकर कहती है और वह तोड़ती हैं तो कल को १० और भाई बैठ जायेंगे। मेरे शेडो ने मुझे एक बड़ा अच्छा मशविरा दिया। महीने भर की बात है, एक शामियाना लग रहा था, मैंने पूछा कि यह क्या है तो बताया कि पता नहीं न मालूम क्या है, दस्ते वाले बैठते थे तो उनका है। तो उसने कहा कि गुस्ताखी माफ हो तो एक सुझाव देता हूं कि यहां एक पक्का कोप-भवन बनवा दीजिये। नोटिस देकर वे गवर्नमेन्ट से रिजर्व करा लें कि हमको फास्ट करने के लिये या आत्मदाह करने के लिये चाहिये। तो यह मैंने बताया इम्पलाइज के सिलसिले में।

पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है इसलिये एक दो शब्द में उस सिलसिले में भी अर्ज कर देना चाहता हूं। हमारे हरिजन भाइयों की यह मांग थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में दरिद्रवर्ग का एक नुमाइन्दा बनाया जाय। जैसा कि यहां कई मौकों पर मैं कह चुका हूं, एक सीनियर राज्य कर्मचारी को जो कि हरिजन वर्ग के संबंध रखता है, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बना दिया है।

अध्यक्ष महोदय, करप्शन दूर करने के लिये, करप्ट आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करने की ओर हमने क्या किया है, मैं इस सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। फरवरी, ६७ में सतर्कता आयोग में एक डायरेक्टर ६ एस० पी०, १६ डी० वाई० एस० पी० थे। अब हमने ६ एस० पी० की जगह ९ एस० पी० कर दिये हैं और १६ डी० वाई० एस० पी० की जगह २१ कर दिये ताकि जो मामले पिछले विचाराधीन हैं उनको जल्दी निबटाया जा सके और जो मामले आगे उनके सामने आये उनमें भी जल्दी फैसला लिया जा सके। इसके अलावा हमने एक एस० पी० को डिप्टी सेल्सटैक्स कमिश्नर (विजिलेन्स) का पद देकर सेल्स टैक्स कमिश्नर के अधीन नियुक्त किया है जिससे कि वह सेल्स टैक्स क तमाम मामलों को खास तौर से देखें। दूसरी बात यह कि हमने दो सेल्स मुकर्रर किये हैं एक फूड डिपार्टमेन्ट में तथा एक सेल्स टैक्स में जो यह देखेंगे कि जो राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं वे कहां कहां गलती कर रहे हैं, टैक्स का सर्वे ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, कर्मचारी किसी के साथ रियायत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, कहीं पर कानूनों में या नियमों में कोई खराबी तो नहीं है जिसके कारण काम में दिक्कत आती हो, आदि आदि बातों को वह देख कर बतायेंगे। यह कर्मचरियों पर भी निगाह रखेंगे। इसी तरह के सेल्स की नियुक्ति हाई कोर्ट के अधीन भी करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है और मेरे बहुत से मित्र इस बात से सहमत होंगे, सच्चाई चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जुडिशियरी की निष्पक्षता तथा इम्पारशियलिटी आदि के बारे में जो रेपुटेशन अबसे कुछ दिन पहले थी वह आज नहीं रही। मैं नहीं कहता कि यह सही है, लेकिन आज एटमास्फेयर ऐसा है कि जो की ईमानदारी और निष्पक्षता पर वह विश्वास नहीं है जो पहले था। मैं, अध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद में जब वकालत करता था, मुझे याद है उस समय जो चीफ जस्टिस थे, उनकी क्या ख्याति थी, क्या रिपुटेशन थी, लोगों को कितना विश्वास था। तो अगर जुडिशियरी किसी तरह से ढीली हो गयी, उस पर लोगों को विश्वास कम होने लगा तो जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता। मिनिस्टर गलती करता है, एम० एल० ए० करता है, जिला परिषद् का अध्यक्ष करता है, कलेक्टर करता है, सेल्स टैक्स कमिश्नर करता है लेकिन अभी तक लोगों का विश्वास बना हुआ है कि अगर अदालत में मामला गया तो न्याय होगा। जैसा मैंने कहा कि अफसोस की बात है कि लोगों का वह विश्वास भी डगमगाने लगा है। अभी जो चीफ जस्टिस हमारे "ओक" साहब हुये हैं, हमने उनसे पर्सनल मुलाकात करके बात कही। अब तक कठिनाई यह रही है कि अगर्चे गवर्नमेंन्ट को खतरा है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेज हैं उनकी हम इंक्वायरी करा लें सी० आई० डी० और पुलिस से लेकिन गवर्नमेन्ट यों नहीं करना चाहती। उससे हमारी जुडीशियरी की शान को बट्टा लगता है। हमको यह हिचकिचाहट रहती है कि जुडीशियरी को जब लिखते हैं तो उनके सामने उतनी बात नहीं आती। उनके सामने कितने भ्रष्टाचार हो गये, शायद उनके सामने वह बात नहीं आती। एक मनुष्य का स्वभाव यह है कि जब दूसरा आदमी बात कहता है तो उसको वह वैसे ही स्वीकार नहीं करता जब तक वह बात उसके मन से नहीं निकलती है। यह है साईकोलाजिकल रैसीस्टैन्स जिसे वह नहीं मानने को तैयार। फिर चौथी बात यह भी रहती है कि जुडीशियरी की इन्डीपैन्डेन्स को खतरा न हो जाय। हमने चीफ जस्टिस साहब से अर्ज किया कि हमारी मन्शा तो आपकी शान को कायम रखना है; आपकी ही शान नहीं बल्कि सबकी शान को कायम रखना है; आपकी शान को कायम रखते हुये करप्ट लोगों के खिलाफ कैसे कार्यवाही की जाय। हम लोगों ने सुझाव दिया

[श्री चरण सिंह]

कि एक छोटा 'सैल ईमानदार" अफसरों का उनके सुपुर्द कर दें जो हाईकोर्ट के मातहत काम करेंगे । अगर हमारे पास शिकायत आई तो चीफ जस्टिस के पास आये और उनके पास आये तो आई० जी० के । जो सेल्स हमने कायम कर दिये हैं वे हैं फूड डिपार्टमेन्ट और सेल्स टैक्स के और ये हाई कोर्ट के सबार्डिनेशन में रहेंगे । उन्होंने हमारे इस सजेशन को टर्न डाउन नहीं किया । तो, अध्यक्ष महोदय, अगर वह हो गया तो हमारी जुडीशियरी की रैपुटेशन धीरे-धीरे वह हो जायगी जो होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के दो सेल्स ट्रान्सपोर्ट और मेडिकल डिपार्टमेन्ट के कायम करने का विचार है । अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं ? ऐसा लगता है कि सभी डिपार्टमेन्ट में सैल्स कायम करने की जरूरत है । चार साल पहिले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट में २१ फीसदी गेन था । सालाना इन्कम थी । और अब १०.३६ फीसदी रह गई है । ऐसा क्यों है, क्या कारण है । बड़ी शिकायत है भ्रष्टाचार की और मुझे जिम्मेदार अफसर ने बताया कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के १२ अफसरों में से ९ अफसर ऐसे हैं जिनका चाल चलन और काम करने का ढंग एबव बोर्ड नहीं है । मतलब यह है कि यह नहीं कहा जा सकता ऐसे अफसरों से कैसे काम चलाया जा सकेगा । मेडिकल डिपार्टमेन्ट में जितने हमारे बाहर से अफसर आये हैं पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान से । जब उनका टर्म बीत जाता है, गवर्नमेन्ट की तरफ से होता है टर्म वह बीत गया, चूंकि सर्टिफिकेट मौजूद है सबका सर्टीफीकेट मौजूदा है और अगर सिविल सर्जन का या फर्स्ट क्लास अफसर का हो जाय तो आप डिसप्यूट नहीं कर सकते हैं । हाई कोर्ट में चला जाता है । चाहे कितना ही नुकसान हो हमारे देश का । यह हमारे लिये शर्म की बात है । इसलिये मेडिकल डिपार्टमेन्ट में भी एक सैल कायम करने पर हम विचार कर रहे हैं ।

डाइरेक्टर आफ विजिलैन्स की सिफारिश पर "पहली अप्रैल, १९६७, से पहले जो राज्य कर्मचारी सस्पैंड हुये उनकी तादाद, मुझे चीफ सेक्रेटरी ने लिखकर भेजा है कि जितनी जल्दी वह मालूम कर सकें हैं किया है, तीन थी । पहली अप्रैल के बाद हमने २५ अफसरों को ससपैंड किया, जिनमें से १ आई० ए० एस०, ३ पी० सी० एस०, डिप्टी कलेक्टर, १ यू० पी० पी० एस०, २ जुडिशियल अफसर, १ पी० एम०एस०, १ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर, १ डिस्ट्रिक्ट केन अफसर १ बी० डी० ओ०, १ इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के इंजीनियर, १ ओवरसीयर और ११ कर्मचारी स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के हैं जिनमें एक जनरल मैनेजर भी हैं । पहली अप्रैल, ६७ के बाद हमने ६० केसेज विजीलैन्स को नये भेजे हैं जिनकी पहले शिकायत आई थी । विजीलैन्स डाइरेक्टर ने एक खत में लिखा है कि २६ महीने से लेकर २ महीने तक के केसेज हैं जिनमें वह गवर्नमेंट को लिख चुके हैं कि इन पर कार्यवाही की जाय लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । ६० केसेज में तीन आई० ए० एस०, ३ आई० पी० एस०, ३ पी० सी० एस०, ४ यू० पी० पी० एस० और ४ इंजीनियर्स ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

३१ मार्च तक कितने केसेज प्राप्त हो चुके थे, जिनमें से ३ सस्पैंड हुये ?

श्री चरणसिंह—

यह फीगर मैं कल शाम को बतला दूंगा ।

४ इंजीनीयर्स पी० डब्ल्यू० डी० के, ६ इंजीनियर और ३ अफसर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के, ५ डाक्टर्स पी० एम० एस०, २ कोआपरेटिव डिपार्टमेंन्ट के अफसर ४ फूड और सिविल सप्लाईज के, ४ सेल्स टैक्स के ३ ट्रान्सपोर्ट के, और २ अफसर एक्साइज डिपार्टमेंन्ट के हैं, और इनके अलावा ५ केसेज सी० आई० डी० के सुपुर्द किये गये हैं । एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होल टाइम नहीं था । हमारे बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर मिस्टर मित्रा, आई० सी० एस०, पार्ट-टाइम काम करते थे । अब हमने उनको आदेश दे दिया है कि वह होल टाइम काम करें ताकि फैसले जल्दी हों । दूसरा ट्रिब्युनल और कायम करने की हम सोच रहे हैं । मद्रास में २ ट्रिब्यूनल हैं । हमने अभी तक यह सुना हुआ था कि उनका प्रशासन बहुत अच्छा है ।

मैं २ छोटी सी बातें और कहना चाहता हूं । रजिस्ट्रेशन के महकमें में बड़ा करप्शन है । मैं समझता हूं कि जब से भी यह सब रजिस्ट्रार का दफ्तर कायम हुआ होगा, बाबा आदम के जमाने से सही, तब से इसमें रिश्वत चल रही है । मेरा ऐसा खयाल है । इसकी ओर अभी हमारा बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं गया है लेकिन हमने एक कदम यह उठाया है कि मौजूदा इंस्पैक्टर आफ रजिस्ट्रेशन को कहा कि तुम अवकाश ले लो । वह चले गये और उनकी जगह एक आई० ए० एस० अफसर जिनके बाबत हमारा खयाल हैकि उसे गुस्सा है बेईमानी के खिलाफ, उसे हमने एप्वाइंट किया है । मुझे सारे सूबे का तो नहीं मालुम, लेकिन जब मैं मुजफ्फरनगर की तरफ गया था तब किसानों ने और दूसरे लोगों ने और मेरे एक मित्र मेरठ के जो थे वह आये उन्होंने भी मुझसे कहा कि अब रजिस्ट्रेशन में रिश्वत बन्द हो गई है । मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई । मैं डर के मारे तो क्लेम नहीं करता हूं कि सब जगह, सारे सूबे में, रिश्वत बन्द हो गई, क्योंकि मालुम नहीं नवलकिशोर जी और बहुगुणा जी क्या कहेंगे, लेकिन जो बात मेरे नोटिस में आई है वह मैंने अर्ज की है । लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इत्तिला मुझे मिली है वह सच हो जाय उत्तर प्रदेश के हर सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के लिये । मैंने अपने सहयोगी रामस्वरूप वर्मा जी से भी कहा है कि इधर ध्यान दें ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

इसीलिये कि आई० ए० एस० अफसर को बना दिया ।

श्री चरणसिंह—

आई० ए० एस० अफसर ने तो ४ जुलाई को जार्ज लिया और ये बातें जो मैंने सुनीं हुई बयान की हैं ये उससे पहले की हैं । मैं सोचता था कि शायद आप यही जवाब देंगे ।

तो मैंने अपने सहयोगी रामस्वरुप वर्मा जी से कहा है कि नये रजिस्ट्रार, कुछ एम० एल० एज० और मैं भी शामिल हो जाऊंगा, ये सब विचार करें कि कैसे इस विभाग में रिश्वत बन्द हो ।

श्री राममूर्ति—

जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका भी प्रोमोशन हायस्ट जगह तक हो ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

नाम हमारा लिया और बोल यह रहे हैं ।

श्री चरणसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों उम्र में मुझसे छोटे हैं हालांकि एक के बाल सफेद जरूर हो गये हैं, इसलिये उनसे मुझे कहने का ज्यादा अधिकार है ।

कोई भी अफसर हो या कर्मचारी हो, असर तो तभी होगा जबकि लखनऊ में बैठे हुए निगाह सारे सूबे में हो । यह सब कुछ इसी पर निर्भर है । त्याग और बलिदान ऊपर से होगा तो नीचे वालों पर असर होगा । वह प्रभावित कर देता है सारे समाज को । हमारी कोशिश है कि सेवा के साधन जो हमारे अधिकारी हैं उनमें से अच्छे मे अच्छे को जिम्मेदारी की जगह रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन थे, अब सही या गलत, वह यशस्वी नहीं थे । मैं नेगेटिव बात कह रहा हूं, सही या गलत । हमने उनसे कहा कि तुम अवकाश ले लो । मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वे उनको बुला कर कहें कि उनकी अब बहुत काफी सेवायें हो गयीं । लेकिन उन्होंने दो महीने की छुट्टी ले ली, यह बाद में मुझे मालूम हुआ । मैंने चीफ सेक्रेटरी को फिर बुलाया । मैंने कहा कि उनसे कहो कि दो महीने की छुट्टी से काम चलने वाला नहीं है । ऐसा मालूम होता हैकि किसी ने उनको ऐसी सलाह

[श्री चरणसिंह]

दी। लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि उनसे यह कह दो कि उनके रिटायरमेंट में ८ महीने रह गये हैं, वे ८ महीने की छुट्टी ले लें, वरना....? मैंने कहा 'वरना, कह देना। वे अब रिटायर हो गये हैं। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो डिपार्टमेन्टल हैड्स होते हैं, उनके काम करने का एक ढंग होता है एक लहजा होता है, एक आंख होती है, एक इशारा होता है, उस पर सारी बातें निर्भर करती हैं। इसलिये चाहे वह एजूकेशन हो, अथवा रैजिस्ट्रेशन हो, हमने उनमें तब्दीली लाने की कोशिश की है। अभी हमें और डिपार्टमेंटल हैड्स के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर कोई विशेष शिकायत मिली तो हम उनके खिलाफ भी ऐक्शन लेंगे। कई ऐसे डिपार्टमेंटल हैड्स थे, जिनको लखनऊ में कई-कई साल हो गये थे और उनका काम भी वैसा नहीं था जैसा कि होना चाहिये, उनको भी हमने यहां से हटा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, ये थोड़े बहुत काम हैं जो इस सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये करने की कोशिश की है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे दोषों को बतायें जरूर लेकिन शिष्ट भाषा में, कड़वाहट पैदा करने वाली भाषा में नहीं। क्योंकि अगर कोई अच्छी बात भी कड़वाहट पैदा करने वाली भाषा में कही जाती है तो उसका असर स्वाभाविक रूप से न इधर होता है और न उधर। आप कहें आप अच्छे सुझाव दें और अगर उसमें कड़वाहट न होगी तो हम लोग अवश्य ही उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे और उससे हमारा आपका ही नहीं प्रदेश का हित होगा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना--

यह सरकार नये उत्तरदायित्वों को निभाने में, इम्पार्शल, वारसेटायल, सेंसेटिव, रिस्पांसिव, एफिशियेन्ट, ईमानदार, सरल, स्वच्छ एवं किफायताशार प्रशासन देने में, दिन रात बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में असफल रही है। ला एन्ड आर्डर की दशा बहुत ही चिन्ताहोती जा रही है। प्रशासन का इस्तेमाल पार्टियों के संगठनों के लिये किया जा रहा है जितनी सुविधायें आज प्रशासकों को हमारे प्रदेश में प्राप्त हैं उतनी विश्व के किसी देश में उपलब्ध नहीं है। शासन पर प्रतिवर्ष जिस तेजी से खर्चा बढ़ता जाता है उतनी ही तेजी से प्रशासन निकम्मा, खर्चीला, भ्रष्ट और अनुशासनहीन होता चला जा रहा है। प्रशासकों में शीघ्र और सही निर्णयों को कार्यान्वित करने की क्षमता नहीं रह गयी है।

आज प्रदेश की आप जनता में यह भावना घर कर गयी है कि बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के, बिना धन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता ऐसी भावना स्वस्थ प्रजातन्त्र के लिये घातक है। वही पुराने रूल्स, वही पुराने रेग्युलेशन्स, वही पुराना ढांचा प्रदेश में प्रचलित है जो प्रदेश की प्रगति में बाधक है, उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन होना अति आवश्यक है।

(इस समय १ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रमाशंकर अग्रवाल पीठासीन हुए।)

सचिवालय उस विशाल सरकारी मशीन का केन्द्र बिन्दु है जहां से सारी गतिविधियों का संचालन होता है। सचिवालय की कार्यक्षमता, मितव्ययिता, विलम्ब को दूर कर के, कार्य को शीघ्र करने की क्षमता, विभागों के समन्वय, विभागों का डुप्लीकेशन, व्यर्थ पद, स्पेशल पे, टाप हैवी प्रशासन, लाल फीताशाही को समाप्त करने में भी यह सरकार असफल रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हजारों चपरासियों को डोमेस्टिक नौकरों की तरह प्रयोग करना जनतन्त्र और प्रशासन के लिये कलंक की बात है। ऐसी प्रथा विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलेगी। प्रदेश की सारी चनाव मशीनरी कार्यपालिका के नियन्त्रण से निकाल कर एक स्वतन्त्र संगठन का निर्माण कर केन्द्रीय चुनाव आयोग के अधीन करने में भी कदम नहीं उठाये गये हैं।

विजिलेंस कमीशन एवं जिला प्रशासन में भी आमूल परिवर्तन करने की अति आवश्यकता थी, लेकिन वर्तमान सरकार किसी प्रकार की भी योजना नहीं बना सकी है। इन तीन महीनों में सरकार केवल अपनी कुर्सियों को मजबूत करने के सिवाय अन्य कोई कार्य प्रदेश की उन्नति के लिये नहीं कर पाई है। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जेलों में बन्द रखना, बेकारी के बढ़ते हुये समय में उनको रिट्रेंच करना बहुत ही गलत कदम है।

दूसरा जो कटौती का प्रस्ताव है उस को भी मैं आप की आज्ञा से प्रस्तुत किये देता हूं।

आपकी आज्ञा से मैं अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभाग की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(अन्य कटौती के प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४९-२५३ पर)

श्री चरण सिंह—

यह आपने ११ नम्बर की कटौती पेश की है?

श्री अधिष्ठाता—

जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैंने चौधरी साहब के भाषण को बड़े गौर से सुना और जितनी निराशा मुझे चौधरी साहब के भाषण से हुई उतनी ही निराशा मुझे माननीय चौधरी साहब से भी हुई। मैं चौधरी साहब को इस सूबे का एक बहुत बड़ा पोलिटिकिल थिन्कर, एक रिफार्मर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर समझता हूं और मैं यह भी मानता हूं कि वह इस प्रदेश के एक बहुत ईमानदार, लर्नेड, विद्वान् पुरुष हैं और मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी और मेरा कहना था कि अगर कहीं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी साहब हो जायं तो वह यहां के प्रशासन में एक आमूल और क्रांतिकारी परिवर्तन लायेंगे। मुझे याद है कि जिस दिन उन्होंने कांग्रेस दल को छोड़ा था उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कुछ कारण भी उसके बताये थे, पहला कारण उन्होंने बताया था कि सूबे में महंगाई बहुत बढ़ रही है जिसको कांग्रेस सरकार दूर नहीं कर सकी, दूसरा कारण यह बताया था कि प्रदेश का मन्त्रिमंडल स्वच्छ और श्रेष्ठ व उत्तम होना चाहिये और उसका प्रतिबिम्ब नीचे तक पड़ता है इसलिये सूबे की कैबिनेट इतनी अच्छी और स्वच्छ होनी चाहिये। तीसरा कारण उन्होंने यह बताया कि इतना अच्छा प्रशासन सूबे का होना चाहिये ताकि करप्शन कम हो, किफायतशारी हो, वह जिम्मेदार सरकार हो, भ्रष्ट न हो और सेनसिटिव हो। लेकिन इन ३ मास के शासन में क्या हुआ? हर चीज विचाराधीन है, माननीय मुख्य मंत्री जी को फुरसत ही नहीं यह देखने की कि वह सूबे को कहां ले जाना चाहते हैं, किस योजना के अनुसार वह यहां के प्रशासन को चलाना चाहते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ३ मास के प्रशासन में जिस तरह से कैबिनेट का गठन हुआ है वह प्रदेश के लिये शर्मनाक बात है, जिस तरह से मंत्री बिहेव कर रहे हैं दौरों के द्वारा और जलसों के द्वारा और जिस तरह से अपने दलों का और अपने व्यक्तित्व का वह प्रोजेक्शन कर रहे हैं पार्टी उद्देश्यों की खातिर, इस सब से चौधरी साहब के प्रशासन की शोभा नहीं बढ़ती। मैं

[श्री नेकराम शर्मा]

ही कारण है कि प्रदेश और देश के नेता, पत्रकार और संयुक्त विधायक दल के माननीय सदस्य आज इस सरकार के बारे में, चौधरी साहब की सरकार के बारे में, क्या भावनायें व्यक्त करते हैं। श्रीमन्, माननीय मसानी ने जो स्वतंत्र पार्टी के जनरल सैक्रेट्री हैं, कहा है कि "नौन्सेन्स औफ नौन-कांग्रेस गवर्नमेन्ट मस्ट एन्ड।" अर्थात् नौन कांग्रेस सरकार की बेवकूफी शीघ्र समाप्त होनी चाहिये। श्रीमन्, इतना ही नहीं, नेशनल हैराल्ड में लिखा है कि एक पार्टी तो फंड इकट्ठा करने में व्यस्त है, दूसरी पार्टी इस कार्य में व्यस्त है कि किस तरह से अपनी पार्टी को संगठित किया जाय और किस प्रकार से अपने आदमियों को, चाहे वह सहकारिता विभाग हो, ट्रान्सपोर्ट विभाग हो, चाहे दूसरा विभाग हो, चाहे वे अध्यापक हों या स्कूल हों, उनमें भेजने की कोशिश की जाय।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, नौनसैन्स का आशय मेरी समझ में नहीं आया है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह तो उद्धरण पढ़ रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, ये भी इंडिपैन्डेन्ट हैं। माननीय मसानी स्वतंत्र पार्टी के हैं, उनसे पूछ लीजिये।

मान्यवर, एस० एस० पी० के नेता माननीय गोपाल नारायण जी सक्सेना इस सरकार के बारे में क्या कहते हैं ? उनका कहना है कि जिस वक्त ९ जुलाई को हार हो गयी तो यह सरकार इस्तीफा देने वाली नहीं है जब तक कि इनको किक आउट न किया जाय। कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय आचार्य दीपंकर कहते हैं और माननीय भारत सिंह चौहान ने भी कहा है कि इस प्रशासन से घुटन हो रही है। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन यह सरकार समाप्त हो। सरकारी कर्मचारियों में इस सरकार के प्रति अत्यन्त क्षोभ है और वे विद्रोह कर रहे हैं। इसका सबूत २ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि कितना विशाल मसाल जलूस निकला। यह ही नहीं, सरकारी कर्मचारी, मजदूर, माननीय सदन के विधायक, सभी, इस प्रशासन से ऊब गये हैं। इसका फल है कि, श्रीमन्, ९ जुलाई को चारों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं और इसका मूल कारण यही है कि इस सरकार में विद्रोह है। माननीय चौधरी साहेब बहुत सैंसिटिव हैं। उन्होंने फैसला लिया कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिये लेकिन जो कुर्सियों पर चिपकना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इस्तीफा जरूरी नहीं है। हम रोज अनुदान पेश करते हैं, उस पर शक्ति परीक्षण हो जाय लेकिन जरूरी यह था कि जब हार हो गयी थी तो चौधरी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिये था। दूसरा तरीका जो सबसे अच्छा हो सकता था वह यह है कि वे कौंफिडेन्स सीक करते और यह न कहते कि अनुदानों की स्वीकृति से स्पष्ट हो जायगा कि कौन माइनौरिटी में है और कौन मैजोरिटी में है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब के इस शासन में इतना टैरर हो गया है कि कोई माननीय सदस्य हिम्मत नहीं करता था कि औपिन वोटिंग में खिलाफत में जाय। यदि माननीय चौधरी साहब सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करायें और यह सरकार २४ घंटे भी टिक जाय तो मैं यकीन दिलाता हूं कि ५ साल तक आपको हम नहीं हटायेंगे। सब माननीय सदस्य डरते हैं, और मैं भी डरता हूं और यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की घोषणा की जाय तो यह फैसला हो जायगा कि कितने दिन यह सरकार चले.....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या आपको २० साल का इतिहास याद है ?

श्री नेकराम शर्मा——

यह इतिहास मुझ को भी याद है, इधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को याद है और माननीय चौधरी साहब को भी जो कुछ देश में २१ साल में हुआ, याद है। प्रदेश बना है, बिगड़ा है, बरबाद हुआ है तो चौधरी चरण सिंह का उसमें स्थान प्रमुख है। ५ नेता इस प्रदेश के थे, स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, माननीय चन्द्रभानु गुप्त, माननीय कमलापति त्रिपाठी और माननीय चरणसिंह। इन ५ में से ४ तो आते जाते रहे लेकिन चौधरी साहब पिछले २१ साल से इस हुकूमत के विभिन्न विभागों में रहे हैं, प्रदेश की जो उन्होंने सेवा की, जिस तरह से जमींदारी अबालीशन किया, एग्रेरियन रिफार्म किया, चौधरी साहब कह सकते हैं कि प्रदेश बिगाड़ा उन्होंने या बनाया। चौधरी साहब केवल इसलिये रूठ गये कि अमुक मंत्री रहना चाहिये, अमुक नहीं रहना चाहिये। उनको कभी भी आस्था नहीं थी कम्युनिस्ट, स्वतंत्र या जनसंघ पार्टी में, इसीलिये उन्होंने जन-कांग्रेस बनायी।

श्री चरणसिंह——

मैं अपने माननीय नौजवान दोस्त से कहूंगा कि अगर पर्सनल बातों का चक्कर छोड़ दें तो अच्छा होगा। सामान्य प्रशासन की बात कहें। अब अगर आपने यह कहा और मैंने उससे दुगना, तिगुना बयान कर दिया तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं कितना ही खराब आदमी सही, प्रशासन कैसे बिगड़ा या सुधरा, उस पर सुझाव दें।

श्री नेकराम शर्मा——

इसलिये, श्रीमन्, उनमें और हम में कोई मतभेद नहीं है और उन्होंने जन कांग्रेस बनायी मिल कर ताकि इस प्रदेश को बचायें। आपके सामने प्रदेश और देश है। रूठ करके और नाराज होकर के प्रदेश का अहित हो जाय, तो यह भला नहीं है।

जिस वक्त मंत्रिमंडल बनाया था बड़ा ढोल-पीटा था कि प्रशासन में किफायत होगी। अब अगर आप बजट के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि पहले से ज्यादा खर्च इसमें इस साल के लिये रखा गया है। १९६६–६७ में खर्चा रखा गया था ३७ करोड़ २१ लाख ५९ हजार रु० और इस साल हो गया ३९ करोड़ ९७ लाख रु०। इसका मतलब यह है कि २ करोड़ ७६ लाख के करीब ज्यादा रखा। प्रशासन पर खर्चा बढ़ा कर और इसकी हालत क्या है? सब से पहले मैं केबिनेट को लेता हूं। मंत्री दौरे पर जाते हैं, दौरे का भत्ता पिछले सालों से इस साल ज्यादा है। पिछले साल ५ लाख कुछ रु० था, इस साल ६ लाख कुछ रु० रखा गया। पर्दों के लिये जो पैसा रखा गया, उसमें भी बढ़ोत्तरी है। १९६६ में कार के लिये १ लाख ३४ हजार रु० था, इस साल १ लाख ५२ हजार रु० रखा गया। इसी तरह से और तमाम खर्चे हैं जिनमें बढ़ोत्तरी हुई है। अदर चार्जेज के लिये ८६ हजार रु० रखा गया। इतना खर्च करने के बाद क्या मिल रहा है कैबिनेट से? आपने वायदा किया था कि ५०० रु० लेंगे, कारें नहीं रखेंगे, साइकिल रखी जायेंगी, कोठियों में नहीं जायंगे। लेकिन जो पुराने मंत्रिमंडल के सदस्य करते थे वही आप कर रहे हैं। तो फिर आप में और उनमें क्या अन्तर रहा जार्ज बरनार्ड शा ने कहा है कि "एन इंगलिशमैन इज नेबर रांग"। मंत्री जी कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं क्योंकि वह गलत कार्य कर ही नहीं सकते। लेकिन होता यह है कि एक-एक दिन में एक ही स्थान पर चार-चार मिनिस्टर जाते हैं। जन कार्य के लिये जायं तो कोई एतराज न हो लेकिन वह जाते हैं अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिये, तोड़-फोड़ के लिये....

एक सदस्य——

सब से पहले आप टूटे थे।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय विकल जी ने २५ मार्च को सदन में यह कहा था कि जनतंत्र की सफाई क्यों हो जाती है, पब्लिक की कठिनाइयां क्यों बढ़ जाती हैं—उसका एक मात्र कारण उन्होंने बतलाया था कुर्सी का खतरा। उस खतरे से दिलोदिमाग दोनों खराब हो जाते हैं।

श्री जंग बहादुर (जिला बाराबंकी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि २० साल में कांग्रेस ने जो कार्य किये हैं, और अब जो काम हुए हैं तीन महीने में उन दोनों में, तुलना करके देख लिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस समय जानकारी हासिल नहीं की जा सकती।

श्री नेकराम शर्मा—

प्रशासन में आज खर्चा बढ़ रहा है। पुलिस पर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर, मंत्रियों के दौरे पर खर्चा बढ़ रहा है। आशा यह थी कि चौधरी साहब घोषणा करेंगे कि तीन महीने में उन्होंने यह योजना बनाई जिससे प्रदेश का शासन सुधरा लेकिन उन्होंने कुछ पुरानी बातों को दोहराया जैसे सेपरेशन आफ एक्जिक्यूटिव एंड जुडीशियरी के लिये एक कमेटी बना दी है और उसकी रिपोर्ट आयगी। पता नहीं रिपोर्ट कब आयेगी ? चार महीने तो लग गये और पता नहीं कितना समय और लगे ? पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन सदस्य नियुक्त कर दिया है, यह भी घोषणा पहले हो चुकी है। अब इसके बाद सदन में दोहराया जायगा ? उनका सारा प्रशासन के सुधार का आधार है स्टाफ का ट्रान्सफर कर देना। हाई कोर्ट के जजेज वाली बात में कहा कि वहां भी एक सेल क्रियेट करने का विचार है। सभी जगह उनका सेल्स क्रियेट करने का विचार है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने उसे न माना तब यह चौधरी साहब ने नहीं बतलाया फिर उनका क्या करने का विचार है। उन्होंने कहा कि १८ हजार सरकारी कर्मचारी सरप्लस हैं लेकिन वह ३ हजार को ही निकाल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि सुधार टाप से होगा लेकिन पी० डब्ल्यू० डी०, पुलिस तथा इर्रीगेशन में टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन है। उसमें टाप के अफसरों को क्यों नहीं कम करते ? १० कमिश्नर थे, अब १९ कर दिये। ह्वाइट एलिफेंट बोर्ड आफ रेवेन्यू है, उसे खत्म किया जाय। विजिलेंस कमीशन को भी समाप्त किया जाय। उसके स्थान पर स्वीडन में जिस तरह से पब्लिक अथारिटी है जिले लेजिस्लेचर एप्वान्ट करती है उसी तरह से यहां एप्वाइंट कीजिये और उसके जुरिस्डिक्शन के अन्दर हाई कोर्ट के जजेज की इंक्वायरी भी होगी। इससे प्रदेश का कल्याण होगा। श्रीमन्, उन्होंने कहा कि हमने इन्क्वायरी बिठा दी जो अफसर गलत थे उनके खिलाफ। लेकिन जब आपने इन्क्वायरी के लिये भेजा तो सस्पेंड क्यों नहीं किया ? क्या यह सही नहीं है, चौधरी साहब, कि विजिलेन्स कमीशन ने जिनको सस्पेंड कराया उनको बहाल भी किया गया ? क्या यह सही नहीं है कि जितने ट्रांसफर हो रहे हैं आज वह रोक जा रहे हैं ? क्या यह सही नहीं है कि एक अफसर का ट्रांसफर इसलिये रोक लिया गया है कि वह मेम्बरों के तोड़-फोड़ में योग दें ? क्या यह सही नह है कि आज बृजपाल सेठ का ट्रांसफर इसलिये रोका गया क्योंकि वह जनसंघ से सम्बन्धित हैं और उन्हें कानपुर का डी० एम० बना दिया गया। क्या यह विद्रोह नहीं है कि जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया वह छुट्टी लेकर चले जा रहे हैं ? सर्विसेज में टेरर छाया हुआ है। जैसा आपने अभी फरमाया, लोग इस इन्तजार में बैठे हैं कि शायद सरकार बदल जाय। तो छुट्टी लेकर चले गये। क्या यह सही नहीं है कि आफिसर्स इनसिक्योरिटी फील कर रहे ? आप जब मुख्य मंत्री बने तो सात दिन तक यह वातावरण रहा कि चौधरी साहब आ गये, लेकिन अब वह समाप्त होता जा रहा है . . .

श्री चरणसिंह—

टेरर तो है, लेकिन बजाय अफसरों के आपके ऊपर हो गया है।

श्री नेकराम शर्मा—

हमारे ऊपर तो इतना टेरर हो गया है कि खुले वोट देने में डरते हैं। चौधरी साहब ने घोषणा की कि प्राइसेज बढ़ रही है लेकिन उस दिन सदन में यह दलील दी कि करेंसी बहुत बढ़ गयी है इन्फ्लेशन हो गया है। तो यह स्थिति उस दिन भी थी। यह सही है कि इन्फ्लेशन है, प्रोडक्शन से ज्यादा मनी सप्लाई हुआ है, लेकिन इसका एक मात्र कारण है कि आपके सरकारी कर्मचारी भी आपको सहयोग नहीं देते और जब तक उनको शीघ्र उचित दंड देने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक प्राइसेज कंट्रोल नहीं हो पायेंगी।

चौधरी साहब की तो हमेशा यह थीसिस रही है कि स्टाफ छटनी होना चाहिये। आपने इसी तरह एक करोड़ रुपये की एकोनामी की और पांच साल में पांच करोड़ रुपये की एकोनामी करेंगे। लेकिन यह सही एकोनामी नहीं है। ऐसे तो आप कुछ ब्लान्स कट कर दीजिये, या कुछ पद समाप्त कर दीजिये या कुछ बकाया को खत्म कर दीजिये एकोनामी हो जायगी। लेकिन यह एकोनामी नहीं है। सही एकोनामी तो वह है कि आप कुछ वर्क स्टडी सेल्स बनाइये जो यह स्टडी कर के बताये कि किन अफसरों की पोस्ट कम की जा सकती हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप कम निश्चित योजना प्रस्तुत करेंगे लेकिन कोई योजना न प्रस्तुत करके, हर चीज विचाराधीन है। और कब तक विचाराधीन रहेगी, यह कुछ पता नहीं। आपने एक लिएजों आफिसर रखा है दिल्ली में, मिस्टर भटनागर। उसके बारे में पता लगा लीजिये कि कितना खर्च उसने किया....।

श्री चरणसिंह—

वह मैंने नहीं रखा, पहले से है।

श्री नेकराम शर्मा—

हां, पहले से है। लेकिन चौधरी साहब के राज में उम्मीद थी कि उसको हटा देंगे। चपरासियों के बारे में एक आदेश निकला कि वह किसी आफिसर के घर पर कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आज तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ और उसका नतीजा यह है कि चपरासियों को डोमेस्टिक परपजेज के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से टेलीफोन पर कितना खर्चा है? हमें उम्मीद थी कि चौधरी साहब उसमें एकोनामी लावेंगे लेकिन आज भी हर आफिसर के घर पर टेलिफोन है। टेलिफोन के लिये जहां सन् ६६-६७ में रखा गया था ४ लाख ८० हजार वहां आज ५ लाख रखा गया है। क्या आपने इसका पता लगाया है कि सरकारी कर्मचारी कितना प्राइवेट काल और प्राइवेट ट्रंक काल करते हैं। चौधरी साहब का ध्यान उधर भी जाना चाहिये था लेकिन उनका ध्यान उधर नहीं गया। हवाई हमले के लिये पहले कितने हजार रुपये रखे गये थे लेकिन अब तो हवाई हमले की कोई बात है नहीं, इसलिये ४५ हजार रुपया जो इसके लिये रखा गया है उसको वे काट सकते थे लेकिन वह न करके कुछ योजनाओं को काट कर कुछ सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया गया है। कंटिजेंसी के लिये पहले एक करोड़ ३६ लाख ८४ हजार था, अब उसके बजाय एक करोड़ ४७ लाख जो रखा गया है वह क्यों ज्यादा रखा गया है? पुलिस पर खर्चा १६ करोड़ ३८ लाख से १७ करोड़ ८८ लाख रखा गया है। इसी तरह से जेल पर २ करोड़ ४८ लाख के बजाय २ करोड़ ६६ लाख है। मुझे उम्मीद थी कि चौधरी साहब जैसे विद्वान जो प्लानिंग के भी एक्सपर्ट हैं तथा जिन्हें २१ साल के प्रसासन का अनुभव है वे कोई ऐसा नक्शा सदन के सामने पेश करेंगे जिससे प्रदेश आगे बढ़ सके। आप आई० सी० एस०, पी० सी० एस० को बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि उनको उनके ऊपर पूरा विश्वास है, जबकि उनको आई० ए० एस० व पी० सी० एस० को ट्रेनिंग का प्रबन्ध करना चाहिये कि डेमोक्रेसी में किस तरह से उनको फंक्शन करना चाहिये। अगर इसकी व्यवस्था होती तो उसका बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता लेकिन उसका कोई खयाल नहीं किया गया है।

[श्री नेकराम शर्मा]

चौधरी साहब से उम्मीद थी कि जो भी निर्णय, फैसले लिये जायेंगे उन पर किसी प्रेशर का असर नहीं होगा। यदि कोई निर्णय या फैसला किसी दबाव में पड़ कर लिया जायगा तो न प्रजातंत्र चल सकता है और न सरकार चल सकती है। आपने तथा आपकी कैबिनेट ने कितने फैसले दबाव में आकर बदले हैं, इनका मैं एक उदाहरण पेश करता हूं। आपने कहा था कि एक स्थान पर तीन साल तक जितने कर्मचारी होंगे, उनका ट्रांसफर हो जायगा लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो सका। आपका दूसरा निर्णय यह था कि ५ साल में धीरे-धीरे लैण्ड रेवेन्यू माफ कर दिया जायगा। फिर आपने कहा कि सवा ६ एकड़ तक के काश्तकारों का लगान आधा कर दिया जायगा तथा दो रुपये काश्तकार को अपना लगान देना होगा। लेकिन फिर जब प्रेशर पड़ा तो आपने कह दिया कि दो रुपये वाले काश्तकारों का भी माफ करते हैं। उसके पहले आपने फैसला किया था कि साइकिल पर चलेंगे, ५०० रु० तनख्वाह लेंगे...

श्री चरणसिंह—

हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था।

श्री नेकराम शर्मा—

जो आपकी कैबिनेट के अंग हैं, उनका यह फैसला था। आपकी कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि जितनी सुविधायें पुराने मंत्री लोग लेते थे उससे हम कम लेंगे। आप तो पापुलर कहे जाते हैं—फिर आप अपने घर पर गार्ड क्यों रखते हैं? जहां डकैती पड़ती है, जहां कत्ल होते हैं वहां गार्ड को रखना चाहिये; लेकिन इसे भी आपने नहीं किया। आपने फैसला किया था कि बंगले में नहीं रहेंगे, फिर आप बंगले में क्यों गये? हमने यह सोचा था कि आपकी सरकार सिम्पिल लिविंग व हाई थिंकिंग वाली होगी। इस तीन महीने के प्रशासन में हुआ क्या? प्रशासन के तीन अंग होते हैं—लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी। इन तीनों में क्राइसिस है। लेजिस्लेचर में आप स्वयं देख सकते हैं कि रोज-रोज यहां क्वेश्चंस होते हैं और गलत ऐंसर्स होते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि प्रशासन की मनोवृत्ति रिस्पांसिव, सेंसिटिव नहीं है कि लेजिस्लेचर को सही जवाब दे। मैं मानता हूं कि माननीय चौधरी साहब के पास जब फाइल आती है तो वे सही फैसला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आफिसर्स की मनोवृत्ति में बताता हूं। आपने पहले कहा कि कैबिनेट में १५ से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होंगे लेकिन १६ हो गये। अब अखबारों में निकला है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है। पहले कहा गया कि प्रदेश में प्रिंसिपल्स की पोस्ट्स प्रावंशियलाइज होंगी, इसी तरह से कहा गया कि इन्टरमीडियेट बोर्ड एबालिश होगा लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। सर्विसेज में आपके खिलाफ कम्पलीट विद्रोह है। १५ कर्मचारियों के खिलाफ वारंट निकाले गये थे। लेकिन बाद में सात के रोक लिये गये थे। अब फिर सुना है कि सात के खिलाफ वारंट निकाले गये हैं। यह इतनी जल्दी-जल्दी निर्णय कैसे बदले जाते हैं। प्रिवेंटिव एन्ड डिटेंशन ऐक्ट जिस समय पास हुआ था तो माननीय नन्दा जी ने कहा था कि यह सीमावर्ती इलाकों में लागू किया जायेगा और उनके खिलाफ किया जायेगा जो देश के प्रति वफादार नहीं हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इस ऐक्ट के अन्तर्गत क्यों बन्द कर रखा गया है? क्या वे सीमा के रहने वाले हैं क्या उनसे देश को खतरा है? उनको बिना मुकदमा क्यों बंद कर रखा गया है? क्या यह इस ऐक्ट का मिसयूज नहीं है?

आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वे सरकारी खर्चे से क्या अपनी पार्टी का संगठन नहीं कर रहे हैं? क्या चौधरी साहब को इसका पता नहीं है? वे उनके हाथ में कैदी बने हुये हैं। अगर यह स्वतंत्र होते, अपना निर्णय स्वतंत्र ले सकते होते तो प्रदेश की इमेज दूसरी हो होती और चौधरी साहब के प्रशासन की रूप रेखा दूसरी होती। उनका कितना स्वास्थ्य खराब हो गया है? उनके ऊपर जितनी चिन्तायें हैं, जितना प्रेशर है, उसको कम करने के लिये वे तरह

वगैरह खेलते हैं और इस तरह से वे टेंशन बरदाश्त नहीं कर पाते। इसलिये इस तरह से वे टेंशन को डाइवर्ट करते हैं। (व्यवधान) हमको वाकई उनके ऊपर दया आती है, इसी कारण से हमारे नेता विरोधी दल ने घोषणा कर दी है कि हम बजट को पास होने देंगे, हम चाहते हैं कि उनका विरोध न करें। इसीलिये हम प्वाइंट पास होते समय 'ना' नहीं कहते हैं। आज आपका शासन अच्छा होना चाहिये। लेकिन यह हो गया है कि "They got the opportunity but missed it.", उनको अच्छा आदमी मिला था लेकिन उन्होंने खो दिया, इसी कारण लोग उनसे ऊब गये हैं।

गृह उप मंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

श्रीमन्, आपने जो बात कही है कि "They got the opportunity but missed it." तो क्या वे अपना आत्म-निरीक्षण कर रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

मेरी भावना है कि आपका शासन थोड़े दिन और चले जिससे प्रदेश की जनता असलियत को जान जाये। इसी सदन में चौधरी साहब मौजूद थे। जिस समय मुख्य मंत्री नेताओं को बुलाते थे तो कहा जाता था कि रुस्तम जी की पार्टी देशभक्त नहीं है, ये गद्दार हैं, इनके सामने बात नहीं करेंगे। हमको अलग बुलाया जाय, इनको अलग बुलाया जाय। चौधरी साहब ने जितनी तारीफ की है, यह उनके बयान से मालूम होता है। हम तो आपको हमेशा वैसा मानते थे। आपको घबड़ाने की जरूरत नहीं है चाहे उधर का राज्य रहे या इधर का राज्य रहे। आप तो रहेंगे ही। (श्री चरण सिंह के उठ करके जाने लगने पर) चौधरी साहब, एक मिनट सुझाव सुन लीजिये। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद थी। इतनी शिकायतें आती हैं मंत्रियों के पास। एक छपा रहता है कि "आपका पत्र मिला उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है"। अब किसान शिकायत करने वाला उसको लिये फिरता है।

श्री चरण सिंह—

लोगों को इतनी उम्मीद इस गवर्नमेंट से हो गयी है कि जितनी दरख्वास्तें पहले मुख्य मंत्री के पास आती थीं, उससे ग्यारह गुना और नौ गुना ज्यादा आ रही हैं। उनको अकेले मैं कैसे देख सकता हूं ? लिहाजा यही करना पड़ेगा कि "उचित कार्यवाही को जा रही है"।

श्री नेकराम शर्मा—

आप एक कंपलेंट डिपार्टमेंट खोलिये। मैंने मैसूर में देखा कि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकता जब तक उस पर टिकट न लगावे। टिकट लगवाइये तो रेवेन्यू बढ़ेगी और जो कोई पत्र आये उस पर उचित कार्यवाही मिले। आज तरीका यह है कि अगर बी० डी० ओ० की शिकायत है तो बी० डी० ओ० इनक्वायरी कर लेगा। आशा थी कि चौधरी साहब कोई नयी चीज रखेंगे, चौधरी साहब पुराने ढांचे पर ही चलना चाहते हैं।

श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)—

मुझे बड़ा अफसोस है कि हम जिस वक्त चुनकर आये थे, निर्दलीय उम्मीदवार, तो हमारे नेकराम भाई ने बड़ा हम लोगों को सहयोग दिया। लेकिन जब एक लाख की थैली पाई तो भाई नेकराम उधर पहुंच गये, इससे बड़ा दुख हुआ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं चौधरी साहब का बड़ा भक्त रहा हूं। मुझे कभी स्वप्न में भी पता नहीं था कि चौधरी साहब कांग्रेस छोड़ देंगे। मुझे पहले पता चल जाता कि चौधरी साहब छोड़ देंगे तो मैं तो चौधरी साहब के साथ रहता। मुझ से सलाह भी नहीं ली और चुपचाप चले गये। अब क्या रह गया ?

[श्री नेकराम शर्मा]

अगर कुछ कहना है तो चौधरी साहब से कहिये। बहुत सी पोर्ट्स और डिपार्टमेंट्स सुपरफ्लुअस हैं। उनको एक में कर देना चाहिये, जैसे समाज कल्याण और अनुसूचित जातियां। दूसरे स्पेशल पे है। दस कमिश्नर बना दिये। स्पेशल पे तत्काल बन्द कीजिये। आपकी बहुत दिन की मांग है। टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अलमारी भरी पड़ी है।

श्री चरण सिंह—

बाधक हो रहे हैं आप लोग। आपकी डर की वजह से नहीं कर रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

आप किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन जब से नवग्रह लगे हैं ऐसा कहने लगे हैं। बोर्ड आफ रेवेन्यू की कोई जरूरत नहीं है। खत्म कीजिये। इर्रीगेशन, पी० डब्ल्यू० डी० में चीफ इंजीनियर, इतनी तरह के इंजीनियर, पी० ए०, इनको समाप्त कीजिये। डी० आई० जी० की कोई जरूरत नहीं है। आपकी योजना थी कि आई० जी० पुलिस और आई० जी० सी० आई० डी० अलग-अलग रहें। जब आप होम मिनिस्टर थे तो यह आपकी स्कीम थी। अब वह भूल गये। सी० आई० डी० का एक विशेष कार्य है। रोज मांग होती है कि सी० आई० डी० से इनक्वायरी कराइये। सी० आई० डी० का आई० जी० अलग होना चाहिये और वह चीफ मिनिस्टर को रेस्पांसिबिल होना चाहिये।

श्रीमन्, उत्तराखंड के अन्दर गवर्नमेंट आफ इंडिया २८ रुपया और चार रुपया आप देते हैं। आपको इस तरह से करोड़ों रुपया मिल सकता था यदि आप प्रयास करते और कुछ वहां पर खर्च करने को तैयार होते जिससे उत्तराखंड में विकास आदि का बहुत सा काम हो सकता था। मैं यह जानना चाहता हूं चौधरी साहब से, जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि १०५ आदमी देवरिया में मर गये दुर्भिक्ष फैलने के कारण, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और प्रशासन आपको गलत रिपोर्ट देता है तो आपने उसके लिये क्या व्यवस्था की है, जिससे आपको सही रिपोर्ट और सही जानकारी मिल सके। आप इस सदन में कल रूपरेखा दें कि पांच वर्ष में किस तरह से आप प्रशासन में सुधार करना चाहते हैं और किस तरह से आप एकोनामी लाना चाहते हैं। केवल तोड़फोड़ करके और हजारों आदमियों को बेकार करके नहीं। आप क्या नई योजना ला रहे हैं, वह बतायें। इन दो-तीन बातों के बारे में आप कल सदन में घोषणा करें।

इन शब्दों के साथ कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरीचन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान चौधरी साहब ने रखा है वह बड़े महत्व का अनुदान है और मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती का प्रस्ताव हमारे माननीय नेकराम शर्मा जी ने प्रस्तुत किया है बड़ी भावनाओं के साथ और उन्होंने चौधरी साहब की तारीफ की। शर्मा जी चौधरी साहब के अनन्य भक्त हैं और उस भक्ति के कारण वह पहले तो हम लोगों के साथ थे, लेकिन कुछ और कारण हुए कि जिन कारणों से वह हमसे बिदा हो गये। अब उनकी कुछ इच्छा ऐसी मालूम पड़ती है कि वह चौधरी साहब की सेवा फिर से करना चाहते हैं और चौधरी साहब के पास बैठकर उनका हाथ बंटाना चाहते हैं तथा उस कार्यक्रम को जिसको वह सुन्दर समझते हैं, उसको यह प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि जब नेकराम शर्मा हमारे पास आ जायें तो उनको उन शिकायतों को दूर करने के लिए, उनको उस काम को करने के लिये नियुक्त कर दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ऐसा ही करेंगे। मैं नेकराम शर्मा जी को यह बताना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव में जो शिकायतें उन्होंने रखी हैं, वह बड़ी ठीक हैं और वह चीजें कोई नई नहीं हैं। मैं एक दफा एस्टीमेट कमेटी का मेम्बर था, और मैं संजोजक था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो प्रतिवेदन लिखी गयी है। उसमें यही शिकायतें नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा सैकड़ों और

शिकायतें और कटौतियां और सुझाव हैं जैसे कि देश का प्रशासन कैसे चले, अपव्यय कैसे रुके, ओवर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो हो गया है वह कैसे रुके। उसके बारे में मैंने सन् ६२ में एक रिपोर्ट दी थी। वह रिपोर्ट छप गई और उसके बाद मेरा विश्वास है कि उस रिपोर्ट को, उस गवर्नमेंट ने जिस गवर्नमेंट का मैं उस वक्त मेम्बर भी था, किसी ने कभी पढ़ा नहीं और उस पर न कभी कोई कार्य किया गया।

यह मानना पड़ेगा कि २० साल में जो कार्य हुआ है, वह हमको प्रगति के बजाय गड्ढे में ले गया है और उस गड्ढे में भी उसके ऊपर इतना मैल पड़ गया है कि चौधरी साहब जैसे ४ आदमी भी उस मैल को तीन महीने में हटा सकने में असमर्थ रहेंगे। यह जो मैल बढ़कर अब यूजियन स्टेबेल हो गया है उसे दूर करने के लिये चौधरी साहब जैसे चार आदमी भी इस अल्पकाल में कामयाब नहीं हो सकते थे। यह गंदगी २० साल की इकट्ठा की हुई है। और यह तो मैं चौधरी साहब के मुताल्लिक कहता हूं जिनके लिये माननीय नेकराम शर्मा इतनी बधाई दे रहे थे, यदि अन्य मुख्य मंत्री होंता तो वह इस मैल को दबाने के बजाय थोड़ा मैल और इकट्ठा करता उनके अलावा उसको साफ करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है।

मैं बताऊं कि इसकी जड़ कहां है, बिगाड़ कहां से शुरू हुई। इस प्रशासन के दो मुख्य अंग हैं, एक तो लेजिस्लेचर और दूसरा एक्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर, जिसमें मिनिस्टर्स प्रमुख हैं और दूसरा नौकरशाही है। हम अगर मिनिस्टर्स को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि मिनिस्टर्स होने के बाद बड़ी बड़ी गलत प्रथायें हमने डालीं, ऐसे-ऐसे कार्य किये हैं जिससे हमारी नौकर-शाही ने कोई अच्छा उदाहरण नहीं लिया है। हमारे मिनिस्टर्स जो शुरू शुरू में आये थे वे अपने काम से वाकिफ नहीं थे, काम कर नहीं सकते थे। यह मैं शुरू से कह रहा हूं जब से हम स्वतंत्र हुए। काम हम जानते नहीं थे और हमें आधारित रहना पड़ता है उन सेक्रेटेरीज के ऊपर और नौकरशाही के ऊपर जिन्होंने हमें ठीक सलाह नहीं दी और अपने प्रशासन को हम अच्छी तरह से नहीं चला सके। उसके बाद इस प्रशासन में जो मिनिस्टर्स मुकर्रर हुये उन्होंने कोई नोबिल एक्जाम्पिल, नोबिल प्रिसीडेंट हमारे सामने नहीं रखा जिनको देख करके हमारी नौकरशाही के अन्दर, हमारी जनता के अन्दर विश्वास पैदा होता। हम काम से वकिफ नहीं थे और नौकर-शाही ने हम पर कब्जा किया और उसके बाद वह जो चाहते रहे वह होता रहा।

हमारे देश के प्रमुख नेताओं ने हमारे देश के आर्थिक विकास के लिये बहुत सुन्दर सुन्दर योजनायें बनायीं लेकिन हम उन सुन्दर योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सके। उसका कारण यह था कि हमारे मंत्रिगण जो थे, मैं सच कहता हूं आप उसको केवल कांग्रेस दल के लिये न देखिये बल्कि हमारे सबका वह काम था इस तरह से उसको लीजिये, यदि उनमें कार्य करने की क्षमता भी थी तो उनके पास कार्य करने के लिये समय नहीं था। आपस में जब कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत में थी तो वहां जो आदमी शासन में बैठे हुये थे वे सत्ता को हस्तगत करने के लिये लड़ते थे, काम चलाती थी नौकरशाही और उन्होंने जिस तरह से काम चलाया उसका नतीजा आप देख रहे हैं। कोई प्रगति किसी दिशा में किसी जगह पर नहीं है। हमने प्लांस बनाये लेकिन सब के सब प्लान्स नाकामयाब रहे। हम अपने देश को २० वर्षों में वह नहीं बना सके जो हम चाहते थे। हमारे सामने बड़े-बड़े प्रश्न थे। प्रश्न था कि देश का आर्थिक विकास हो, हम जो भी उत्पादित करें उसका ठीक डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रजातंत्रवाद को बढ़ायें, चारित्र्य नैतिकता के आधार पर अपने को चलावें क्या हम किसी चीज में आज तक कामयाब हुये? उसका कारण आप देख लीजिये। उसका कारण यह है कि हमारे मंत्रिगण ने उस काम को, उनके अन्दर क्षमता रहते हुये भी करने की कभी इच्छा नहीं की। उनकी इच्छा थी आपस में सत्ता के लिये लड़ने की और लड़कर इस देश का सत्यानाश कर दिया जो आज हमारे सामने है। उसक बाद जो आपन परम्पराएं कायम की हैं, उन परम्पराओं के आधार पर जो गलत चीजें बनी हैं उन चीजों को सही करने के लिये तीन महीने का समय बहुत कम है। इन्तजार कीजिये। आप इन्तजार नहीं कर रहे

[श्री हरीचन्द्र सिंह]

हैं। मैं देखता हूं कि जब से यह नया मंत्रिमंडल बना, जिस दिन से उधर वालों की कुर्सी छीनी गई है उस दिन से कल नहीं पड़ रहा है। रात में १२-१२ बजे, एक एक बजे, दो-दो बजे और तीन-तीन बजे तक जैसे कोई मिनिस्ट्री फोबिया (Ministry phobia) हो गया हो, मेम्बरों को सोने नहीं देते हैं। तो इस गति में रहकर हम कहां अपने आप को ले जा रहे हैं? इधर वालों को इन कुर्सियों पर बैठकर कोई मजा नहीं मालूम होता है। वह इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि बड़ी भारी जिम्मेदारी सिर पर आई है लेकिन उन्हें तो प्यार हो गया है उन कुर्सियों से जिनके लिये वह पागल कुत्ते की तरह से रात भर घूमा करते हैं।

एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। प्रजातंत्रवाद के दो मुख्य मार्ग हैं। एक तो यह मंत्रिगण, यानी लेजिस्लेचर और दूसरी यह नौकरशाही। इन दोनों में आपस में यह टसेल रहा करता है कि हमारे में से कौन ऊपर आये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं और यदि आपने समझने की कोशिश की होगी तो समझा होगा कि हमारी नौकर-शाही न मंत्रिगण पर कब्जा बना लिया है। उस कब्जे के हटाने के वास्ते जो अब कोशिश की जाती है, उस कोशिश को नाकामयाब बनाने में हमारे उधर के भाई उनका साथ देते हैं।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—

नौकरशाही हमारी है और हाथ आपका है।

श्री हरीचन्द्र सिंह—

वह आपकी बनाई नौकरशाही है; हम उसको ठीक करना चाहते हैं; आप बाधा डाल रहे हैं। तो ठीक कैसे हो?

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

हम यह वादा करते हैं कि ठीक होगी। और बाधा को हम टाल सकें तो वह अवश्य ठीक होगी। हमें आशा है कि वह अवश्य ठीक होगी और हमारे देश का जो हम कल्याण समझते हैं वह कल्याण भी होगा। उधर के लोग देश का कल्याण करने में असमर्थ हैं। नौकरशाही कसे जोर पकड़ रही है, यह आप नहीं जानते हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि कितने नौकर भर गये हैं। मेरे पास फिगर हैं। १९४७ के मुकाबले में ६ गुना हो गये हैं। सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अतिरिक्त सेक्रेटरी, आदि आदि न जाने कितने कितने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भरे हुये हैं। उसके बाद दूसरी चीज यह कि कितनी देर होती है काम करने में! लाल फीताशाही कितनी जबरदस्त है! कितना हमारा स्टाफ बढ़ा हुआ है! एक दरख्वास्त देने वाला अगर उस दरख्वास्त को फालो न करे तो वह दरख्वास्त गड्ढे में पड़ जायगी। हजारों आदमियों की भरती होती जा रही है लेकिन काम कुछ नहीं। तीसरी चीज, ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन बढ़ता जा रहा है। उस को रोकने के लिये जो कार्य पुरानी सरकार ने किये थे वे नहीं के बराबर थे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम देश में कल्याणकारी प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं तो हम को और हमारे मंत्रियों को वह आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा जिस को देख कर हमारे नौकर भी उस से कुछ शिक्षा तो ले सकें और अपने आप को ईमानदार बनायें। हम को स्वयं अपने आपको ईमानदार बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने नौकरों से ईमानदार बने रहने की आशा रख सकते हैं। अगर हम बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं तो अपने नौकरों को हम अच्छा नहीं बना सकते।

एक चीज और कह कर मैं समाप्त करूंगा। यह जो हमारा सेक्रेटेरियेट है, इस के रिआर्गनाइजेशन की बहुत जरूरत है। हमने इस किताब में ३०० के करीब सिफारिशें लिखीं हैं। कितने आफिसर्स बेकार हैं, कितनी जगह वर्क का डुप्लीकेशन है, और जो काम जिला

स्तर पर होना चाहिये उस का यहां सेंट्रालाइजेशन हो रहा है। काम का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है। अगर इस कास्टली एडमिनिस्ट्रेशन को कम न किया गया तो हमारा सारा वह रुपया बेकार जायगा जिसे हम जनता की भलाई में खर्च करना चाहते हैं और इस प्रकार हम प्रदेश और देश का विकास नहीं कर सकेंगे।

श्री करनसिंह (जिला खीरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, हर उस देश में जो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, पार्टियां होती हैं। उन की अलग अलग मान्यतायें होती हैं और देश की जनता उन को अपनी आस्था और रुचि के अनुसार सेवा करने का अवसर प्रदान करती है और वे नम्रतापूर्वक उस अवसर को ग्रहण कर अपना कार्य करती हैं। लेकिन इस तीन महीने के अन्दर हमारे प्रदेश में जिस प्रकार नयी सरकार आयी और शासन के सूत्रों को उस ने सम्हाला उस से एक अजीब अनिश्चय की भावना पूरे प्रदेश में फैल गयी और कोई आज यह नहीं कह सकता कि कब कहां क्या होने वाला है। आज एक अजीब स्थिति है। हर सरकारी कर्मचारी अपनी जगह पर सोचता है कि कल उस का क्या होगा। गांव का रहने वाला हर किसान और मजदूर यह भी नहीं जानता कि कल उस की स्थिति क्या होगी और स्वयं मंत्रिगण, जो कुछ करते, सुनते और समझते हैं, उस पर कितना चल पाते हैं, इसे वे स्वयं नहीं जानते।

माननीय विकल जी ने कहा परसों कि वे अगले पांच सालों में किश्तों में जो कुछ प्रदेश की जनता को देने वाले हैं उस के लिये उन्होंने जिले जिले और ग्राम ग्राम घूम कर जनता की सम्मति ले ली है। सम्मति लेने का तरीका भी उन का अजीब है। अभी पिछले दिनों मेरे जिले खीरी में मुहम्मदी की नगरपालिका के चुनाव के सिलसिले में एक उप मंत्री जी यहां से वहां पधारे थे। तहसीलदार और दरोगा को ले कर वे नगर के कुछ म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों के यहां गये और उन में से एक साहब जो लाइसेंस डीलर भी थे, उनको धमकी दी कि अगर तुम कांग्रेस द्वारा समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त कर लिया जायगा। अफवाहें फैलीं और नगर में इतना भय व्याप्त हो गया कि लोग अपने घरों से निकलने में भय खाने लगे। जिले के पुराने सर्वमान्य जनसेवक बंशीधर जी मिश्र लाउड स्पीकर लेकर सब जगह घूमे और विश्वास दिलाया कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी; तब लोग घरों से बाहर निकले। वह मंत्री जी शहर छोड़कर चले गये और शाहजहांपुर में जाकर स्टेटमेंट दिया कि फलां डीलर को हमने गलत काम में पकड़ा है और जो नोट उन्होंने लिख कर भेजा उस पर वहां के अधिकारियों ने बिला किसी किस्म की इंक्वायरी किये हुए आर्डर जारी कर दिया कि मैं इस का लाइसेंस समाप्त करता हूं क्योंकि उप मंत्री जी का ऐसा आदेश है। यह है आपके प्रशासन की हालत।

आज भूमि के संबंध में जो आपकी नीति है जिस की घोषणा की है कि आप लगान माफ करेंगे, कोई और टैक्स लगावेंगे, क्या होगा? यह अजीब बात है। अजीब अनिश्चितता फैली है। किसान सोचता है कि कि जमीन पर उसकी मिल्कियत का क्या होने वाला है, उस टैक्स की क्या शक्ल होगी? जब खेत में रातदिन जुट कर पैदावार बढ़ाने का समय आया है तो वह अनिश्चय की हवा में बह रहा है। अन्न देश का बाहर न जाय, इसके लिए चेक पोस्ट्स खुले हैं। वह सिर्फ आफिसर्स की रिपोर्ट पर खुले हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं है कि कहां खुले हैं और वहां क्या हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खीरी जिले में नैपाल-भारत की सीमा में ६ चेक-पोस्ट खोले गये हैं। उनमें अधिकतर ऐसी जगह हैं जो सीमा पर नहीं हैं, वह काफी भीतर हैं और बीच से इधर-उधर माल जा सकता है। तो जो चालान हुए हैं वह सब गलत हुए हैं; एक भी सही नहीं हुआ है। हमारे खेत इस पार हैं उनमें बीज भी अब हम नहीं ले जा सकते और चेक पोस्ट के अधिकारियों को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है, उनमें रिश्वत भी फैली है। पीलीभीत का जिला है। वहां पर टाटरगंज के इलाकों में

[श्री करन सिंह]

भूटान के आदर्श पर कुछ गांव बसाये गये। पूज्य विनोबा भावे के एक बहुत ही पटु शिष्य वहां पर रहते हैं और गांव का संचालन करते हैं। उन्होंने बताया पिछले महीने में कि यहां पर मानवकृत अकाल पड़ने वाला है और लोग भूखों मरने की अवस्था में हैं, क्योंकि बरसात में हर एक गांव दूसरे से कट जाता है। पानी भर जाने के कारण और खाने के लिए भी गल्ला हम यहां नहीं ला सकते।

आज मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कम से कम रजिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार का खात्मा हो गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जबसे जमीन के मामले में एक अनिश्चित घोषणा हुई है वह खत्म होने के बजाय ४–५ गुना और बढ़ गया है। गांव में जाकर देखें और अजीब हालत है। लेवी ले रहे हैं, गेहूं पैदा करने वाला क्षेत्र, मक्का गन्ना और जूट पैदा करने वाला और सूखा ग्रस्त क्षेत्र में कोई विभाजन रखा ही नहीं गया है, पिछली बार मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि मेरे इलाके में मक्का पैदा होती है और पिछले सीजन में इंडायरेक्ट लेवी में एक लाख मन से ज्यादा मक्का हमने दी। जो गेहूं बंधा हुआ है, अगर मक्का ली जाय तो आज भी देने के लिये तैयार हैं। कलक्टर ने भी लिखा, माननीय झारखंडेराय लखीमपुर गये और मेरे सामने कलेक्टर से पूछा कि करन सिंह के कहने में सच्चाई क्या है ? तो उसने बताया कि उस क्षेत्र में गेहूं बहुत कम होता है। उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ दीजिये उसको, लेकिन फिर वहां के क्षेत्र के लोगों की तलाशी हुई, तथा डंडे और जूतों से मारा गया।

मैं आपको गोविन्दपुरा फार्म की बात बताता हूं। वहां पर डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और थानेदार एक किसान के यहां गये। जब उन्होंने उससे गल्ला मांगा तो उसने कहा कि आप मेरे घर के अन्दर चले जाइये, केवल तीन महीने खाने के लिये मेरे यहां गल्ला छोड़ कर बाकी सब आप ले जाइये। उस किसान ने कहा कि मेरा एक भाई फौज में मेजर है, दो मेरे बेटे फ्रंट पर हैं, मगर उन आफिसरों ने उस किसान को मोटर में डलवा दिया और दो डंडे मारे और उसको बहुत परेशान किया। आप कहते हैं कि किसान खुशी से गल्ला दे रहा है, यह बिलकुल गलत है।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री बनने से पहले वन मंत्री थे। वे मेरी बात की कद्र करते थे, मैंने उनसे कहा था कि पिछले दो सालों से कुछ लोगों ने हमारे यहां वन विभाग की काफी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है। वन के अधिकारी भूमि को नाजायज तरीके से बेंच रहे हैं। उन्होंने उसके लिये एक कमेटी भी बुलाई थी। मुझे अफसोस है कि उसके बाद भी जब उनकी सरकार आयी तो उसने कोई कार्यवाही नहीं की। वहां की भूमि पर आज भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, जब कि भूमिहीनों को एक इंच भूमि भी नहीं मिल पा रही है। बाहर के लोग आकर नाजायज तरीके से वन विभाग के अधिकारियों से मिल कर कब्जा किये बैठे हैं। वहां पर ५–६ हजार पेड़ आज भी कटे पड़े हैं। इंदरनगर और दूसरे गांव में डिप्टी चीफ साहब देखने भी गये थे। मगर आज तक एक भी आदमी का चालान नहीं किया गया। वहां के स्थानीय गरीब आदमियों का रहना दूभर हो गया है। कोई अधिकारी, कोई मंत्री ऐसा मैंने नहीं छोड़ा जिससे मैंने इस संबंध में निवेदन न किया हो। वहां के कई लोगों ने बयान हल्फी लगाकर अदालत के सामने यह कहा कि अमुक अधिकारी ने रुपया लेकर हमारे हाथ जमीन बेंची है। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। कल ही एक आदमी से मेरी बात हुई। मैंने उससे पूछा, भाई कहां जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया, निघासन तहसील में जमीन पर कब्जा करने के लिये जा रहा हूं। तो यह है आपके ला एंड आर्डर की तस्वीर। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि आदर्शों की थ्योरी की व्याख्या न करके गांव की छोटी मोटी बातों की तरफ सरकार ध्यान देने की कृपा करें।

श्री देवी सेवक (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में ही नहीं, वरन् पूरे देश में आज भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि उसके कारण शुद्ध प्रशासन नजर नहीं आता। आज अधिकांश लोग यह कहते मिलेंगे कि इससे तो अंग्रेज राज्य अच्छा था। २० साल में इतना अधिक

भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जो लोग अंग्रेजों को हटाने वाले थे, वे ही उनको अच्छा कहने लग गये हैं। इसके लिये अपने समाज में अपने प्रशासन में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके सामने कठिनाइयां भी हैं, अंग्रेजों के लिये यह आसान था क्योंकि वे दूर के रहने वाले थे, दूसरे देश के थे, उनके यहां बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते थे और कोशिश व सिफारिश करते थे। परन्तु जब से अंग्रेज गये, अपने व्यक्तियों की सरकार बनी तो इसमें ज्यादा दिक्कतें पड़ने लगीं हैं। अधिकतर लोग अधिकारियों के यहां पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि सही विषयों में कदम न उठाया जाय और उनके मनपसंद का कार्य किया जाय। इसलिये प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनका प्रमुख कर्त्तव्य है कि व व्यक्तिवाद को छोड़कर समाज के प्रत्येक प्राणी को अपने ही परिवार का अंग समझते हुए न्यायपूर्वक कार्य करने की कोशिश करें।

श्री रामकरन—

हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवी सेवक—

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जब कि प्रशासन में योग्य व्यक्तियों की, ईमानदार व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसमें अच्छी तरह से कार्य करने के लिये हमारी वर्तमान सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू किये हैं। पहला काम जो सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसकी ओर अपने प्रदेश की जनता बहुत दिनों से आंखें लगाये थी और बहुत उत्सुक थी कि कायदे से काम हो, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी एक दूसरे से अलग हो जाय, एक दूसरे पर निर्भर न रहें। हमारी सरकार के यद्यपि पूरे प्रदेश में नहीं, फिर भी २५ जिलों में जो सेपरेशन किया है उससे काफी उन्नति हो सकती है। यह बहुत आवश्यक है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव एक दूसरे से अलग हो जायं। वही व्यक्ति जो कि दफा लगाता है जो कार्य चार्ज शीट बनाता है वही फैसला भी करता है, तो उसमें नाना प्रकार की दिक्कतें पड़ती हैं। परन्तु वही कार्य जो क्लेक्ट्रेट के मैजिस्ट्रेट द्वारा होता है मुंसिफ से होने लगे तो जनता को काफी आसानी हो सकती है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि दफा १०७ से ११० में काफी सुधार की आवश्यकता है। ऐसी दफाओं में जो गरीब हैं, निस्सहाय हैं और जो उपेक्षित हैं उन्हें ही जबरदस्ती पकड़कर बन्द कर दिया जाता है। इन खराबियों को दूर करने के लिये ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और जहां तक हो सके ईमानदारी से कार्य करने की नई दिशा अपनानी चाहिये और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रगति लाना अत्यावश्यक है।

जहां तक पुलिस के मुकदनों का ताल्लुक है, इसमें आम जनता और अधिकारिवर्ग दोनों ओर से ही खराबी होती है और धीरे-धीरे लोगों के दिमाग में ऐसी बात हो जाती है कि बिना भ्रष्टाचार के काम चलने वाला नहीं है और आम जनता में भ्रष्टाचार घर कर लेता है। पुलिस जो भी मुकदमे चलाती है उसमें डिफेंस कौंसिल क ओर से यह सलाह दी जाती है कि यह मुकदमा बहुत पेचदा है, इसमें आशा तभी हो सकती है जब गवाह तोड़ लिये जायेंगे। इसलिये डिफेंस कौंसिल का सबसे पहला कार्य गवाह तोड़ना ही होता है। इसलिये जहां एक ओर अधिकारियों का ईमानदार होना आवश्यक है उसी प्रकार से दूसरी ओर आम जनता के प्रत्येक व्यक्ति को डट कर सत्य के अनुसार कार्य करने और झूठ और भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिये।

१९६६ में जो कमेटी ने रिपोर्ट की थी कि ३५० रुपया तक की सेवाओं को लोक सेवा आयोग से हटा दिया जाय, इस सरकार ने उस पर अमल न करके हर एक सेवा को लोक सेवा आयोग के हाथ में दे दिया है। यह बहुत अच्छा कदम है और भ्रष्टाचार को दूर करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बताया कि ५५ साल और ५८ साल के बीच में जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में यह निश्चय नहीं होता कि वे ५५ तक

[श्री देवी सेवक]

काम करें अथवा ५८ तक काम करें। अब तक नियम यह है कि जिनका काम अच्छा हो उनको रखा जाय और जिनका काम ठीक न हो उनको हटा दिया जाय, यह चीज बहुत दिक्कत तलब हो रही है। क्योंकि यह डिस्क्रिशन पर मुनहसिर करता था और उसमें बहुत बार पक्षपात होने की संभावना रहती थी। एक दो केस में भी जानता हूं जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के ऐमालनामें में एडवर्स रिपोर्ट दे दी कि इसका काम बिलो एवरेज है। एक उदाहरण है। हाई कोर्ट में यह नियम है कि क्रिमिनल केसेज का ३ महीने में फैसला हो जाना चाहिए। एक मुकदमा ऐसा था जिसमें डाक्टर को तलब किया जाना था। दो बार समन जारी किये गये, लेकिन डाक्टर नहीं आया तो अदालत ने वारन्ट ईश्यू कर दिया। इस पर डाक्टर को बुरा लगा और उसने सिविल सर्जन से शिकायत की और यह धमकी दी कि लोगों का जीवन खतरे में है, कोई इज्जत नहीं रह गयी है और अगर इस चीज का प्रतिवाद नहीं किया गया तो हड़ताल कर देंगे। सिविल सर्जन साहब ने भी इस पर नाखुशी जाहिर की और कलेक्टर से कहा और कलेक्टर मैजिस्ट्रेट से नाराज हो गये। लेकिन यहां मैजिस्ट्रेट मजबूर, या बेचारा और क्या करता? अगर उसने कायदे की कानूनी कार्यवाही की तो उसको कलेक्टर की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि उसको बिलो एवरेज की एन्ट्री दे दी गयी। इस प्रकार की खराबियों को दूर करने के लिये अपनेपन के भेदभाव को मिटाना होगा और त्याग और बलिदान की भावना से कार्य करना होगा; नहीं तो हमारा समाज और देश तरक्की नहीं कर सकेगा।

हड़ताल, सत्याग्रह, जलूस आदि की धमकी देना, आज साधारण बात हो गयी है। ये सब शुद्ध प्रशासन को खतरा पैदा करने वाली चीजें हैं। यदि कोई समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसे अपनी मांगें पूरी कराना है तो उसको सही रास्ता अपनाना चाहिये, प्रस्ताव पास करने चाहिये न कि यह कि भूख हड़ताल शुरू कर दिया जाय या आत्मघात की बात की जाय। एक दो दिन का टोकिन अनशन हो तो हो लेकिन हमेशा कोपभवन में जाना और भूखहड़ताल की बात करना उचित नहीं है। प्रशासन पर दबाव डालकर गलत मांगों को पूरा कराने की कोशिश करने से समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रशासन को शुद्ध करने के लिये और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये हमें सही रास्ता अपनाना चाहिये। नाजायज दबाव डालकर मांगें मंगवाने की कोशिश बहुत खतरनाक तरीका है और इस तरह के दबाव से सरकार को दबना भी नहीं चाहिये और इस तरह से हम सही दिशा में अग्रसर न हो सकेंगे।

*श्री मंगला प्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने पुराने मंत्री तथा नये मुख्य मंत्री जिनकी देखरेख में यह प्रदेश का शासन चल रहा है, उनके प्रशासन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आदमी की अपनी एक ऐम्बशन होती है। जब चौधरी साहब कांग्रेसी थे तो उन्होंने भूमिधर बनाये और किसानों को इससे ज्यादा तंग किया और जब वह मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने किसानों को लगान में छूट देने का नाटक दिखाया। यह ऐसी बात है कि जो किसानों के दिल को बहला देती है। उन्होंने यह किया कि अपने नौरत्न बनाये और एक संयुक्त सरकार के नाम से अपना शासन चलाने का ढोंग रचा। उसमें कम्युनिस्ट भाई झारखंडे राय जी, जो गरीब किसानों, मजदूरों के हामी थे और बड़ी-बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज हालत यह है कि गांवों में तीन-तीन चार-चार मास तक दूकानदार गल्ला नहीं उठाते और गांव के भूखे प्यासे लोग गल्ले के लिये तरसते हैं, दूकानदार कहते हैं कि हमें उस को लाकर बेचने में कोई लाभ नहीं है, हम उस माल को क्यों उठावें? दूसरे लाल टोपी वाले डाक्टर लोहिया की छाती पर मूंग की दाल दल रहे हैं और दिल्ली से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ तक एक कर रहे हैं और कहते हैं कि लगान आधा हो गया। जनता का इससे क्या लाभ हुआ ? प्रदेश का भला तो इस में था कि यहां के लोगों को उन्नति का अवसर मिलता, बड़े-बड़े कारखाने खुलते कारोबार चलाये जाते, लेकिन यहां तो बेकारों की संख्या बढ़ रही है और एम्पलायमेंट एक्सचेंज दफ्तर में हजारों आदमियों की भीड़ होती है लेकिन उधर किसी मंत्री का ध्यान नहीं जाता।

हमारे मुख्य मन्त्री जी को तो केवल २ आदमियों की फिक्र है एक जाटों की और दूसरे जाटवों की। उनके ऊपर मेहरबानी ईश्वर की है, उनके भूभाग में नदी बहती है, पानी की इफरात है, सब से कीमती फसलें गेहूं की, गन्ने की जहां होती हैं, तमाम कारखाने हैं और हर तरह की खुशहाली है, लेकिन बीच का और जो पूर्वी प्रदेश का भाग है वह बहुत पिछड़ा और गरीब है, उसकी ओर कोई ध्यान सरकार का नहीं जाता। जब हम गांव में जाते हैं और देखते हैं कि ७–७ और ८–८ दिन तक अन्न का दर्शन नहीं होता तो ऐसा मालूम होता है कि यह शासन उस जहर की तरह है जिस का असर एक मिनट में होता है और आदमी की जान लेने वाला है। आदमी के पलने में और बड़े होने में २० वर्ष लगते हैं लेकिन उसकी जान इनके जहर से एक मिनट में खत्म हो जाती है। तीन मास के अन्दर इस संयुक्त सरकार ने प्रशासन से सुरक्षा ईमानदारी सब गायब कर दी और ऐसे तरीके अपनाये हैं कि जिससे यहां का जन जीवन खतरे में पड़ गया है।

उग्रसेन जी कहते हैं कि हम तो खाली झाड़ू लगायेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि झाड़ू लगाने वाले को भी मुख्य मन्त्री जी अब १ हजार वेतन देंगे। जिन्होंने विधान सभा में बैठ कर २० साल काटे वह अब बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठ कर गरीब किसानों को भूल गये। मजदूरों को भूल गये और सोचने लगे कि झाड़ू लगाने वाले को तो १ हजार रुपया मिलने लगेगा। उनकी मंशा है कि अपने लाभ की बात करो, उत्तर प्रदेश जहां जाये, जाने दो।

आज उत्तर प्रदेश की जनता अत्यन्त पीड़ित है। पहले जो पुलिस का दरोगा होता था वह डर कर घूस लेता था परन्तु आज वही दरोगा खुले आम घूस लेता है। ब्लैक मार्केटियर एक का दाम ४ ले रहा है। मैं समझता हूं कि यहां पर हमारे खेतिहर मजदूर की बस्तियां बहुत ज्यादा हैं और आज तक का रिकार्ड है कि उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील पार्टी की कोई हिम्मत नहीं हुई कि वह इनकी उन्नति की बात करती और उन को आगे ले जाने की सोचती। जब अधिनायक वाद समाप्त होता है तो पूंजीवाद आता है, जब पूंजीवाद समाप्त होता है तो समाजवाद आता है। समाजवाद के सदस्य भी अब कहने लगे हैं कि हमारी सरकार बड़ी मजबूत है। आज उत्तर प्रदेश में पैसा बढ़ाने वाला कोई कार्य नहीं चल रहा है। आदमी में एक प्रकार की गिरावट आ रही है। आज १० बीघे वाले किसान के पास जूता और कपड़ा तक नहीं होता है। वही हालत करीब-करीब १५ बीघा वाले किसान की है लेकिन शहरों में खूब उन्नति हो रही है। यहां पर बिजली सस्ती दी जा रही है, भोजन की सामग्री की उचित और अच्छी व्यवस्था है। जितने अच्छे लोग हैं उनको आप आराम पहुंचा रहे हैं और फिर कहा जाता है कि यह सरकार बड़ी मजबूत सरकार है, बड़ी अच्छी सरकार है। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली वाली सरकार और जनता के बीच में यह सरकार रोड़ा बनी हुयी है और इसको शीघ्रातिशीघ्र समाप्त होना चाहिए।

हमारे एक माननीय मंत्री ने, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, कहा है कि उत्तर प्रदेश का शासन ठीक तरह से चल रहा है। आज भी जो छोटे-छोटे लोग थे, जिनके पास आय का साधन नहीं था और साधारण हस्ती के थे वे मजे में रह रहे हैं। हमारे मंत्रियों का ही नहीं बल्कि हमारे एम० एल० एज० की भी आमदनी का हिसाब-किताब होना चाहिए कि कितना वे कमाते हैं, किस पैसे से कमाते हैं। अगर शासन यह लिमिट कर दे कि यहां पर चाहे वह

[श्री मंगलाप्रसाद तिवारी]

व्यापारी हो, या अधिकारी हो, किसी को आमदनी ४०० से ज्यादा नहीं होगी और वे लोग भी प्रान्त के अन्य रहने वाले गरीबों में शामिल रहेंगे तो मैं भी यह कहता कि यह सरकार बड़ी अच्छी है लेकिन अकबर के ९ रत्नों की तरह से हमारे चौधरी साहब ने जो अपनी कैबिनेट बनायी है, उसमें भी जो पहले बन्दर नचाते थे आज वे सरकार चलाने लगे हैं। हमने भोजन के मामले में, प्लानिंग के मामले में, जितनी योजनाएं बनायीं वे सराहनीय हैं।

जहां तक रोजगार का संबंध है, मैं समझता था कि यह सरकार ज्यादा से ज्यादा बेकार लोगों को काम देगी, उद्योग धंधों का निर्माण होगा लेकिन उसके विपरीत करके अपना एक नाटक रचा और यह तय किया कि कितने चौधरी इस पार्टी में आ जायेंगे और कितने जाटव हैं लेकिन इनके दिमाग में एक ही बात है कि आज हैं कल रहेंगे अथवा नहीं। तो जहां पर अनस्टेबिल गवर्नमेंट होती है वह कभी मजबूत नहीं होती है और वह समाज की अधिक मदद नहीं कर सकती है। आज का सामान्य प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है। इसमें कमजोरी है। अगर वे इस प्रदेश में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि सदन में बैठने वाले मेम्बरों को लेकर इस पर विचार करें ताकि यहां के रहने वालों का जन जीवन उठे और पढ़ाई लिखाई में सक्षम हों। तब मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल सकती है।

इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। बजट के विभिन्न पहलुओं पर रोजाना वाद-विवाद इस सदन में चलते हैं और मैं निरन्तर सुन रहा हूं। विरोध पक्ष की ओर से आने वाले सुझावों के सम्बन्ध में मैं यह सोचा करता था कि हमारे बड़े-बड़े अनुभवी मंत्री बैठे हुए हैं जिन्होंने २० वर्ष शासन चलाया है और विरोधी बेंचों पर बैठ कर सफल और सशक्त प्रजातांत्रिक प्रणाली को बल प्रदान करने के लिए वे कुछ ठोस सुझाव दिया करेंगे। लेकिन जब मैं वक्तव्य सुना करता हूं तो एक कहानी याद आ जाती है। एक खलिहान में तीन औरतें बैठी थीं, आपस में बातचीत कर रही थीं। पहली स्त्री ने कहा हमारा पति बहुत अच्छी बात कर लेता है, दूसरी ने कहा हमारा पति बहुत अच्छी बात कहता है और तीसरी ने कहा कि हमारा पति सब से अच्छी बात कहता है। पहली ने कहा कि हमारा पति जब बोलता है तो मैं कुछ नहीं समझती कि वह कहता क्या है। दूसरी ने कहा तो फिर क्या है, मेरा पति बहुत अच्छा बोलता है। वह जब बोलता है तो गांव में उसको कोई नहीं समझ पाता। तीसरी ने कहा मेरा पति जब बोलता है तो मैं खुद नहीं समझती कि वह कहता क्या है। वही स्थिति विरोधी पक्ष की है। सामान्य प्रशासन की आलोचनायें की जाती हैं लेकिन यह माननीय सदस्य नहीं समझते कि इस प्रशासन को अभी-अभी आये दिन ही कितने हुए हैं। जो मुझ से पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि यह प्रशासन सड़ा है, निकम्मा है, गला है। लेकिन इसको सड़ाने, इसके अन्दर सड़न पदा करने, की जिम्मेदारी किस पर है यह भी हमें देखना होगा। साथ ही साथ खड़े होकर कभी कभी मंत्रियों की तुलनाएं की जाती हैं कि हमारे भूतपूर्व मंत्री देखो और नये मंत्री देखो। कभी-कभी व्यक्तिगत आरोप किये जाते हैं।

आज मैं सुन रहा था, माननीय नेकराम शर्मा खड़े हुए, उन्होंने चौधरी साहब पर जो आरोप लगाये कि उन्होंने किस प्रकार से दल छोड़कर सरकार बनायी, उन्होंने कहा इनका कोई सिद्धान्त नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, देहाती कहावत याद आती है कि "सूप बोले तो बोल, मगर चलनी क्या बोलती है जिसमें इतने छेद हैं"! शायद १९६७ के आम चुनाव के बाद इस प्रदेश की राजनीति में तोड़ फोड़ और गद्दारी का पहला नमूना प्रस्तुत करनेवाला यदि कोई है तो इस सदन के अन्दर बैठे हुए माननीय नेकराम शर्मा जी है। और अब भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दारुलशफा की दीवालों के ऊपर नारे बोल रहे होंगे जब उन्होंने यह आडम्बर रचा था और सब चिल्लाकर कोसा था और वह आज चौधरी साहब को कहते हैं। पार्टी छोड़ने का भिन्न प्रयास हुआ करता है। एक पार्टी छोड़ी थी माननीय नेक राम शर्मा ने जिस में प्रदेश की भावनाओं के प्रतिकूल काम था और एक पार्टी छोड़ी थी चौधरी चरणसिंह ने। दोनों में आपको भेद देखना होगा। माननीय शर्मा ने जिस समय कांग्रेस ज्वाइन की थी उस समय केवल लखनऊ में नहीं बल्कि प्रदेश की जनता में मुर्दनी छायी थी और निर्दलीय सदस्यों के प्रति विश्वास उठता जा रहा था। और जिस दिन पार्टी छोड़ी थी माननीय चरण सिंह ने उस दिन लखनऊ की जनता ने दिवाली जलायी थी और लाबीज में बैठे हुए लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन का स्वागत किया था। तो पार्टियां छोड़ना और पार्टियों में जाना जनभावनाओं के अनुकूल हुआ करता है। आज जो विभिन्न प्रकार के व्यंग कसे जाते हैं वे मेरी समझ में नहीं आते। चुनाव घोषणा पत्रों की बात आज भी कही जाती है। अभी अभी कहा गया कि कुछ समाजवादी हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ जनसंघी हैं और हमारे बड़े-बड़े वरिष्ठ माननीय सदस्य चुनाव घोषणा-पत्रों की धारायें सदन में खड़े हो कर पढ़ते हैं। उन्हें यह तो पहले ही समझ लेना चाहिये कि इस सरकार का चुनाव घोषणा-पत्र ज संघ का चुनाव घोषणा-पत्र नहीं है, संयुक्त समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र नहीं है, किसी एक पार्टी का घोषणा-पत्र नहीं है। बल्कि यह १९ सूत्री घोषणा-पत्र है जिस के ऊपर जिस धर्म शलाखा के ऊपर सभी इन पार्टियों ने हस्ताक्षर किये और उसी घोषणा-पत्र के ऊपर यह सरकार डटी है, उस घोषणा-पत्र को पूरा करने में लगी है, कुछ कर रही है, कुछ को अंश रूप में किया है और आशा करते हैं कि यदि यह सरकार चलती रही, जैसे कि आसार हैं चलेगी, तो मेरा निश्चित मत है कि हमारा वह धर्म संकल्प और हमारा वह घोषणा-पत्र पूरा होगा।

लेकिन, हां, यह बात जरूर है कि जो कहा जाता है कि इतने सैद्धान्तिक मतभेद होने के बाद भी ये सब लोग एक जगह पर बैठे हैं, वे क्यों बैठे हैं, इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इसलिये बैठे हैं कि भले ही हर पार्टी का घोषणा-पत्र अलग-अलग हो लेकिन पार्टीज के घोषणा-पत्रों के साथ-साथ एक घोषणा-पत्र वह भी हुआ करता है जो जनता या मतदाता उसकी पीठ पर लगाती है और उसे यहां भेजती है और उस घोषण-पत्र में एक धारा लगी हुयी थी और उस धारा की वजह से हम एक थे जो ८ करोड़ जनता ने लगाई थी कि कांग्रेस हटाओ। उसको हटाने के लिये यह पार्टियां एक जगह इकट्ठी हुईं और उस घोषणा-पत्र पर हमारे मतदाताओं की मोहर लगी हुई है। घोषणा-पत्र की वह धारा हट भी नहीं सकती। विधायकों की तोड़ फोड़ से भी वह धारा नहीं टूटेगी। खरीद फरोख्त के द्वारा भी वह धारा नहीं टूटेगी। वह धारा जनता की भावनाओं पर आधारित है। प्रजातंत्र प्रणाली में एक बात बड़े महत्व की है। इधर के विधायक उधर पहुंच जायें, लाख दो -लाख की थैलियां ले कर उधर बैठ जायं लेकिन उस घोषणा-पत्र की उस धारा पर कोई असर नहीं आयेगा क्योंकि विधायक उस जनता की भावना से प्रेरित हो कर, जिसकी बदौलत कांग्रेस की सरकार टूटी है, अपने स्थान पर डटे रहेंगे।

आज जो कांग्रेस बेंचेज पर, विरोधी बेंचेज पर, बैठे हुए हैं और बड़े जोर से गरीब किसान और मजदूर की दुहाई दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि यह गरीब किसान और गरीब मजदूर की आवाज पहले उनको कभी सुनाई क्यों नहीं दी जो आज उनको सुनाई देने लगी है। कारण यह है कि सत्ता के मद में पहले वे चूर थे और वह आवाज उनको सुनाई नहीं देती थी और हम को तो वह आवाज पहले से ही सुनाई देती थी जब कि कांग्रेस बेंचेज पर बैठने वालों ने अपने कान बन्द कर लिये थे। सरकार के कुछ पहलू होते हैं जिन पर वह चलती है। सब से महत्वपूर्ण समस्या सरकार को जिन्दा रहने के लिये अगर कोई होती है तो वह है जनविश्वास। चाहे खाद्य सामग्री खत्म हो जाय लेकिन जनता का विश्वास

[श्री ः प्रकाश त्रिपाठी]

सरकार के पास हो तो वह डटी रहेगी। आज स्थिति यह है कि विरोधियों के वक्तव्य जब उधर से होते हैं पहली अप्रैल से पहले जब होते थे तो यहां पर बैठे हुए लोग इस बात के साक्षी हैं, लाबीज गवाह हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट हुआ करती थी मगर आज जोशीले से जोशीले भाषण उधर से होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। यह शासन आज जनता की भावनाओं पर खड़ा है, यह किसानों और मजदूरों की भावनाओं पर खड़ा है। मैं अपने विरोधी बन्धुओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह भावना अटल चट्टान है और उससे अगर टाटा, बिरला तथा रामरतन गुप्ता की थैलियां टकरायेंगी तो चूर चूर हो जायंगी और इस सरकार को गिराने में सफल नहीं हो सकतीं क्योंकि यह जनता की भावना पर आधारित है। इतना अवश्य है कि सामान्य प्रशासन में जो ढिलाई २० वर्ष से चलती आ रही है उसके लिये हमारी सरकार को कुछ ठोस पग उठाने होंगे और अभी पिछला कूड़ा उसे साफ करना होगा। उदाहरण के लिये, एक केस हरदोई जिले का है, उसका जिक्र करता हूं। दिसम्बर, ६५ में एक डकैती पड़ी और एक अधिकारी ८ दिन के बाद गया था लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न फिर कोई अफसर गया। मेरा निश्चित मत है कि शायद अंग्रेजों ने इतने लम्बे काल में इतना कूड़ा इकट्ठा नहीं किया होगा जितना कांग्रेस के कुशासन ने २० साल में प्रदेश की छाती पर इकट्ठा कर दिया है। इस कूड़े को साफ करने के लिये हमारी सरकार को ठोस पग उठाने होंगे। इतना अर्ज करते हुए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं सामान्य प्रशासन पर मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, तो मुझे आशा थी कि वह अपने बीस साल के तजुरबे से जिसमें कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात चलती रही है, उस की बाबत अपना कुछ अन्तिम निर्णय इस सदन में सुनायेंगे। लेकिन दुःख हुआ जब उन्होंने इस मसले को आज बड़ी खूबसूरती से यह कह कर टाल दिया कि शायद इस महीने के आखिर तक इस विषय में कुछ फैसला कर सकें। आज जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बड़ी आवश्यकता है और खास तौर से उस समय जबकि यह प्रदेश एक राजनीतिक अस्थिरता पर चल रहा है। आज हमारे प्रदेश में विरोधी पक्ष और सरकार में थोड़ा ही अन्तर है और रोज इस बात की उम्मीद रहती है कि इस पक्ष से उस पक्ष में और उस पक्ष से इस पक्ष में और कितने लोग चले आयेंगे। तो जाहिर है कि ऐसे समय जो एग्जीक्यूटिव का दबाव सरकार की तरफ से लोगों पर पड़ सकता है उसके समाधान के लिये एक ही मार्ग है और वह है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। अगर जुडिशियरी पर सरकार हावी रही तो जो आशायें जनता को जुडिशियरी से थीं वह पूरी नहीं हो पायेंगी और उसका विश्वास प्रजातंत्र से हट जायगा और उसके बाद जो नतीजा होगा वह किसी से छिपा नहीं है। आज नौकरशाही का दबदबा इतना बढ़ गया है कि आज हमारे जितने नौजवान भाई हैं, चाहे वह छोटे परिवार के हों या बड़े परिवार के, सभी सर्विसेज में जाना चाहते हैं। आज हमारे फर्स्ट क्लास के विद्यार्थी राजनीति में न आ कर सरकारी नौकरियों में इसलिये जाना पसन्द करते हैं क्योंकि नौकरशाही हमारे जीवन पर हावी है।

आज टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात भी चौधरी साहब ने की। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि हम इसको किस प्रकार खत्म करेंगे। चौधरी साहब तो एक पुराने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, उनको बीस साल का गवर्नमेंट का तजुरबा है। मैं अखबार में बराबर पढ़ता आ रहा हूं कि आयुक्तों की जगह ऐडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल बेकार है। लेकिन चौधरी साहब का ध्यान उनको हटाने की तरफ नहीं गया। आज डिप्टी कलेक्टर रहना चाहिये या तहसीलदार रहना चाहिये, इस ओर भी उनका कोई ध्यान नहीं गया। तो जो बातें टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन को कम करने के लिये होनी चाहिये थीं उनकी तरफ चौधरी साहब का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। फिर खर्चा कैसे कम होगा? चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ी डींग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मारी कि उनके आने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मैं उनको दावत देता हूं, वह चल कर देखें कि भ्रष्टाचार पहले से अधिक बढ़ गया है। उन्होंने एक मिसाल दी कि एक सब रजिस्ट्रार साहब ने रिश्वत लेना बन्द कर दिया है उस तारीख से। लेकिन मुझे दुःख है कि आज भी सब-रजिस्ट्रार में वही भ्रष्टाचार है और बगैर पैसे के आज भी रजिस्ट्री होना नामुमकिन है। भ्रष्टाचार को हटाने की बाबत बड़ा शोर है, लेकिन उसके बारे में ठोस कदम क्या उठाया गया है? कहा गया कि ऊपर वाले ईमानदार हो जायेंगे तो नीचे वाले लोग आप से आप ईमानदार हो जायेंगे। लेकिन मेरी समझ में यह बात गलत है। नीचे वालों का स्तर जब तक ऊंचा नहीं होगा, उनकी जरूरियात की चीजें पूरी न की जायेंगी, तब तक भ्रष्टाचार हट नहीं सकेगा। इसलिये चौधरी साहब का रुझान इस ओर जाना चाहिये था। जो अच्छे कर्मचारी हैं और कम वेतन पाते हैं उनके स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया है, उसकी ओर चौधरी साहब ने सदन के मेम्बरों की कोई तवज्जह नहीं दिलाई। वह जमाना गया जब इंग्लैंड की सरकार तीन वोट से चलती थी। उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेम्बरों को तोड़ने के लिये इधर से थैलियां बंटती हैं ताकि सरकार को बदल दें लेकिन मालूम होता है कि उनकी तरफ से जो थैलियां बांटी जा रही हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया है। वे एक तरफ की बात देखते हैं, दूसरी तरफ की बात नहीं देखते हैं। इसलिये मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो राजनीतिक अस्थिरता है.....

(व्यवधान)

आप अपनी तरफ देखें, आपकी तरफ से थैलियां चल रही हैं, न कि इधर से। बहरहाल, ऐसी परिस्थिति में जब कि राजनीतिक अस्थिरता है, जैसा कि शर्मा जी ने बतलाया कि जब यहां के विधायक खुलमखुल्ला चौधरी साहब के खिलाफ वोट देने में डरते हैं, इसका मतलब यह है कि टेरर है, उनके सरकार में होने का डर है। इस डर को खत्म करने के लिये एक ही दवा है कि एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को शीघ्र से शीघ्र अलग कर दिया जाय जिससे हर आदमी अपने को स्वतंत्र महसूस करे। आज जनता की भावना है कि लेवी जो आपने लगा रखी है, सदन में रोज सुनने को मिलता है और सब लोग इस बात को जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी किस तरह से जबरिया गल्ला वसूली कर रहे हैं। जो गल्ला नहीं देते उनकी बन्दूकों के लाइसेंस कैंसिल किये जाते हैं, नोटिसें दी जाती हैं। अगर आपने जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को सेपरेट न किया तो इसकी चाराजोई कहां होगी? इन अफिसरों से आप को जैसा जवाब मिलता रहा है वैसा ही बराबर आपको मिलता रहेगा और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि वह एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन के लिये शीघ्र से शीघ्र कदम उठावें।

*श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज सामान्य शासन का अनुदान है। यह ऐसा अनुदान है जिससे सरकार की पूरी तस्वीर सामने आ जायेगी। कोई भी सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस की हो या विरोधीपक्ष की हो, अगर उसके काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अच्छे नहीं हैं तो वह जनता का भला नहीं कर सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू में ऐसा इशारा किया। उन्होंने तो कह दिया कि जैसा कि एक अच्छा नाम होना चाहिये प्रशासन का वह इस देश में नहीं है। न्याय मशीनरी के बारे में और एक्जीक्यूटिव के बारे में जो उन्होंने प्रयास किया है और जो सुझाव दिया है तथा उसके लिये जो कदम उठाया गया है, उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं, और बधाई के पात्र हैं। पिछले २० साल में लोगों को देखने व सुनने को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुल्कीराज]

नहीं मिला कि इस तरह का किसी मंत्री या प्रशासक ने पग उठाया हो। पिछले २६ महीनों में विजिलेंस कमेटी की जो सिफारिशें आयी थीं कि उन पर ऐक्शन किया जाय, उनको दबा कर रख दिया गया। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि उनके बारे में उनका काम ठीक नहीं है ? यह जरूर बात है कि जैसा देश का हाल हो वैसा ही सरकार का हाल होता है। देश और प्रदेश में पिछले वर्षों में सबसे बड़ा आघात जो पहुंचा है वह यह कि हमारे देश का कदम पतन की ओर ही उठा है। सारे प्रशासक व उसकी सारी मशीनरी के नैतिक पतन का जहां इतिहास हो, उसको तीन महीने के अन्दर उबारा नहीं जा सकता है। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा और मैं जानता हूं, मैंने पहली मई, १९४९, को कांग्रेस छोड़ी। इससे पहले मैं असमंजस में रहा कि कांग्रेस छोड़ूं या न छोड़ूं। ३० जनवरी, १९४८, को गांधी जी के निधन हो गया था और मैंने पढ़ लिया था कि कांग्रेस शासन आने के बाद अजमेर में उन्होंने तीन दिन का उपवास किया था और कहा था कि मैं कांग्रेसी प्रशासकों के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। उनके पास ऐसी खबरें आ गई थीं आज के एम० एल० एज० और मंत्रीभ्रष्ट हो रहे हैं। जिस देश और प्रदेश में मुख्य मंत्री और मंत्री लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो वहां के अधिकारी और कर्मचारी कैसे छोड़ सकते हैं ?

इसके बाद मैंने सोचा कि क्या कांग्रेस का सुधार हो सकता है ? गांधी जी की पहली बरसी पर मैं दिल्ली गया था कि क्या कांग्रेस में ऐसा नेता हैं जो इसका सुधार कर सकते हों। जब मैं अन्दर पहुंचा तो डायस पर नेता बैठे हुये थे। उसी समय माननीय आचार्य विनोबा भावे आये। मेरा विश्वास था कि अगर जनता में उनका मान हो तो कांग्रेस का सुधार हो सकता है। दूसरे अन्य नेता जो पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हों वे इसका सुधार नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा सरदार पटेल और पंडित जवाहर लाल जी तशरीफ डायस पर लाये। उनके आते ही सब लोग खड़े हो गये। उस समय मेरे दिमाग में आया कि यहां पर माननीय विनोबा भावे जी का इतना सम्मान नहीं है जितना इन नेताओं का है। मैंने निश्चय कर लिया कि अब कांग्रेस का सुधार नहीं हो सकता है। वह कांग्रेस जिसके लिये गांधी जी ने उपवास तीन दिन का किया था वह कांग्रेस अब नहीं रह गई थी जिसके गुणगान किये जाते हैं कि यह आजादी प्राप्त कराने वाली संस्था है। वह कांग्रेस तो ३० जनवरी, १९४८, को मर गई थी। आज यह तो नकली कांग्रेस है। इसलिये इसकी दुहाई देना और आजादी दिलाने का सारा श्रेय अपने ऊपर लेना झूठा दावा है।

प्रशासन गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चलता है। मैं गांव स्तर के छोटे कर्मचारियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनमें पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, वी० एल० डब्लू०, और सिंचाई विभाग के पतरोल शामिल हैं। इनके लिये भ्रष्टाचार करना अनिवार्य है क्योंकि इनकी तनख्वाहें और भत्ता इनके खर्च को पूरा नहीं कर पाते। गांव के चौकीदार को केवल ५ रुपये मिलते हैं। उसकी यदि आवश्यकता नहीं है तो हटा दिया जाय अन्यथा इसको अच्छी तनख्वाह दी जाय। इसके बाद पटवारी भ्रष्टाचार करता है। मैं कलक्टर सहब के भ्रष्टाचार के ऊपर आता हूं क्योंकि ऐसी प्रथा जिलों में है कि कलक्टर साहब, एस० डी० एम० तहसीलदार वगैरह जब दौरे पर जाते हैं तो कैम्प्स लगाते हैं और उनका खर्चा सारा पटवारी के जिम्मे होता है। एक पटवारी के ५ हजार रुपये कैम्प पर खर्च हुये। मैंने जब उससे पूछा कि कैसे कमाते हो उसने कहा कि मेरे हल्के में बंजर जमीन है, उसको मैं काश्त लिख देता हूं जिससे बहुत रुपया बन जाता है। इस तरह से जो कलक्टर, तहसीलदार पटवारी से खर्चा उठवाते हैं वे कैसे ईमानदार हो सकते हैं ? सहारनपुर में लेवी वसूली के सिलसिले में एक तहसीलदार चले तो उन्होंने अपने साथ में ट्रक लिया और पुलिस ली और ट्रक को ले कर गांव में पहुंचे। पता चला कि पटवारियों और कानूनगो से पैसा वसूल करके पेट्रोल लिया जा रहा है चाहे वह पेट्रोलका खर्चा सरकार से आता हो।

तीन बड़े दोष हैं। भ्रष्टाचार, मिलावट और ब्लैकमार्केट; लेकिन तीनों को मिटाने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन पर है। इसकी तगड़ी पकड़ होनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री ने इशारा किया कि मंत्रिमंडल का जैसा नैतिक स्तर होगा वह

प्रतिबिम्बित होगा नीचे तक। अगर मंत्रिगण साफ और शुद्ध हों तो उसका असर नीचे प्रशासन पर पड़ेगा। जब मंत्रिगण दौरे पर जिलों में जाते हैं, तो उनको एक प्रोग्राम बनाना चाहिये, उनको विभाग की पूरी जानकारी होनी चाहिये, उस विभाग का कानून क्या है, कार्यालय और कर्मचारी कितने हैं, किस तरह से काम होता है, कार्यक्षेत्र कितना है। जब दौरे पर जायं तो कार्यालय का निरीक्षण करने का टाइम रखना चाहिये। दौरे का प्रोग्राम यहीं से निश्चित करके जायं नहीं तो जिले के अधिकारी वहीं ले जा कर खड़ा कर देते हैं जहां काम अच्छा होता है और जहां काम ठीक नहीं होता वहां नहीं ले जाते। प्रशासनिक विभाग स भ्रष्टाचार खत्म हो जाय तो न ब्लैकमार्केट रहेगी। तीनों चीजों को खत्म करने के लिये प्रशासनिक विभाग का भ्रष्टाचार खत्म करना आवश्यक है। उसके लिये जरूरी है कि मंत्रिमंडल अपने हाथ को क्लीन रखें और ऐसी मशीनरी रखें जिसका थोड़ा सा जिक्र आया है। कोई विभाग आज भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। लेकिन बहुत से आदमी ईमानदार भी हैं। दो तीन आदमी हमारे यहां हैं। एक ओमप्रकाश अध्यापक हैं। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। एक फूलसिंह हरिजन हैं। वह जूता नहीं पहनते। इस किस्म के लोग मौजूद हैं। इस प्रकार के लोग चकबन्दी में और हर जगह मौजूद हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उनके अफसर उनके कैरेक्टर रोल में एंट्री कर देते हैं। मेरा अपना भी भाई इसका शिकार है। वह अफसरों को खिलाता पिलाता नहीं। उसके कैरेक्टर रोल में एंट्री कर दी है। ईमानदार आदमी को काम करने का मौका नहीं मिलता है। प्रशासन का सुधार मंत्रिमंडल के सुधार से होगा और अच्छे अधिकारियों को रखने से होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्री द्वारा चार अनुदान सदन के विचारार्थ पेश किये गये हैं, जिनके द्वारा लगभग ५६ करोड़ रुपये की धनराशि की इस सदन से मांग की गयी है। आम प्रशासन का असली उद्देश्य यह है कि जनता की गरीबी दूर हों, जनता को शुद्ध शासन मिल सके, सुरक्षा मिल सके, और जिस को वेलफेयर स्टेट कहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। श्रीमन्, इस तीन महीने में सरकार की उपलब्धियों को नापना अनुचित होगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लक्ष्य को ले कर यह अठरंगी सरकार बनी क्या उस दिशा की ओर चल रही है, जिस गंतव्य स्थान पर जाना चाहती थी? क्या उस मार्ग पर चलना भी शुरू किया है यह देखना है। अगर उस मार्ग पर चलना शुरू नहीं किया है तो इस प्रशासन का क्या लक्ष्य हो सकता है? किसलिये इस प्रदेश में इस प्रशासन को इतनी बड़ी धनराशि की हम लोग स्वीकृति दें। श्रीमन्, आज कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा इस प्रदेश की आबादी हर वर्ष १८ लाख बढ़ती है, जिसमें कि करीब करीब ४ लाख वर्किंग फोर्स बढ़ता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिस वक्त समाप्त हुई, भिन्न भिन्न इकोनामिस्ट का अलग-अलग मत है, फिर भी औसतन २०/२५ लाख की बेरोजगारी थी। इसका मतलब यह है कि कम से कम २०—२२ लाख बेकार आदमी अवश्य थे। माननीय झारखंडेराय जी जब मंत्री नहीं थे और इधर विरोध में बैठते थे तो बार-बार आवाज उठाया करते थे कि जो सरकार बेरोजगारी नहीं दूर कर सकती है, उसे गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार में वह हैं, उस सरकार ने उत्तर प्रदेश में २२ लाख व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं।

इसके अतिरिक्त, जो लोग आर्थिक अभाव के कारण टेक्निकल तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं यानी कि जो हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग हैं जो अति गरीब हैं वे पैसे की कमी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं हासिल कर सकते हैं, इसके लिये उनकी सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है? जिन गार्जियंस की आय १ हजार रुपये से कम है उनके बच्चों की इंजीनियरी और मेडिकल शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

व्यवस्था के लिये इस सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? २० साल के प्रशासन का बड़ा जिक्र किया जाता है । मैं नहीं समझ पाता हूं कि सत्ता में हो जाने से कितनी जबान बदल जाती है, फ्लोर क्रास कर देने से एक साथ एक आदमी के कितने उद्देश्य बदल जाते हैं, लक्ष्य बदल जाता है । माननीय हरीशचन्द्र सिंह जी जज हैं । जज किसी की रूरियायत नहीं करता, वह जो न्याय होता है वही करता है । उन्होंने कांग्रेस का टिकट मांगा था, लेकिन उनको ठुकरा दिया गया तो अब उनको कांग्रेस के प्रशासन में यूजियन स्टेबेल दिखाई पड़ने लगा है, जिसकी उन्होंने जोरदार चर्चा की है । मैं अपने माननीय दोस्त से पूछना चाहता हूं कि अभी चार पांच महीने पहले जब उन्होंने कांग्रेस का टिकट मांगा था, तब उसमें क्या यूजियन स्टेबेल नहीं था । और यदि उस समय नहीं था तो इस समय इतनी जल्दी वह कहां से आ गया । अभी चौधरी साहब ने कहा कि मैं जन-जीवन को शुद्ध करना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन को स्वच्छ करना चाहता हूं । २० साल कांग्रेस में रहने के बाद उनके अन्दर एक जागृति पैदा हुई । खैर चलिये आखिर में ही पैदा हुई । उनका लक्ष्य है गांधियन सोशलिज्म । गांधी जी ने अपने देश के लिये किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिये साधन की स्वच्छता पर जोर दिया था । लेकिन जहां पर स्रोत ही गंदा हो, उससे जो नदी प्रवाहित होगी वह किस प्रकार से जन जीवन को शुद्ध बना सकती है ? और कैसे प्रदेश की जनता को स्वच्छ प्रशासन प्रदान कर सकती है ? चौधरी साहब ने फ्लोर क्रास किया, वह अवश्य कांग्रेस से अलग होकर ऐसा करते लेकिन मुख्य मंत्री बनने के लिये नहीं, तब तो उनका मारल और आदर्श हमें और प्रदेश की जनता की समझ में आता । जो आदमी मुख्य मंत्री पद के लिये अपनी पार्टी से विश्वासघात करे, जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर शिप के लिये खरीदा जा सकता है, वह कदापि प्रशासन शुद्ध नहीं कर सकता है । साढ़े तीन महीने के अर्से से आज मंत्रियों की कारों और उनके समय का सदुपयोग, केवल इस सदन के सदस्यों को प्रभावित करने के लिये, उनपर जोर डालने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है । आज स्टेशन्स पर मिनिस्टर्स की कारें जाती हैं । ग्रामों ग्रामों में जाकर एम० एल० एज० के जीवन को दूभर आज संयुक्त विधायक दल के लोगों ने बना रखा है । लखनऊ के चौराहे पर शो-रूम बनाया गया है, जहां से विरोधी पक्ष के लोगों को मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बनाने का खुले आम प्रलोभन दिया जाता है ।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)--

आप तो अपनी करनी का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री बनारसीदास--

वीरेन्द्र वर्मा के साहस की मैं दाद देता हूं । जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत ही उस परिवार से की है, जिसने आजादी की लड़ाई में कुल्हाड़ा मारा, किन्तु कांग्रेस में आकर जिसका जीवन थोड़ा खुला, कांग्रेस के टिकट पर जो वह चुनकर आये । (व्यवधान) ..... श्रीमन्, आज जो हमारे देश के प्रगतिशील तबके हैं उनका कहना यह है कि २० साल हमने क्या किया । जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, एस० एस० पी, पी० एस० पी० वगैरह अपने लक्ष्य इस देश की तरक्की के लिये प्लानिंग को मानते हैं तो मैं रुस्तम सैटिन से पूछना चाहता हूं कि संसार में जहां प्लानिंग हुई है वह कोई मिसाल बता दें जहां डिमोक्रेसी द्वारा प्लानिंग हुई हो । हेरोल्ड लास्की कहते हैं कि प्लानिंग के लिये आवश्यक है स्वतंत्र मतदान का रोका जाना और प्लानिंग को ट्रीजन कहा जाना, मास्को में ट्रायल, रशा के अन्दर २०, २५ लाख आदमियों का सिर तोड़ा जाना, आग लगाया जाना आदि आदि यह सब काम हुये हैं । आज हमारी सब से बड़ी सफलता यही है कि हमने प्लानिंग को डिमोक्रेसी के द्वारा करना सहर्ष स्वीकार किया और हमारे में एक नेता पैदा हुआ पं० जवाहर लाल जिसने कहा कि डिमोक्रेसी के अन्दर प्लानिंग चलायी जा सकती है । माननीय झारखंडे राय जी, प्लानिंग में सबसे पहला काम यह होता है कि कैपिटल गुड्स बनाये जाते हैं और कैपिटल गुड्स बनाते हैं वहां कंज्युमर गुड्स का अभाव हो जाता है । वहां लड़ाइयों के लिये तैयारियां करनी पड़ती है । तो हमने देश को एक वरदान दिया जिसे रशा नहीं कर पाया, वहां १६, १७ साल तक सिविल वार होती रही, अकाल पड़ते रहे लेकिन हमारे यहां कुछ हुआ नहीं, शान्ति रही और डिमोक्रेसी के अन्दर हम प्लानिंग लाये । लोग कहते हैं कि हमको आये

हुये साढ़े ३ महीने हुआ। ठीक है, आप अपने १९ प्वाइंट्स को साल भर के लिये रखते। हमने गवर्नर ऐड्रेस को साल भर के लिये रखा था और इसलिये आपका जो अमेंडमेंट था वह साल भर के लिये था। आपन कहा कि हम मालगुजारी को माफ करेंगे लेकिन किया क्या। पहले तो यह कि २ रुपये तक मालगुजारी माफ नहीं होगी। फिर देखा कि इमारत मिस्मार होने वाली है दो रुपये वाली बात छोड़ दी और आधा लगान कर दिया। हमने मुजफ्फरनगर में ही मान लिया था और हम इस जानकारी के साथ आये थे और जनता ने हमें इसी जानकारी के बल पर चुना था कि हम सवा ६ एकड़ तक के अनएकानमिक होल्डिंग पर लगान को माफ करेंगे और वह हम करते। आपका तो दावा था कि पूरा लगान खत्म करेंगे, लेकिन आज कहते हैं कि वह हम ५ साल में करेंगे। क्या १९ प्वाइंट प्रोग्राम ५ साल के लिये बनाया था। आपने कहा था कि हम इन कर्मचारियों को सेन्ट्रल के बराबर डी० ए० देंगे। क्या आपने दिया ? आपने कहा था कि कोई आदमी रिट्रेंन्च नहीं किया जायगा। आज यहां पर महिलायें अनशन कर रही ह और दो-तीन महिलाओं की हालत चिन्ताजनक है, तो क्या यह बेरोजगारी दूर करने का तरीका है ? श्रीमन्, इन्होंने कहा था कि महंगाई खत्म करेंगे लेकिन, आज लखनऊ में आपकी नाक के नीचे चीनी साढ़े चार रुपये किलो बिक रही है क्या इसको रोकने के लिये आपने कदम उठाया ? आज जून और जुलाई में गेंहूं ५० रुपये मन बिक रहा है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसको करने वाले व ह, जिनको आपने कारों के लाइसेंस दे रखे हैं और वे आपके पास बैठे हैं।

श्री बनारसीदास—

मैं यह कहता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो यह देखे कि लाइसेन्स जनसंघ के पास ज्यादा हैं या अन्य लोगों के। लारी के परमिट जनसंघ के पास ज्यादा हैं या दूसरे लोगों के पास हैं। श्रीमन्, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि टम्बरेश्वर प्रसाद जी का आज शासन है। वह इस सदन की कमेटी बना दें। वह कमेटी देख लेगी कि ज्यादा लाइसेन्सी किसके हैं। अगर हमने लाइसेन्सी बनाये हैं वह उनको खत्म करके कोआपरेटिव को दें दें। उनको भी खत्म करके स्टेट ट्रेडिंग के हाथ में दे दें। उनको भी खत्म करके राष्ट्रीय वितरण की योजना बना दें। जिस प्रकार से यह मिनिस्टर कर रहे हैं वह भी बड़ी खेदजनक बात है। अभी आजमगढ़ के डी० एस० ओ० का ट्रान्सफर किया गया। एक मेम्बर साहब ने इस्तीफा दे दिया तो उसका ट्रान्सफर रुक गया। जिस जगह चाहे जिसको भेज दें यह आज एक एक मन्त्री कर रहा है। अपनी इमारत को खड़ी रखने के लिये यह आप सब कुछ कर रहे हैं। क्या इससे भ्रष्टाचार रुक जायगा ? आज यह किया गया है कि आप सीनियर आफिसर को जूनियर जगह पर भेज रहे हैं और एक जूनियर अफसर को यहां आफिस मे रखा जा रहा है। यह आप उनकी वफादारी खरीदने के लिये कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भ्रष्ट करने के लिये और शासन को इनएफिशियेन्ट बनाने के लिये ऐसे अफसरों को जिलों में भेजा जा रहा है जो यहां पर ३ साल से नहीं थे, अगर वे करप्ट नहीं थे और आप उनको सही समझते थे तो उनको जिलों में क्यों भेजा गया ? हर एक डेमोक्रेसी में सर्विसेज परमानेन्ट हुआ करती हैं। गवर्नमेन्ट आती हैं और जाती है। गवर्नमेंट के जाने से किसी गवर्नमेंन्ट के मम्बर की वफादारी पर असर नहीं पड़ा करता है, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं। वायरलेस से समाचार भेजकर सरकारी वायरलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हर जगह प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जगह-जगह मेम्मरों को प्रभावित करने के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपरोच किया जाता है। मेरे पास रिपोर्ट आई है एक दो एस० डो ओ० के जरिये से कि जाति बिरादरी के नाम पर जगह-जगह जिलों के अन्दर प्रशासन को शुद्ध करने के लिये ५, ५ मिनिस्टर एक-एक शादी में जमा हो जाते हैं। मेम्बरों का फेवर गेन करने के लिये आप इस तरह से करके प्रदेश के अन्दर आज आप यह आदर्श पेश कर रहे हैं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

किस डी० एस० ओ० से आपको यह समाचार मिला है जरा बतला दें वह कौन है ?

श्री बनारसीदास—

मैं समझता हूं कि मेरे से पहले ही आपने जानने की कोशिश की होगी और आपकी जानकारी में है। आज हमारे सूबे के अन्दर जो यह प्रशासन है वह इस त ह से आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति २० साल तक सब विभागों से संबंधित रहा हो और जिसने कांग्रेस में रहकर अपने जीवन को उठाया हो क्या आज उसकी नैतिकता का यही उदाहरण है कि इस तरह से लोभवश पद पान के लिये कांग्रेस को छोड़ दें? एक श्री उदितनारायण जी ह जिन्होंने १६ साल तक समाजवाद का ढिंढोरा पीटा। जिनको जनता ने बार-बार रिजेक्ट किया सन् ५७ में रिजेक्ट किया और सन् ६२ में जनता ने उनको रिजेक्ट किया और जिनका बुद्धि स्तर इतना गिर गया जो कि १६ साल तक समाजवाद का नारा बुलन्द करते हुए भी समाजवाद नहीं ला सके तो फिर वह कांग्रेस की शरण में आये। हमारे यहां से टिकट मांगा और दिल्ली की यात्रा की। कमलापति जी कोठी क अन्दर जाकर वहां की मिट्टी को नोच डाला तब जाकर यहां आये। यहां आकर मिनिस्ट्री के लालच में उधर जाकर चरणसिंह जी को भी ले डूबे। इस तरह के जिस शासन के मंत्री हों और जो इतने जल्दी बदल जात हों। उनका क्या भरोसा किया जा सकता है। यह शासन को क्या शुद्ध कर सकते हैं जो इस तरह स खरीदे जा सकते हों। हमारे दल के अन्दर इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

१७ मिनट हो चुके हैं। आप कितना समय लेंगे?

श्री बनारसीदास—

मैं ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा। हमारी तरफ आप आ गये हमें आवश्यकता नहीं थी। हम कंफटबिल मेजारिटी में थे। हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया। साल भर के बाद एक साहब मिनिस्टर बन गये, लेकिन आप तो चाहत हैं कि आज ही आइये, चलिये और राजभवनमें चल कर शपथ ले लीजिये। १९ तारीख को जिस प्रकार आपने चुनाव कराया है उस से, मैं समझता हूं कि लज्जा भी लज्जित हो गयी। सदन के अन्दर सीक्रेट वोट से स्ट्रेंथ का ट्रायल हो गया। यह होना चाहिय। लेकिन जनता जानती है। जिस तरह से गुप्त जी ने फैसला किया उस तरह से यदि आप भी करते तो आप उधर बैठ नहीं सकते थे। उस के बाद आप ने प्रलोभन दिय, आफिसेज और परमिट्स बांटना शुरू किये और आपका एक ही कामन प्रोग्राम है लस्ट फार पावर। आप समाजवाद को भूल गय। डाक्टर लोहिया बड़े जोर से गर्जना करते हैं कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ नहीं करगे तो एस० एस० पी० निकल जायगी, लेकिन कुर्सियों के लालच में, मंत्रियों ने, जिस के वेस्टेड इंटरेस्ट हो गये थे, उन को मजबूर कर दिया। तो श्रीमन्, यह उन का कामन प्रोग्राम है। म झारखंडे राय जी का बहुत आदर करता हूं। मैं जानता हूं कि व क्रान्तिकारी रहे ह और उन के दिल के अन्दर अभी भी आग है। मैं उन को दोषी नहीं ठहराता कि साढ़ तीन महीने में उन्होंने क्या किया, लेकिन वह मुझे कंविंस करें कि वे किस सड़क पर जा रहें हैं? उन्होंने किस मार्ग का अवलम्बन किया है? श्रीमन्, यह जो १९ प्वाइंट प्रोग्राम का फ्राड है यह जनता के साथ बड़ा विश्वासघात है। (व्यवधान) माननीय सदस्य को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। मैं जानता हूं कि जवाहरलाल जी ने इंदिरा जी को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक आदमी लोहे की टोपी पहनता था और पेट पर लोहे की पेटी बांधता था इसलिये कि उस की अक्ल निकल न जाय। मेरे सामने बैठने वाले लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अक्ल तो बाजार में नहीं मिलती, वह तो हृदय की चीज है। तो यह जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है इस के लिये एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये। जो कार्यक्रम आपने रखा है, उसके लिये इस का कोई औचित्य नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ में इस कट मोशन का समर्थन करता हूं।

*श्री बीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रशासन के बारे में विरोधी नेताओं के भाषण सुन कर मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरे साथ एक साहब इम्तहान दन गये थे। वह जब पेपर का जवाब लिखने बैठे तो लिखते ही चले गये। मैंने बाद में उन से पूछा कि आपने मिल्टन और शेक्सपियर क बार में इतनी कापियां भर दीं। आपने क्या लिखा? उन्होंने जवाब दिया कि हम तो रात को पढ़ते हैं और उसे सुबह लिख देते हैं। सवाल को जरा अपनी तरफ खींच लेते हैं और सवाल में पूछा क्या है इस से कोई सरोकार हमको नहीं। बात यह है कि जो हमें याद है वह हमें कह देना है। तो लगता ऐसा है कि माननीय बनारसीदास जी, नेकराम जी ने अपना जो भाषण दिया वह शायद दो महीने पहले ही तय कर लिया था। मुख्य मंत्री का भाषण कुछ भी हो, अनुदान कुछ भी हो, उन्हें तो अपना सवाल उसी तरह से हल करना है। म आपसे बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सबसे पहली शिकायत जो मेरे मित्र नेकराम शर्मा की है वह यह है कि टाप-हैवी ऐडमिस्ट्रेशन हो गया है। पहले पोजीशनल स्टट थी। जब स्टट बदली तो फंक्शनल स्टेट आयी और फंक्शनल स्टेट का इस्तेमाल अंग्रेज के जमाने में होता था। लेकिन अब वेलफेयर स्टेट की तरफ हम बढ़ेंग तो सामान्य प्रशासन का खर्चा जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं और मेरे लायक दोस्त जो आंकड़े खींचकर लात हैं तो वह सन् १९३९ से लाये। यह बात समझने की है कि उस वक्त हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में भी अंग्रज का शासन चलता था। उनको कोई सरोकार हमारे वेलफेयर स्टेट के बारे में नहीं था। लेकिन अब पिछले २० सालों में जो पद्धति हमारे कांग्रेसी मित्रों ने डाली, मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पद्धति यह थी कि लोकतंत्रीय प्रणाली में, विशेषकर संसदीय प्रणाली में प्रशासन की एक विशेषता होती है कि राजनीतिक नेता नीति निर्धारित करते हैं और प्रशासन, नौकरशाही उसका पालन करती है। हमारे कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की नीतियों की असफलता का कारण यह रहा कि उन्होंने नीति तो निर्धारित करवाई आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों से और उसका पालन करवाने के लिये खुद बैठ गये। मोटर कैसे चलगी, कारखाना कैस बनेगा, नीति क्या होगी इसक बारे में कांग्रेसी मंत्रिमंडल को पता नहीं। पता करने केलिये इमदाद ली जाती थी नौकरशाही की, उनके आला दिमाग और काबलियत की। इमदाद लेकर लाइसेंस किसको मिलेगा। यह मंत्रिमंडल तय करता था।

लिहाजा पिछले २० साल में जो भी प्रशासनीय कमजोरियां रही हैं उनका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक नेताओं ने वह काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिये था और प्रशासन से वह काम लिया गया जिसकी उससे अपेक्षा नहीं की जाती थी। जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो हमने उस बात को रोका जैसा कटौती प्रस्ताव नेकराम शर्मा जी का है, मुझे लगता है यह शायद उस दिन बना था जिस दिन पहले पहल स्वयं गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाने की बात वह चलाते थे। मैं जब चुनकर आया तो पहले-पहल जब सामूहिक मीटिंग में बैठा जो कि नेकराम जी ने ही बुलाई थी उसके बाद एक ही दिन में मैंने दखा कि आनन-फानन में गैर-कांग्रेसी सरकार की हिमायत छोड़ कर वह विरोधी दल में जा मिले। वजह क्या है? हमसे बार-बार पूछा जाता है कि मुख्य मंत्री क्यों कांग्रेस छोड़ गये, इसकी वजह क्या थी। लेकिन हमारे माननीय नेकराम शर्मा शायद समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन्होंने स्वयं क्यों छोड़ा। मुझ एसा लगता है कि माननीय नकराम न इस बात का बहुत ही हुनर हासिल किया कि अपनी बात को कैसे काटा जा सकता है। एक तरफ तो आक्षेप करें कि टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है, खर्चा बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ छटनी करें तो कर्मचारियों की हिमायत करें। मैं सरकारी कर्मचारियों की हिमायत करता आया हूं, उनके बीच में उठा-बैठा हूं लेकिन दोनों बातें एक जुमले में कहने की मैं भी हिम्मत नहीं रखता। क्या आप इस गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल को किसी समय भी माफ कर पायेंगे जब एक भी फालतू आदमी हम अपने यहां रखते हैं? सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जब भी मैंने सरकार के पास मांगें

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री वीरेश्वर त्यागी]

रखी हैं तो पहली बात मैं कहता हूं कि अगर हमारे लिए काम नहीं है तो कम से कम अतिरिक्त काम हमें दीजिये, आल्टरनेट काम दीजिये, लेकिन रिट्रेंचमेंट बुनियादी तौर से न कीजिये यह बात कभी नहीं कहता और मैं नहीं समझ सकता कि कोई माननीय सदस्य ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात कैसे कह सकता है । कहा जाता है कि हम संयुक्त समाजवादी दल के सभी लोग निकम्मे हैं, लेकिन जब हम अपोजीशन में थे, तो आप लोग हमको जेलों में ठूंस देते थे, आज आप बार बार झारखंडेराय जी और माननीय चरणसिंह जी का हवाला देते हैं, उस वक्त आप उनकी बातों को सुनते तक नहीं थे । बनारसीदास जी ने ९ तारीख के चुनाव का हवाला दिया, मैं मानता हूं कि हमारे उम्मीदावारों की बुरी तरह पिटाई हुई, वे सब हार गये, मगर लोकतंत्र का कौन सा ऐसा सिद्धांत है कि जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि बाहरी चुनाव को लेकर यह सरकार इस्तीफा दे । अगर आप वास्तव में यह समझते हैं कि आपका सदन में बहुमत है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं आप आज ही अपना कटौती का प्रस्ताव पास करा लीजिए, अगर वह पास हो जायेगा तो हम समझ लेंगे कि आप बहुमत में हैं । लेकिन यहां आप कुछ न करके बाहरी चुनाव के आधार पर जो बातें करते हैं, वे केवल पहेली बुझाने वाली बातें है ।

मैं कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं । लोगों ने कहा कि इसमें राजनीतिक उद्देश्य इस्तेमाल किया जाता है । पहले जब माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी कांग्रेसी दल के नेता चुने गये और मुख्य मंत्री बने तब उन्हें एक ऐसी सीट की तलाश हुई जहां से वे जीत सकें । उनको चारों तरफ देखने से यह पता चला कि जहां से भी वे खड़े होंगे विरोधी दल का जमघट आ जायेगा । बहुत तलाश करने पर अलमोड़ा की सीट उनको सेफ नजर आयी । उस वक्त माननीय गुप्ता जी ने वहां के डी० एम० को बुलाकर पूछा कि आपके वहां हमारे जीतने की सम्भावना कैसी है । फिर आज हम पर आप यह इल्जाम लगा रहे हैं कि हम प्रशासन में राजनीतिक उद्देश्य इस्तेमाल करते हैं । एक भी आदमी का तबादला हमने राजनीतिक उद्देश्य को लेकर नहीं किया । माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी दृढ़ता, योग्यता, ईमानदारी और प्रशासकीय हुनर के लिये मशहूर हैं । उनका प्रयास है कि शासन की गलत नीतियों के कारण जो शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको कैसे दूर किया जाय । वे अवश्य हमारे प्रशासन के लिये एक बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय नेकराम जी इसे वापस ले लें, क्योंकि बहुमत वाला खयाल आप निकाल दीजिये ।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तर काशी)—

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री का जो कथन है, उसको न मैं चैलेंज करना चाहता हूं और न ही कोई उस संबंध में शिकायत करता चाहता हूं । यह बात सही है कि जो बजट हमारे सामने पेश है इस संदर्भ में जिस तरह से मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार को खत्म करता चाहते हैं ....

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं समझता हूं कि वह वन वे.....

श्री अध्यक्ष—

आप जरा माईक का प्रयोग करें ।

श्री कृष्णसिंह—

मेरी राय में वह वन वे थिंकिंग है । मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूं । भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये यह आदेश है कि शंका पूरे ही स्थायी कर्मचारियों को जो अप्वाइंटिंग अथारिटी है बिना जवाब तलब किये एक महीने की नोटिस देकर या एक महीने की तनख्वाह देकर समाप्त कर दे जो शायद कायदा भी है, मैं समझता हूं इससे कभी बहुत अन्याय भी हो सकता है ।

मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा कि जंगलात की जिन जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रक्खा है उसके लिये आदेश दिये गये हैं उन जमीनों को खाली करा दें। परन्तु जो जंगल की जमीनें है जिन पर लोगों ने दस-दस, बारह २ साल से कब्जा कर रक्खा है और उनमें फलों के पेड़ लगा लिये हैं और अधिकारियों ने भी इस अरसे में ऐतराज नहीं किया उस जमीन का खाली करवाना अन्याय होगा। लोगों को जब न्याय नहीं मिलता वे भूख हड़ताल करने लगते हैं। क्या व अदालत में जल्दी न्याय पा लेंगे ? उनके लिये तो केवल एक ही चारा रह जाता है कि वे सरकार के ध्यान आकर्षण हेतु भूख हड़ताल करें। यहां पर जो ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में गलतियां होती रही हैं, हम भी कहते हैं कि कुछ गलतियां भी हुई हैं, विकल जी का कहना है कि किसान उन गलतियों को जानता है लेकिन किसान यह भी जानता है कि कांग्रेस के आरंभ शासन के समय माता, मलेरिया, हैजा, और प्लग से हजारों आदमी मरते थे। लकिन उस शासन के बीस साल के बाद उन बीमारियों से मरने वालों की संख्या कितनी कम हो गई है, उसको भी किसान जानता है। किसान यह भी जानता है कि बद्रीनाथ की यात्रा अब दो दिन में होती है जबकि पहले आठ दस दिन लगते थे। गंगोत्री सुविधापूर्वक दो दिन में पहुंच जाता है। शिक्षा का जो प्रसार हुआ है यह उसी शासन की देन है। क्या किसान नहीं जानता है कि आज जो आप इधर बैठे हैं यह डेम क्रेसी का ही प्रताप है जिसका जन्म कांग्रेस ने दिया और पालन पोषण कांग्रेस न ही किया है। मैं समय न होने से इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं उत्तराखंड के विषय में सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री के वहां हर विभाग के मंत्री है और माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों के बगैर कोई भी कार्य वहां नहीं होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रामनगर कान्फ्रेंस में हिल डेवलेपमेंन्ट बोर्ड के बारे में एक प्रस्ताव था कि उसका ऐसा ढांचा होना चाहिये जिससे उसके द्वारा वहां पर विकास कार्य उचित तरीक से हो सकें और वह बोर्ड तय करे कि किस तरह के विकास कार्य होने चाहिय। जब माननीय गुप्त जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हिल डेवलेपमेन्ट बोर्ड वहां बनायेंगे लकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा हिल डेवलेपमेंट बोर्ड न बनकर वहां हिल डेवलेपमेन्ट एडवाइजरी बोर्ड बनाने का निर्णय है। मैं तो यह कहूंगा कि इसको कोई भी पहाड़ का निवासी स्वीकार नहीं करेगा। एडवाइजरी कमेटीज तो वहां हैं ही विशेषज्ञ और एम० एल० ए० भी थे और उन कमेटियों में हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि एक और एडवाइजरी बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है। इसके अलावा वहा जन तांत्रिक संस्थाओं का भी अभाव है। जिला परिषद् वहां नहीं है म्युनिसिपैलटीज के चुनाव वहां नहीं होते। हमें आशा थी कि उत्तराखंड के जिलों में जिला परिषदों के कानून को लागू न करके वहां चुनाव की रूप रेखा से जिला परिषद् बनेंगे लेकिन वहां अभी केवल एडवाइजरी कमेटीज हैं, ब्लाक स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी।

रेवेन्यू के बारे में बताना जरूरी है कि उत्तर काशी में मालगुजारी की जरब विसि पड़त १.२५ है, नैनीताल में १.०४ है, पिथौरागढ़ में .७२ है, अल्मोड़ा में .८४ है, गढ़वाल में .६५ है। वहां पर महाराजा के शासन में मालगुजारी बहुत बढ़ा दी गयी थी, क्योंकि आमदनी का वहां जरिया था। गुप्ता जी और श्रीमती सुचेता कृपालानी के समय में इस बात को मान लिया गया था तथा रेवेन्यू घटाने के आदेश भी दे दिये गये थे। लेकिन आज मुख्य मंत्रीजी ने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है।

जहां तक शिक्षा की बात है, आपने कलेक्टरी की अदालत बिल्डिग के लिये १ लाख रुपया रक्खा है लेकिन शिक्षा विभाग की बिल्डिग के लिये कुछ भी नहीं रखा है। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हर साल कई हाई स्कूल, बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल खोले जाते थे लेकिन इस साल केवल २ जूनियर हाई स्कूल सारे उत्तराखंड में खोले जाने ह। कोई नया हाई स्कल व प्राइमरी स्कूल नहीं खोला जा रहा है। उत्तरकाशी में एक डिग्री कालेज खोले जाने का आश्वासन भी कांग्रेस की सरकार ने दिया था लेकिन उसके बारे में भी केवल इतना कहा गया है कि वह खोला

[श्री कृष्णसिंह]

जायगा लेकिन यह नहीं कहा गया कि पंचवर्षीय योजना के किस साल में खोला जायगा। उसके लिये कोई फंड्स नहीं रखे गये हैं। बहुत से स्कूलों की कोई बिल्डिंग नहीं हैं। विद्यार्थी और अध्यापक छप्परों और गोशालाओं में बैठ रहे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि वे विद्यार्थी किस प्रकार से ठीक से पढ़ सकेंगे और अध्यापक कैसे उचित तौर से पढ़ा सकेंगे। हमें आशा थी कि यह सरकार अवश्य ही खुले हुए स्कूलों के बिल्डिंग्स के लिये कुछ पैसा देगी लेकिन इसके लिये कुछ भी नहीं दिया गया है।

फल पत्ती योजना के लिये टिहरी में एक स्कीम चालू है। उत्तरकाशी जिले में राणी के डाडे में फल पट्टी के लिए वर्तमान मुख्य मंत्री जब वन मंत्री थे तब हमने उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने उसके आदेश दिये थे। कुछ प्लाट्स भी बनाये गये थे। लेकिन वे प्लाट्स अभी तक पड़े हुए हैं कोई फल पट्टी नहीं बनी। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री इस योजना को जल्दी पूरा करायेंगे।

अध्यापकों का एक गंभीर विषय वहां पैदा हो गया है। महाराजा के शासन काल से उनकी नौकरी है। २० साल से ज्यादा की उनकी नौकरी है लेकिन वे टेम्पोरेरी अभी तक माने जाते हैं। अगर उनको एक महीने का नोटिस देकर अलग कर देंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। उनको स्थायी गवर्नमेंट सरवेंट माना जाना चाहिये। वहां बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब है। उनकी मरम्मत फौरन होनी चाहिये। जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाने का उन स्कूलों से ठीक इन्तजाम हो सके जिसका अभी वहां अभाव है।

एक बात मैं पी० डब्लू० डी० के बारे में भी कहूंगा। मैंने बड़कोट डिवीजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में ११ अप्रैल को माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भेजा था उसमें कुछ व्यक्तियों के लिखित आरोप व्योरे सहित दिये हुए थे, जिक्र था, लेकिन उस पत्र और उन आरोपों पर अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर के पास भेज दिया लेकिन वहां मुझे कहा गया कि यह उत्तराखंड का मामला है मुख्य मंत्री जी ही करेंगे, यह मामला इस तरह से बीच में लटका हुआ है वहां के मामलों को न अन्य मंत्री देख रहे हैं और न मुख्य मंत्री जी ही देखते हैं। पहाड़ो में स्वायल कंजरवेशन के लिये ७५० रुपए फी एकड़ रक्खा गया है। मैं नहीं समझ सकता कि उतने कम पैसों में किस तरह से यह योजना वहां चल सकती है। जब इस तरह से वहां पैसा देकर कोई योजना थोपी जाती है तो उसमें कोई काम नहीं होता, इस काम के लिये कम से कम २,००० रुपए फी एकड़ की व्यवस्था वहां होनी चाहिये थी। इसी तरह से सिंचाई की एक भी नई स्कीम २ साल से उत्तरकाशी में नहीं चलाई गई। जो एस्टीमेट भेजे जाते हैं वह ज्यादा समझ करके अस्वीकार होते हैं। इतने कम पैसे में कोई नहर नहीं बन सकती। वहां के एस्टीमेट की जांच के लिये अलग से कोई प्रबन्ध होना चाहिये, वहां अगर प्रस्तावित विकास बोर्ड स्थापित हो वही ठीक तरह की व्यवस्था करे तभी योजना वहां सफल हो सकती है।

*श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और समाज में जो उत्पादन करने वाले लोग थे वे अभी तक शोषित रहे और उनके ऊपर दूसरे लोग शासन करते रहे। जितना जो ईमानदारी से काम करता था और जब शासक ईमानदारी से काम करते थे तो नीचे तक भी वह ईमानदारी पहुंचती थी। वर्तमान समय में जो ईमानदारी से रहने का भय था वह दो तीन तरह का होता था। वह भय आज लोगों के दिमाग से हट गया है। लोग ईश्वर से डरकर ईमानदार बनते थे या राजा के दंड के डर से ईमानदार रहते थे या लोकलाज या समाज के डर से लोग ईमानदार बने रहते थे। लेकिन इस वक्त देखा यह जा रहा है कि ईश्वर से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया है और समाज में भी अधिकांश लोगों में भ्रष्टाचार है या उसको बढ़ावा दिया जाता है। अब एक ही रास्ता इसको दूर करने का रह गया है कि ऐसे गलत लोगों को राजदंड इस तरह से मिले कि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजबूरन ईमानदारी की तरफ आयें। वह राजदंड भी पिछले जमाने में काफी ढीला होता गया। हमारे देश में जो प्रशासन था उसकी वजह से जनता में एक ऐसी भावना आई कि वह ऊब गई और नींद ऐसी आई कि देश के उत्पादन करने वाले लोग, देश को जागृत करने वाले लोग अच्छा वस्त्र या भोजन नहीं पाते थे और न उनका समाज में कोई सम्मान ही था। उत्पादन न करने वाले लोग सम्मान पाते थे, दूसरे काम करने वाले, शासन करने वाले, व्यापार करने वाले या मुलाजमत करने वाले सम्मान पाते रहे। या और कोई शासन में रहकर कार्य करने वाले होते थे, उन्हें सम्मान मिलता था, परन्तु जो देश में प्रोडक्शन करने वाले थे, उत्पादन बढ़ाने वाले थे, उन्हें अपमानित किया जाता था। जब मैं गत १५ वर्षों में इसके बारे में कुछ कहता था तो मुझे अनुशासन का नोटिस मिलता था। अगर कांग्रेस वाले इस प्रकार की भावना को लेकर न चलते और दबाने की भावना न रखते तो ऐसा न होता जो आज हो गया है। उनकी उन कारगुजारियों का ही नतीजा है कि आज शासन बदला और कोई बात नहीं है। उस शासन के बदलने के बाद साधारण जनता में एक उत्साह है और वह उत्साह ऐसा है गांव-गांव में बसों में, कलकत्ते में बम्बई में लोग इस बात की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संयुक्त विधायक दल की सरकार कुछ दिन चले ताकि भ्रष्टाचार बन्द हो और बन्द हो रहा है। बस में, चाहे रेल में चलें सब जगह एक ही चर्चा सुनने को मिलती है तो इसका क्या कारण है हमारे माननीय चरण सिंह जी पहले कांग्रेस में थे, उनको दबाया गया। जब कि उन्हें मंत्रि मंडल में रहते हुए कोई अच्छा सा विभाग देना चाहिये था लेकिन मामूली सा विभाग दिया गया। इस प्रकार उन्हें दबाया गया क्योंकि वे ईमानदारी से काम करना चाहते थे उस विभाग में। उसके कारण लोगों में भावनाएं जगीं। आज जनता में उत्साह आया। मैं तो चैलेंज करता हूं कि माननीय सदस्य किसी भी इलाके में जायें और देखें कि वास्तविकता क्या है।

गल्ला वसूली के बारे में कहा गया कि प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जिले का जहां तक सम्बन्ध है, मैं तो कहूंगा कि गल्ला वसूली के सम्बन्ध में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ केवल ५०-१०० कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें किसी भी किसान ने भाग नहीं लिया। वे कहते हैं कि अगर चरण सिंह जी के लिए दान भी देना पड़े तो हम देंगे, इस शासन को कायम रखने के लिए। ऐसी भावना उनमें जागृत थी। महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि हमारे देश का प्रधान मंत्री और हमारे प्रदेश का मुख्य मंत्री या तो किसान का बेटा हो या हरिजनों में से हो परन्तु इस चीज को लाने के लिए तरह-तरह से रोका जाता था। मैं तो संयुक्त विधायक दल को बधाई दूंगा कि इन्होंने गांधी जी के उन शब्दों को चरितार्थ किया। यही नहीं, अन्य प्रदेशों में जैसे मध्य प्रदेश में तथा अन्य प्रदेशों में मंत्रि मंडलों में पिछड़ी जातियों के लोग थे परन्तु उत्तर प्रदेश में हम मांग करते-करते हार गये लेकिन एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुए। यह ही नहीं मैंने १९५७ में इसी सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में २५ सदस्य बोले थे जिनमें से २० ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया था और प्रस्ताव में मैंने यह रखा था कि प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन और पिछड़ी जातियों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। वह प्रस्ताव १९५६-५७ में पास हुआ, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। यही नहीं एस० बी० डी० को मैं बधाई दूंगा कि उसने इस मंत्रि मंडल में उस वर्ग के लोगों को लिया है जिनका सम्मान नहीं था, जो अपमानित किये जाते थे, गांवों में जिनको समानता का अधिकार नहीं था, उस वर्ग के लड़कों को एस० बी० डी० में ५०, ६० फीसदी तक प्रतिनिधि दिया। इसलिये कांग्रेस सरकार गिरी। इसलिये जनता में आज उत्साह है, विधायकों में उत्साह है। उस तरफ के बैठने वाले लोगों से बात होती है, अधिकांश लोग चाहते हैं कि सरकार चलती रहे ताकि समाजवादी समाज की तरफ हम आगे बढ़ें, और उस दिशा में एक कदम उठा है। आपने देखा कि सवा ६ एकड़ तक आधा लगान कर के एक ऐतिहासिक काम किया गया और सरकार का इरादा है कि ५ साल में लगान बिल्कुल समाप्त कर देंगे, मुझे आशा है कि अगले साल उस दिशा में एक पग और आगे उठेगा। मैं

[श्री रामबचन]

समझता हूं कि ७५ फीसदी जनता गांव-गांव में कहती है कि यह सरकार अगर कायम रही तो आज नाजायज तरीके से जो पैसा लिया जाता है वह बन्द हो जायगा, और इस सरकार का असर होना शुरू हो गया है। आज अगर अदालत में कोई गलत पैसा लेता है, तो सीधे न ले कर वकील के मोहर्रिर द्वारा लेता है, उसी तरह से रजिस्ट्री में नहीं लिया जाता है, और अगर कहीं लेते हैं तो लिखने वाले के जरिये लेते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अकेले कह रहा हूं। भय है लोगों में क्योंकि जो लोग ऐसा किया करते थे उनको सजायें मिल रहीं है इस कारण से भ्रष्टाचार हट रहा है, लोग भयभीत हैं और कहते हैं कि इस समय चौधरी चरण सिंह का राज्य है, ऐसे लोगों का राज्य है जो जगह-जगह दौड़ कर पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो आज के शासन से बहुत सुधार हुआ है और होना भी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की मांगें बहुत दिनों से स्वीकार नहीं हो रही थीं, लेकिन इस सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार किया और १० करोड़ की बढ़ोत्तरी की। इसलिये कर्मचारियों के अन्दर भी संतोष है। हां, जो निहत स्वार्थ वाले लोग हैं, चाहे कर्मचारी हों, दुकानदार हों, उद्योगपति हों वे जरूर इस सरकार से नाराज हैं, उनकी नाराजगी स्वाभाविक भी है। मगर साधारण जनता, छोटे कर्मचारी, सेक्रेटेरिएट के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संतुष्ट हैं और यही कारण है कि पी० एन० सुकुल ने हड़ताल का जो ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे और इस सरकार को फेल नहीं होने देंगे।

मैं एक सुझाव माननीय मुख्य मंत्री को देना चाहता हूं कि जो कदम उठाया है, उसमें थोड़ा सा सुधार यह करना है कि जो सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं उनको तरक्की देने को कोशिश की जाय और इस बात पर तरक्की दी जाय कि उनके महकमे में भ्रष्टाचार कम है कि ज्यादा। मंत्री बड़े-बड़े अधिकारियों के प्रति देखने के जिम्मेदार हैं, उनके मातहत जो छोटे कर्मचारी हैं उनके अन्दर अगर भ्रष्टाचार बढ़ता हो तो ऐसे अधिकारी को तरक्की न दी जाय और जिनके विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है, उनकी तरक्की दी जाय। तब देखिए इस से सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और कर्मचारियों में से भ्रष्टमचार खत्म होगा। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझको समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

प्रगतिशील विधायक दल के गठन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं। सौभाग्य से नियम ५१, ५२ अथवा कार्य स्थगन प्रस्ताव की कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है। मेरे पास एक सूचना आई है कुछ माननीय सदस्यों के दस्तखतों से और उनके नाम हैं सर्वश्री जमादार सिंह, विष्णु सिंह, देवीदयाल सेन, सरदार सिंह और मुंशी लाल जौहरी। उन्होंने यह सूचित किया है कि सारी बातें देख कर वर्तमान दलों के नेताओं से उनको अत्यन्त निराशा हुई है और वे विधान सभा में अपने अलग दल बनायेंगे। उन्होंने लिखा है, "हमें दुख है कि कालागढ़ के मजदूरों, भूख हड़तालियों, महिला कर्मचारियों एवं पीड़ित राज कर्मचारियों और पुलिस के सताये हुए वर्गों तथा अध्यापकों का वेतन न बढ़ाने के प्रति संयुक्त विधायक दल की सरकार ने हृदयहीनता का प्रदर्शन किया है और उसे देखकर हम संयुक्त विधायक दल के सदस्य बने रहने म लज्जा का अनुभव करते हैं।"

११वीं शरीफ की छुट्टी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मैं और दे दूं। १९ तारीख को ११वीं शरीफ की छुट्टी थी और उसके फलस्वरूप उस दिन बैठक नहीं होनी थी लेकिन अब ११वीं शरीफ २० तारीख को मनायी जा रही है। इसलिये अब २० को सार्वजनिक छुट्टी है। इसलिये इतना सा परिवर्तन कार्यक्रम में

हो जायगा कि १९ तारीख को हमारा कार्य होगा और २० को छुट्टी रहेगी और २० तारीख को जो ग्रान्ट ली जाने वाली थी सार्वजनिक निर्माण की, वह २० के बजाय १९ को हो जायगी। (कुछ रुक कर) अब एक माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि २० के जो प्रश्न हैं वे १९ को आ जायंगे या नहीं ? इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां है। मैं देखूंगा, लेकिन वे संभवत: नहीं आयेंगे। पिछली दफा जब ऐसा परिवर्तन हुआ था तब भी नहीं आ पाये थे।

लोक लेखा, प्राक्कलन तथा कतिपय स्थायी समितियों के नाम-निर्देशन-पत्रों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना और है। लोक लेखा समिति के २१, प्राक्कलन समिति के २५ तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई। पुलिस स्थायी समिति में श्री कन्हैया लाल विशारद के एक नामांकन पत्र, जिसमें प्रस्तावक एवं अनुमोदक के हस्ताक्षर नहीं थे, को छोड़ कर शेष सब नामांकन पत्र ठीक पाये गये है। चूंकि प्रत्येक समिति में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, अत यदि २१ जुलाई, १९६७ के सायंकाल ५ बजे तक अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान दिनांक २७ जुलाई, १९६७ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक के बीच होगा।

प्रगतिशील विधायक दल के गठन के संबंध में सूचना (क्रमागत)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान् ने जब एक दो सदस्यों के त्याग पत्र आये थे तो उनको सदन के सामने पढ़ा नहीं था और यह कहा था कि यदि सामूहिक त्याग पत्र हो तो उनको सदन के सामने पढ़ा जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय चरण सिंह तथा आचार्य नरेन्द्र देव आदि का हवाला दिया गया था। आज आपके पास ५ व्यक्तियों का सामूहिक पत्र है, यदि आप उसको सदन के सामने पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे तो कदाचित उचित होगा।

श्री अध्यक्ष---

देखिए लक्ष्मीरमण जी, ठीक है, मैंने ऐसा कहा था कि जब एक माननीय सदस्य कोई अपना निश्चय लें तो मैं सूचना तो दूंगा लेकिन उनका पूरा लिखा पढ़ा कर सुनाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। आज की स्थिति में यह ठीक है कि पांच माननीय सदस्यों ने एक साथ सूचना दी है और एक नए दल का निर्माण करने का उन्होंने निश्चय कर लिया है, लेकिन यह लम्बा पत्र भी है और इसका सारांश तो मैंने पढ़ कर सुना दिया जो आपरेटिव और मुख्य भाग था। अब इस के बाद अगर विशेष आग्रह करें तो मैं सोच सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है, आप आग्रह न करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं ऐसा सोचता था कि यह पत्र कुछ प्रमुखतम घटनाओं में से एक घटना है जिसमें कि पांच व्यक्तियों ने कुछ विशेष कारणों से एक दल को छोड़ने का निर्णय लिया है। मैं श्रीमन् से पुन: प्रार्थना करूंगा कि यदि वह पूरा पत्र पढ़ दिया जाय तो उचित ही होगा।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह सूचना श्रीमन् दे रहे थे, उस समय जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर करके भेजा है उन्होंने इसकी इच्छा नहीं प्रकट की कि उनका सारा पत्र पढ़ कर सुनाया जाय। दूसरी बात यह कि वह चीज तो समाप्त हो गयी। उस समय किसी ने मांग की नहीं। अब इस प्रश्न को पुन: खोला जा नहीं सकता। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

दरअस्ल माननीय अश्वनी कुमार जी ने जो दोनों बातें कही हैं, उसमें कुछ बल जरूर है। एक तो यह कि उस वक्त माननीय लक्ष्मीरमण जी ने आग्रह नहीं किया। दूसरे वह यह कहते हैं कि जो पांच आदमी हैं उनमें से किसी ने आग्रह नहीं किया। मैं पहली बात को छोड़ सकता था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अगर इन पांच आदमियों में से कोई आग्रह करता तो मैं सुनाता, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)--

अभी पांच आदमियों ने अपनी एक घोषणा आपके सम्मुख रखी। उसमें उन्होंने केवल यह बताया है कि हमें संविद के साथ रहते लज्जा का अनुभव होता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम एस० वी० डी० से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि हम अपना अलग दल बनायेंगे। अभी इस बात का निश्चय नहीं किया है कि उन्होंने बना लिया है। तो उन्होंने संयुक्त विधायक दल को छोड़ दिया है यह कैसे समझ में आए? इस पर आप व्यवस्था करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जैसा आचार्य जी ने कहा था, हमको किसी को इस बात का आग्रह नहीं था कि आप इसको पढ़ें परन्तु माननीय चेतराम जी के कहने के बाद में समझता हूं कि उचित यही होगा कि पूरा पत्र पढ़ दिया जाय ताकि उनके मन में जो सन्देह है वह हमेशा के लिए दूर हो जाय।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई गंगवार जी ने इस प्रश्न को आसान कर दिया है। उन्होंने कुछ भ्रमात्मक बात सदन में कही है। आपने इस प्रकार से पढ़ा था कि हम लोग सुन भी ठीक से नहीं पाए थे। पहले तो उनकी प्रार्थना के अनुसार वह पत्र पढ़ देना ही उचित है। दूसरे पांच आदमियों का सत्तारूढ़ दल से इस्तीफे का सवाल है। उधर से यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि जनता यह चाहती है कि संविद की सरकार रहे, लेकिन रोजाना एक न एक सदस्य संविद को छोड़ कर आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उस पत्र को अक्षरशः पढ़ दें ताकि हम लोगों को जानकारी हो जाय।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)---

अध्यक्ष महोदय, आपने तो व्यवस्था दे दी कि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चेतराम जी ने तो इसे पढ़ने के लिए कहा नहीं है उन्होंने तो एक जानकारी चाही कि उन ५ सदस्यों ने संयुक्त विधायक दल को छोड़ने की घोषणा की है। आपने यह जानकारी सदन को दे दी और वह पर्याप्त है। पूरा पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मान्यवर, उस पर आप पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब इस पर कोई रेगुलर विवाद नहीं चलेगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लोक सभा में और हमारे सदन में भी यह हमेशा से परम्परा रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य अपना स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसको अनुमति अध्यक्ष जी देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ५ मेम्बरों ने जो इकट्ठा स्टेटमेंट दिया है, उससे आप इस सदन को क्यों वंचित रख रहे हैं। इस लिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाती हूं। यों तो आपने कह दिया कि मैं अनुमति नहीं देता परन्तु फिर भी सदन के माननीय सदस्यों ने जो राय जाहिर की है, उसको देखते हुए मैं आप से यह चाहूंगी कि आप पुनः इस पर विचार करें और हमारी भावनाओं को देखते हुए पूरा पत्र पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इस विषय में कुछ भ्रांति हो गयी है। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मैंने उसको पढ़ दिया, उससे काफी मतलब साफ हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त की और उस पर किसी ने आग्रह नहीं किया। लेकिन इन ५ आदमियों में से यदि कोई कहेगा तो मैं उस पर विचार करूंगा। अब माननीय चेतराम जी ने जो कहा उससे तो उन्होंने मेरी कठिनाई बढ़ा दी, घटाई नहीं, इसलिए कि उन्होंने प्रश्न ही ऐसा किया। मैं समझता था कि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है--जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था और व्यवस्था देते हुए मैंने यह कहा था कि अगर एक व्यक्ति का स्टेटमेंट होगा तो उसे मैं पढ़ कर सुनाऊंगा नहीं, लेकिन आज उससे स्थिति कुछ भिन्न है। ५ व्यक्तियों ने कुछ सूचना दी है और आग्रह किसी ने नहीं किया था पढ़ने का। तो मैं समझता था कि जितना मैंने पढ़ कर सुनाया है, उससे मतलब स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई भ्रांति है तो मैं अब उसे पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में चाहता हूं कि जब एक आइटम को छोड़ कर आप आगे निकल गए तो क्या अब फिर उस आइटम को ले सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--

देखिए रमावल्लभ जी, जो सूचना का क्रम था वह अभी समाप्त नहीं हुआ था। सूचना का क्रम चल रहा था उस सूचना के बाद दूसरी सूचना मैंने अवश्य दी थी। तो मैं उस पत्र को पढ़ रहा हूं।

श्री चेतराम पचपेड़ा--

श्रीमन्, मैंने तो केवल यही कहा था कि माननी सदस्यों ने संयुक्त विधायक दल को छोड़ने की सूचना दी है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। यह ठीक है कि आपने इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मेरे लिए और तरीका कौन-सा है सिवा इसके कि मैं उसको पढ़ कर सुना दूं। आपने खुद मुझ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। तो फिर मैं इसको पढ़ कर ही सुना देता हूं। (व्यवधान) कृपया शान्ति रखें। दूसरों को जो शान्त रखना चाहते हैं, वे खुद शान्त रहें पहले।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रगतिशील सदस्य बहुत दिनों से समाजवाद को अपना सिद्धांत माननेवाले दलों की नीतियों को परखते रहे हैं। यह विधायक यह मानते हैं कि समाजवाद का आधार भारतवर्ष में मजदूर-किसान ही हैं और उनकी उपेक्षा ने ही आज कई प्रदेशों को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। हमें आशा थी कि उनके हितों की रक्षा उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल के द्वारा अवश्य हो सकेगी क्योंकि उसमें सभी दल विशेषतः समाजवादी दल गत चुनाव में उनके हितों का आश्वासन देकर ही विजयी हुए हैं। परन्तु जन हितैषी विधायकों को इस बात से अत्यन्त निराशा हुई है कि शासन संभालते ही मजदूर एवं किसानों के प्रति की गई प्रतिज्ञा को सभी दलों ने केवल भुला ही नहीं दिया बल्कि नव शासन के प्रथम कार्य जनता के लिए हानिकर रहे हैं। संयुक्त विधायक दल ने अन्न का काला बाजार समाप्त करने के लिए जखीरेबाजी पर कोई प्रहार नहीं किया। चोरबाजारी करके अन्न को महंगा करने वाले समाज-

[श्री अध्यक्ष]

द्रोही तत्व अपने को पहले से भी सुरक्षित समझने लगे हैं। अलाभकर जोतों के कृषकों तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ित किसानों का अन्न उगाही के द्वारा शोषण जारी है। छोटे किसान के प्रति अन्याय करते हुए प्रशासन ने उन्हें रहते हुए भी अन्न देने को उत्पीड़ित करके बाध्य किया और साथ ही उन बड़े किसानों को जो उगाही के नियमों के फलस्वरूप एक दाना भी सरकारी कोष में नहीं दिए थे। इसी सरकार ने यह सुविधा दी कि लाखों रुपए का लाभ अत्यन्त ऊंचे मूल्य पर अपना अन्न सरकार को ही बेचकर उठा सकें।

यह भी देखा गया कि वहां कुछ दलों ने बड़े पूंजीपतियों का हित कराने के लिए एक कर विशेष तुरन्त समाप्त कराया वहीं किसानों को नलकूपों पर बिजली लेने में एक बड़ी छूट को भी समाप्त कर दिया।

बेरोजगारी हटाने के बजाय अल्पभोगी वेतन कर्मचारियों को हजारों की संख्या में जीविका विहीन कर दिया गया जबकि प्रशासन पर भार नित्य बढ़ते किसी भी उच्च अधिकारी का स्थान नहीं समाप्त किया गया। जातिवाद को मत प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सब प्रगति के लक्षण नहीं हैं।

प्रगतिशील विधायक यह सब देखकर वर्तमान दलों की नीतियों से अत्यन्त निराश हो, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि वे विधान सभा में अपना अलग ही दल बनाकर किसान मजदूर एवं निम्न तथा मध्यम श्रेणी नगरवासियों के हितों की रक्षा में संलग्न हो जायं। इस दल का नाम प्रगतिशील विधायक दल होगा। यह दल वर्तमान संयुक्त विधायक दल की प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करेगा तथा किसान मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता दिलाएगा। परन्तु पूंजीवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की नीति का विरोध करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रगतिशील दल का ध्येय संयुक्त विधायक दल की सरकार को गिराना नहीं, बल्कि उसके समाजवादी तत्वों को एक करके अन्नोत्पादन में वृद्धि लाने के लिए किसानों के हितों की रक्षा करना ही है। हम संयुक्त विधायक दल को सतर्क करते हैं कि प्रदेश के हित में अपने पारस्परिक दलगत भेदों को भूलकर जनता के प्रति अन्याय एवं उपेक्षा का अन्त करके अन्नोत्पादन के लिए सारे साधनों को लगा दें। पूरे विधान सभा के सभी विधायक दलगत नीतियों से ऊपर उठकर इसमें सहयोग दें।

हमें दुख है कि कालागढ़ के मजदूरों, भूख हड़ताली महिला कर्मचारियों एवं पीड़ित राज्य कर्मचारियों और पुलिस से सताए हुए वर्गों तथा अध्यापकों का वेतन न बढ़ाने के प्रति संयुक्त विधायक दल की सरकार ने जिस हृदयहीनता का प्रदर्शन किया है, उसे देखकर हम संयुक्त विधायक दल के सदस्य बने रहने में लज्जा का अनुभव करते हैं। इन विभिन्न प्रश्नों के गुणावगुण देखकर ही संयुक्त दल के पक्ष में अपना मत देने का निश्चय करेंगे।"

१९६७-६८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

अब आय-व्ययक के अनुदानों पर वाद-विवाद जारी होगा।

श्री मुहम्मद रफी खाँ (जिला शाहजहांपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझको जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बजट पर बोलने का मौका दिया। यह इन्तिहा फहम बजट है। मैं इस सिलसिले में मुख्य मन्त्री जी का तवज्जह कुछ अहम मामलों पर दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपस में माननीय सदस्य बहुत बातचीत कर रहे हैं। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनकी बात सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री मुहम्मद रफी खाँ—

इस सिलसिले में मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर तवज्जह दिलाना चाहता हूं। शाहजहांपुर ४ जून, १९६२ से एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहुंच गए हैं। मैंने मुख्तलिफ, मुख्य मन्त्रियों से मुख्तलिफ मौकों पर शिकायतें कीं लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने शाहजहांपुर में क्या कर रखा है उसकी चन्द मिसालें पेश करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपस में बात-चीत कम करें।

श्री मुहम्मद रफी खाँ—

शाहजहांपुर में एक राइफल क्लब बनाया गया है। इसकी जमीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बंगले के कम्पाउन्ड में ली गयी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट को लिखा है कि राइफल क्लब की यहां जरूरत है। काफी कंट्रीब्यूशन हुआ है। उससे एक बिल्डिंग आसानी से बनायी जा सकती है जैसी बरेली, मुजफ्फरनगर और झाँसी में बनायी जा चुकी है। वहां वह बिल्डिंग बनायी गयी। पब्लिक का रुपया लगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। राइफल क्लब की जगह पर कायम कर दिया आफिसर्स क्लब और जमीन की लीज राइफल क्लब के नाम पर है। बड़े-बड़े सेठों से चन्दा लिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने। सारे आफिसर्स शाम को बैठ कर गप लड़ाते हैं। नम्बर २, उसी क्लब में बार का लाइसेन्स दे दिया गया है ताकि आफिसर्स वगैरह को शराब की दिक्कत महसूस न हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर आग्रह करूंगा कि आपस में बातचीत कम कर दें। बातचीत करनी हो तो लाबी का प्रयोग करें।

श्री मुहम्मद रफी खाँ—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की तवज्जह इस तरफ भी दिलाऊंगा कि इस राइफल क्लब की बिल्डिंग पी० डब्ल्यू० डी० ने नहीं बनायी, न किसी ठेकेदार से बनवायी गयी, वह एम० एस० कुसवाहा, सेक्रेटरी सोल्जर बोर्ड की मार्फत बनवायी गयी। एक आध बिल्डिंगें उनकी मार्फत और बनवायी गयीं। राइफल क्लब और अस्पतालों की इमारतें हमारे जिलाधीश साहब का उनसे बनवाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, वह उनसे गलत तरीके पर अटैच्ड हैं। उनसे बिल्डिंग बनवाने में उनको जाती फायदा भी होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मुहम्मद रफी साहब, आप आगे आ जाइए।

श्री मुहम्मद रफी खां—

मैं यह कह रहा था कि शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ मैंने काफी शिकायतें अब तक मुख्तलिफ माननीय मुख्य मन्त्रियों से की हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। उनकी बेईमानियों की चन्द मिसालें इस सदन के सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मन्त्री उनकी जांच करवायेंगे, और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे। मगर मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मन्त्री आज भी अपनी तवज्जह नहीं दे रहे हैं, जैसा पहले होता आया है। बहरहाल, मुझे अपना काम करना ही है। उनकी बेईमानियां इस तरह से ज्यादा आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। लास्ट इयर स्टेट डेवलपमेंट फंड में जो रुपया गवर्नमेंट ने इकट्ठा करवाया, वह रुपया मुख्तलिफ इदारों और दूकानदारों से हासिल किया। लेकिन उनको कोई रसीद नहीं दी। नम्बर दो, यह कि जो बांड बेचने थे वे ज्यादा कमीशन लेकर बम्बई की एक फर्म को बेच दिया। नम्बर तीन उस रुपए का कोई हिसाब-किताब उनके पास मौजूद नहीं है। वह रुपया डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, सिटी मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर की मार्फत इकट्ठा हुआ। बराय मेहरबानी हिसाब मांगा जाय ताकि पता चले कि कितने रुपए का गोलमाल किया है। हमारे यहां सरकार यह कर रही है कि जुडीशियरी को एग्जीक्यटिव से सेपरेट किया जाय लेकिन शाहजहांपुर में बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। वहां पर जूडीशियल मैजिस्ट्रेट को एस० डी० एम० का चार्ज दे रखा गया है और ए० डी० एम० (जूडीशियल) का को सिटी मैजिस्ट्रेट का चार्ज दे रखा गया था। जबकि दोनों तरफ के सदस्यों की बराबर यह राय रही है कि जूडीशियरी को एग्जीक्यूटिव से जल्द से जल्द अलग किया जाय। लेकिन वहां पर उसका उल्टा हो रहा है, लेकिन उस परा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूंगा कि जब जब आइन्दा हमें आप बोलने का मौका में तो दल बदलने वाले सदस्यों का नाम घोषित करने के बाद में नहीं। बरना कोई बात यहां पर सुनता ही नहीं है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि वहां शाहजहांपुर के जिले में कुछ बैड कैरेक्टर्स को बन्दूकों के लाइसेन्स इश्यू हो गए हैं। इस मामले में मैंने एस० पी० से कहा कि ऐसे बुरे आदमियों को लाइसेन्स देना कतई उचित नहीं है जिनका पुलिस का रिकार्ड ठीक नहीं है। एस० पी० ने डी० एम० से कहा और उसे लिखा था, लेकिन डी० एम० ने उस रेक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि बैड करेक्टर्स से डी० एम० इतनी नजदीकी क्यों? मैं मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह उस डी० एम० के खिलाफ कोई कार्यवाही करें और उससे पूछें कि उसने बैड कैरेक्टर्स को इस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश क्यों की। मैंने विजीलेन्स कमीशन के पास दो अधिकारियों के खिलाफ जोरदार शिकायत की थी, उनमें से एक डिप्टी कलेक्टर था और एक डाक्टर था। दोनों के बारे में काफी सबूत गवर्नमेंट को मुहय्या किए गए थे। जैसा कि पिछले सदन में मेरे सवाल करने के बाद सरकार की तरफ से मुझे बताया गया था कि उनके खिलाफ काफी सीरियस चार्जेज हैं, इसलिए हम उनका जवाब सदन में देना नहीं चाहते क्योंकि इससे मुलजिम होशियार हो जायेंगे। लेकिन मुझे सख्त अफसोस है कि आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, जब कि उनमें से एक मामला बहुत ही पुराना हो चुका है। जहां डी० एम० की बेईमानियों का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर एक नायब तहसीलदार श्री त्रिवेदी हैं वह उन्नाव से डी० एम० के साथ ही आए हैं, डी० एम० उनको साथ लेकर आए थे अपने साथ दोनों में बड़ा गठबन्धन है। नायब तहसीलदार बड़ा ही भ्रष्ट अधिकारी है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे डी० एम० वह हैं कि इस प्रकार से बेईमानों को वह पाल रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यह हमारे सदन की परम्परा रही है कि जो यहां सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में संकेत में ही बात कर लें, तो ठीक है।

श्री मुहम्मद रफी खाँ—

सर, अन्डर आर्टिकिल १९४ (बी) आफ दि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया, हमको इस फ्लोर आफ दि हाउस पर ऐब्सलूट फ्रीडम आफ दि स्पीच हासिल है और हम इस बेईमान अफसर को कंडम करने के लिए इसे मुनासिब समझते हैं कि हम यहां पर यह सारी चीजें इस तरह से कहें। इसलिए बराएमेहरबानी आप हमें न रोकिए; प्लीज, प्लीज।

इसके अलावा उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने बंगले में कुछ खेती भी करा रखी है। यह सामान्य प्रशासन का मामला है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे कहने से नहीं बल्कि सरकार अपना कर्तव्य समझकर इसकी पूरी जांच कराए। उन्होंने करीब २० एकड़ में खेती करा रखी है, उसके ऊपर तम्बाकू वह बोते हैं, जिसकी वह कोई ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। उनके खिलाफ बड़े चार्जेज हैं जिनके बारे में जिले की सभी पार्टियों, सोशलिस्ट, जनसंघ कम्युनिस्ट ने शिकायतें लिख कर मुख्य मन्त्री जी के पास भेजी हैं। मेरी गुजारिश है कि उन्हें वहां से हटाकर उनके खिलाफ सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

अब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। वह यह है दोनों साइडों से यह कहा गया कि कमिश्नर और डी० आई० जी० की जो पोस्ट हैं, वे फालतू हैं, उन्हें एबालिश कर दिया जाय। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं क्योंकि इमर्जेंसी के समय में मुख्य मन्त्री कमिश्नर और डी० आई० जी० को बुलाकर सारा राय मशविरा कर लेते हैं, और जल्दी में सारे एस० पीज० और डी० एम० का बुलाना न तो सम्भव हो सकता है न उचित ही हो सकता है, इसके अलावा उसमें खर्च भी बहुत आयगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन बातों को खयाल में रख कर इनकी पोस्टें समाप्त न की जायं। और उनको जरूरी डाइरेक्शंस दे दें लिहाजा मेरी राय यह है कि वहां पर बार्डर पर हमेशा खतरा रहता है और साल भर में एकाध दफे ऐसा मौका आ जाता है जब चीफ मिनिस्टर को ऐक्शन लेने की जरूरत पड़ती है और आफिसर्स से इन टच होना पड़ता है। लिहाजा इन पोस्ट्स को एबालिश न किया जाय।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

माननीय, अध्यक्ष महोदय, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का यह अनुदान अपना महत्व रखता है। इसके लिये 'रम्जे सल्तनत खेस रवां दानद' ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो कायदा होता है वह तजुर्बे से आता है। श्रीमन्, इस वक्त जो सूबे की हालत है और आज १५ वर्षों से जो ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत है उसे दरअस्ल ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहा जा सकता। पहले के मंत्रि परिषदों में और इस मंत्रि परिषद में भी ऐसे लोग विराजमान हैं जो आजादी की लड़ाइयां लड़े थे और उन्हीं की सरकरदगी में एजीटेशन्स हुये और उन्हीं की वजह से हमें आजादी मिली, हम उनके आभारी हैं, लेकिन श्रीमन् जो ऐजीटेशन करते हैं वे अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते। "Agitators can never be good administrators." यह सही बात है। इसके लिये अच्छे दिमाग की जरूरत होती है। जिस आदमी का निगेटिव ऐप्रोच होगा वह अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। जेलों में रह कर हवाई किले बनाये जा सकते हैं लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन करना दूसरी चीज है। उसके लिये दिमाग में एक जूनूं पैदा होता है तब गवर्नमेंट चल सकती है—

"सर में अगर जुनूं न हो, मिलता नहीं है ताजो फन।
इल्मो नजर के बावजूद नामो नसब के बाद भी।"

चाहे कितना पढ़े हुआ हो, चाहे कितने अच्छे खानदान का हो लेकिन जिसके दिमाग में ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये माले खौलिया पैदा नहीं होता वह ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिये प्रतापसिंह कैरों को आपने देखा होगा। न वह दिन में सोता था और न रात में। कार में बैठे बैठे झपकी लग गयी तो लग गयी। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि वह जुनून

[श्री जी० एस० चौधरी]

पैदा होना चाहिये। मैंने आज सुबह भी कहा था और इस वक्त भी कहता हूं कि डिफेंस, जिस तरह से-सेन्टर की जिम्मेदारी है, उसी तरह से घर वाला इंतजाम उसकी जिम्मेदारी हमारी है और पुलिस का काम बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम पुलिस को डिमारेलाइज कर देते हैं। जब कहीं किसी जगह ऐक्सीडेंट होता है तो उसमें हमारे नेता लोग सिफारिशें करते हैं जो बिलकुल अनुचित होता है और वह जो पुलिस का कर्मचारी है वह समझता है चाहे जो करो बदनाम तो होना ही है।

श्री अध्यक्ष--

आप पांच मिनट में खत्म कर लेंगे? आपका समय समाप्त होने पर है।

श्री जी० एस० चौधरी--

जी नहीं, मैं तो पूरा वक्त लूंगा। मैं कल बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अब आप यहीं समाप्त कीजिये। बाकी समय आप कल बोलियेगा।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:

१७ जुलाई, १९६७।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

मैनेजर जागरण प्रेस, कानपुर ने १०-७-६७ की शामसाढ़े पांच बजे पुलिस में इस आशय की सूचना दी कि प्रात ४ बजे जब अखबार ढोने वाली टैक्सी अखबार के बन्डल लेकर जा रही थी तो स्वराज्य आश्रम के पास कुछ हाकरों ने टैक्सी रोक ली तथा उसमें लदे अखबार के बन्डलों को लूटा तथा कुछ बन्डलों को सड़क पर फेंक दिया। लोगों के पहुंचने पर हाकर हाथापाई करते हुये भाग गये। प्रातः ५ बजे सम्पादक की कार को एक हाकर ने रोका और पत्थर फेंका।

सहायक मैनेजर जागरण प्रेस, कानपुर ने १०-७-६७ को दो बजे दिन में पुलिस को सूचना दी कि ५ बजे प्रातः जब वे अखबार के बन्डल सेल करने जा रहे थे तो घंटा घर के पास कुछ हाकरों ने अखबार लूट लिया तथा मारा पीटा।

मैनेजर द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर धारा १४७-३२३-३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना आरम्भ की गई। हाकरों ने जागरण प्रेस आफिस का घेराव नहीं किया। कुछ हाकरों ने जिनका पहले से कमीशन की बढ़ोत्तरी के सिलसिले में प्रेस के प्रबन्धकों से विवाद चल रहा है, पत्र वितरक मोटर को रोका और अखबार के कुछ बन्डल लेकर भागे। विवेचना से मोटर पर पथराव तथा कार्यालय के कर्मचारियों को मारने पीटने की बात सही नहीं पाई गई।

सहायक मैनेजर द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया परन्तु अविवेचित रक्खा गया।

इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिये समुचित गश्त का प्रबन्ध कर दिया गया है और अखबार के प्रबन्धकों के बताये हुये स्थानों पर उचित व्यवस्था हेतु पुलिस कानिस्टेबुल तैनात कर दिये गये हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्र न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

नाम विकास खण्ड	नाम सड़क	अनुमानित लागत	३१ मई, १९६७ तक का व्यय	कार्य कराने वाले विभाग का नाम	विशेष
१	२	३	४	५	६
घानापुर ..	जनौली महुली	४,०३,०००	१९,८६८	जिला परिषद	
	घानापुर चहनियां (पुराना भाग) ..	१,१०,०००	४४,३०२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	
	घानापुर-चहनियां (नया भाग) ..	३,८९,०००	१,४४,५४६	,,	
चहनियां ..	घानापुर-चहनियां (पुराना भाग) ..	९०,०००	६६,१०६	,,	
	घानापुर-चहनियां (नया भाग) ..	२,००,०००	१,२५,३८६	,,	
सकलडीहा ..	कसलडीहा-सकलडीहा स्टेशन ..	२,४१,०००	६,३५१	जिला परिषद्	
	सकलडीहा-सैयदराजा ..	५,००,०००		जिला परिषद्	
	सकलडीहा-अलीनगर (पुराना भाग) ..	१,२५,०००	७९,४५२	सार्वजनिक निर्माण विभाग	
	सकलडीहा-अलीनगर (नया भाग) ..	४,७३,०००	१,०७,८६३	,,	
नियमताबाद ..	सकलडीहा-अलीनगर (पुराना भाग) ..	१,९४,०००	१,२९,५४६	,,	
	सकलडीहा-अलीनगर (नया भाग) ..	३३,३००	१३,२४०	,,	
चन्दौली ..	चन्दौली थरौली ..	६,३९,०००	३०,४४१	जिला परिषद्	
	चन्दौली नहर से ग्रान्ड ट्रन्क रोड को मिलाने हेतु ७ मील सड़क का पक्का किया जाना	२,२५,०००	१,९६,४४५	सिंचाई विभाग	
	बसन्तपुर रजबहा की ६ मील ४ फ० सड़क का पक्का किया जाना ..	१,७९,५००	१,८९,०९७	सिंचाई विभाग	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलिया	लेवा इलिया (पुराना भाग)	१,५२,०००	१०,३०४	सार्वजनिक निर्माण विभाग
	लेवा-इलिया (नया भाग)	२,३७,०००	–	जिला परिषद्
	लतीफशाह वियर की ४ मील सड़क को पक्का कराना	८५,१८८	८३,४३२	सिंचाई विभाग
	वनमार्ग ३८ मील की विशेष मरम्मत तथा २३ छलाका का बनाया जाना	७६,०००	१,२२,७००	वन विभाग
	बाई कर्मनाशा नहर का ४ मील सड़क का पक्का किया जाना	८८,०२२	९१,४५२	सिंचाई विभाग
सहतवार	लेवा-इलिया	३,४८,०००	८,६५५	जिला परिषद्
	बनकुशा	९,४०,०००	–	जिला परिषद्
	बाई कर्मनाशा नहर व गोविन्दपुरी रजवाहा की सर्विस रोड की रीमंटलिंग	१,१७,७८९	१,२३,३७६	सिंचाई विभाग
बोराई	कटवा-बड़ागांव	१,८०,०००	१३२	जिला परिषद्
	धीसिया-सिउर	४०,०००	–	जिला परिषद्
	महाराजगंज-धमहापुर	२,४६,०००	५२,६३८	जिला परिषद्
बदोही	धमहापुर-बन्सीपुर	४,३७,०००	१७,६८२	जिला परिषद्
	बदोही-गौंड़	२,२७,०००	१७,३०६	जिला परिषद्
सुरियावां	मोढ़-दुर्गागंज	८,१०,०००	–	जिला परिषद्
	रंगराई-कामनपुर	१,०९,०००	१३२	जिला परिषद
	सरपतहा-मोढ़ (पुराना भाग)	९०,०००	२,१६२	जिला परिषद्
	सरपतवा-मोढ़ (नया भाग)	७२,५००	१३१	जिला परिषद
	पाली-सुरियावां	२,२१,२००	५२,३७६	जिला परिषद
ज्ञानपुर	सरपतहा-मोढ़ (पुराना भाग)	१,७७,०००	६२,८०७	जिला परिषद्
	सरपतहा-मोढ़ (नया भाग)	७५,५००	३,७२९	जिला परिषद्
	ज्ञानपुर-दुर्गागंज (पुराना भाग)	४,५०,०००	३,०६,६९३	सार्वजनिक निर्माण विभाग
	ज्ञानपुर-दुर्गागंज (नया भाग)	८०,०००	–	सार्वजनिक निर्माण विभाग
	पाली-सुरियावां	३,१९,०००	–	जिला परिषद्
	कोरीगांव-रोही	४,०५,०००	–	जिला परिषद्

नाम विकास खण्ड	क्रम-संख्या	नाम तालाब सड़क	स्वीकृत धनराशि	३१ मई, १९६७ तक का व्यय	कार्य कराने वाले विभाग का नाम
१	२		३	४	५	६
		लक्ष्मनपट्टी-अजयपुर ..	२,७०,०००	४४४	जिला परिषद्
		गिराई-बानुपुर (पुराना भाग) ..	३,५३,५२६	१,०१,४५१	जिला परिषद्
		गिराई-बानुपुर (नया भाग) ..	१,०९,०००	—	जिला परिषद्
डीग	..	गिराई-बानुपुर	६८,४८६	—	जिला परिषद्
		नेवाली-सेमाराय	२,९६,८००	५४,४४३	जिला परिषद्
		कलंजरा-डीग	५,३५,०००	३५	जिला परिषद्
		कोलापुर-सेमराय	६,३०,०००	—	जिला परिषद्
		बन-तुलसी-बनतुलसीघाट ..	७५,०००	—	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		जी० टी० रोड से तिलंगा गांव तक की सड़क का पक्का किया जाना ..	९६,०६६	५,७७०	सिंचाई विभाग
		गंगा पट्टी से बिरवा पहाड़पुर तक की सड़क का पक्का किया जाना ..	९७,९६२	७१,५५५	सिंचाई विभाग
सेवापुरी	..	बड़ागांव-कछुआ (पुराना भाग) ..	४,८०,०००	९५,९८८	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		बड़ागांव-कछुआ (नया भाग) ..	३,००,०००	—	सार्वजनिक निर्माण विभाग
कोलापुर	..	बरसौना-नियार (पुराना भाग) ..	३,९२,०००	१,४८,६६७	जिला परिषद्
		बरसौना मनयार (नया भाग) ..	३,०१,०००	११,५६८	जिला परिषद्
पिण्डरा	..	पिण्डरा-कठिरांव	२,३४,०००	१,५८,६१८	जिला परिषद्
बड़ौदा	..	धनेतपुर माइनर की २ मी० २ फ० सर्विस रोड का पक्का किया जाना ..	९०,०००	७९,५७२	सिंचाई विभाग
नौगढ़	..	चकिया नाला से प्रारम्भ होकर नौगढ़ बांध तक ५ मील सड़क का पक्का किया जाना	१,५०,०००	२९,१६५	सिंचाई विभाग
		कुल योग ..	१,४२,६३,८४५	२८,६५,६३६	

बाबापुर	..	१	कमालपुर	..	..	२५,०००	३६५५-५५	जिला परिषद्
		२	बंसगवां	..	..	२०,०००	२२४१-१६	,,
		३	रेवती	..	..	१५,०००	६-००	,,
		४	अवाजापुर	..	..	९,०००	७६१-६०	,,
लकवहीहा	..	५	बरथराकलां	..	..	१५,५१५	—	,,
		६	घोरहरा	..	..	२५,०००	४६०२-२४	,,
बहनिवां	..	७	पट्टी	..	..	२४,०००	८११७-८१	,,
		८	बाबसाही (अजगराज)	..	..	५०,०००	—	,,
बन्धौली	..	९	जसुरी	..	..	१०,००७	३२४५-२७	,,
		१०	जगदीश सरांव	..	..	१०,०००	३५७८-०५	,,
		११	जरखोर	..	..	१०,०००	६५८३-४०	,,
		१२	जगदीशपुर	..	..	५,०००	—	,,
		१३	कटशिला	..	..	५,०००	१७६०-५०	,,
नियमताबाद	.	१४	मुगलचक	..	..	१५,०२५	११२४३-५४	,,
		१५	(नाचिरागो)		..	८,०००	३२४३-७२	,,
		१६	मरछा	..	..	१३,०००	७९५-९१	,,
		१७	रहसी (रेमां)	..	..	१७,०००	—	,,
		१८	बोरो	..	..	१०,०००	—	,,
		१९	नियमताबाद स्कूल	..	..	६,०००	—	जिला परिषद्
		२०	पचरा	..	..	८,०००	—	,,
		२१	सिकन्दरपुर	..	..	६,०००	—	,,
		२२	रंगौली	..	..	७,०००	—	,,
जाहवगंज	..	२३	हरौरा	..	..	१०,०००	८७-२-५७	,,
		२४	कुशहा	..	..	२०,०००	—	,,
नौगढ़	..	२५	उरा	..	..	१०,०००	—	,,
		२६	केसार	..	..	५,०००	—	,,
		२७	जेमोहर्न	..	..	१२,०००	२३६०-४४	,,
		२८	डुमरिया	..	..	२१,०००	६४२५-७३	,,

नाम विकास खण्ड	क्रम-संख्या	नाम तालाब	स्वीकृति धनराशि	३१ मई, १९६७ तक का व्यय		कार्य कराने वाले विभाग का नाम
१	२	३	४	५	५	६
				रु०	पै०	
	२९	पिपराही	.. ..	१०,०००	—	जिला परिषद् ,,
चोखापुर ..	३०	चोबेपुर	.. ..	५,०००	—	,,
	३१	मुर्वहा	.. ..	५,०००	१९३०—७३	,,
	३२	पहाड़पुर	.. ..	५,०००	१९६६—४४	,,
	३३	सेवारी	.. ..	६,०००	३५११—४२	,,
	३४	मोहनीपुर	.. ..	५,०००	११४९—६०	,,
पिण्डरा ..	३५	गंगापुर	.. ..	३९,५०४	१४९७७—८२	,,
	३६	नेवादा	.. ..	३७,७३८	४२६०—११	,,
	३७	बेलारी	.. ..	४०,०००	६४२—०३	,,
	३८	देवराई	.. ..	२५,०००	—	
	३९	पिण्ड्रा	.. ..	१५,०००	९०७—७९	,,
सेवापुरी ..	४०	कालिहाबारा	.. ..	४६,०००	—	,,
	४१	करधना	.. ..	१५,०००	—	,,
	४२	ठठरा	.. ..	१०,०००	—	,,
	४३	मनियारीपुर	.. ..	१०,०००	—	,,
	४४	घोसिल	.. ..	१०,०००	—	,,
	४५	मटका	.. ..	११,०००	—	,,
	४६	कमसेठी	.. ..	११,०००	—	,,
औराई ..	४७	समधाताल	.. ..	३०,०००	८४—००	,,
	४८	माधोसिंह	.. ..	२०,०००	७४—००	,,

		४९	बमहापुर	..	..	१०,०००	३,४५२–०४	जिला परिषद्
		५०	पिल्खुनी	..	..	१५,०००	८०३–८८	,,
		५१	हरिनारायणपुर	..	..	१२,०००	४४–००	,,
		५२	पटखौली	..	..	१२,०००	३०–००	,,
बालपुर	..	५३	सेमई राजपुतानी	..	..	१२,०००	–	,,
		५४	मिल्की	..	..	१८,०००	–	,,
		५५	सरांयमिश्रानी	..	..	२६,०००	–	,,
		५६	कांवल	..	..	१८,०००	–	,,
		५७	कंसापुर	..	..	१८,०००	–	,,
		५८	जोराई	..	..	१०,०००	–	,,
सुरियावां	..	५९	बावनबीघा	..	..	५०,०००	–	,,
		६०	भंडा	..	..	२०,०००	–	,,
		६१	पेरीबोझ	..	..	१५,०००	–	,,
		६२	मसुधा	..	..	१५,०००	–	,,
			कुल योग	..	..	९,९८,७८९	९३,१५८.०५	

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर]

प्लाटों के अलाटमेंट के दरों की सूची

(क) नगर महापालिका अधिनियम की धारा १२९ (५) में संशोधन के पूर्व यानी सितम्बर १९६४ के पहले निम्नांकित दर से १,७२० प्लाट अलाट किये गये थे:—

(१) ४० फिट से कम चौड़ी सड़कों पर स्थित प्लाट ६ रुपये प्रति वर्ग गज।

(२) ६० फिट सड़क पर स्थित प्लाट .. .. ९ रुपये प्रति वर्ग गज।

(कोने तथा पार्कों के सामने स्थित प्लाटों की दर १ रु० प्रति वर्ग गज अधिक।

(ख) सितम्बर, १९६४ से यानी संशोधन के उपरान्त निम्नांकित दर पर ३१३ प्लाट एलाट किये गये :—

(१) ६० फिट से कम चौड़ी सड़क पर .. २० रु० प्रति वर्ग गज।

(२) ६० फिट या उस से अधिक तथा १०० फिट से कम चौड़ी सड़क पर। २२ रु० प्रति वर्ग गज।

(३) १०० फिट या उस से अधिक चौड़ी सड़क पर २५ रु० प्रति वर्ग गज।

(४) ८०० वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्र के प्लाट २० रु० प्रति वर्ग गज।

(कोने तथा पार्कों के सामने स्थित प्लाटों की दर १ रु० प्रति वर्ग गज अधिक।

(ग) १-४-१९६७ के उपरान्त ४३ प्लाट ४० रु० प्रति वर्ग गज तथा कोने व पार्कों के सामने स्थित प्लाट ४१ रु० प्रति वर्ग गज की दर से अलाट किये गये।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०–११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

रासायनिक खादों के पुराने तथा नये फुटकर दामों की सूची

खाद का नाम		पुराने मूल्य प्रति टन	नये मूल्य प्रति टन
		रु० पै०	रु० पै०
१—अमोनियम सल्फेट—			
५० किलोग्राम की पैकिंग	..	४१६.००	५०३.००
१०० किलोग्राम की पैकिंग	..	४०५.००	४९२.००
२—कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट— (२०.५ प्रतिशत नाइट्रोजन)	..	३८५.००	४३७.००
३—कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट— [२६ प्रतिशत नाइट्रोजन, (आयातित) Imported]	..	४८५.००	५३५.००
४—अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	..	५१५.००	५७७.००
५—यूरिया ..	..	६८०.००	८४०.००
६—एम० ओ० फास ..	..	६६०.००	८१८.००
७—डाई अमोनियम फास्फेट (आयातित) (mported)] ।	..	८३०.००	१०,९५.००

स्पष्टीकरण:—ऊपर लिखे फटकर मूल्यों के साथ बिक्री-कर तथा स्थानीय कर, जहां कहीं भी देय हों, अलग से लिये जायेंगे ।

टिप्पणी : जब उर्वरक ५ किलोग्राम या इससे कम मात्रा में बेचे जायेंगे तो एक पैसा प्रति किलोग्राम की दर से अतिरिक्त मूल्य देना होगा ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर।)

१ अप्रैल, १९६७ से २० जून, १९६७ तक बुलन्दशहर जिले में राशन की कोई नई दूकान एलाट नही की गई, परन्तु जिले की खाद्य सलाहकार समिति के निर्णय पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दिये गये स्थानों पर पहले से चली आ रही चीनी की दूकानों पर गल्ले का राशन वितरण करने का प्रबन्ध किया गया :

क्रम-सं०	नाम दूकानदार	स्थान
१	श्री महेश चन्द्र गोयल	बनकौर
२	श्री शिव चरन दास	दादरी
३	श्री इफतित उद्दीन	गुलावठी
४	श्री सीताराम	,,
५	श्री विजय पाल सिंह	स्याना
६	श्री मदन लाल टीका राम	औरंगाबाद
७	श्री प्रेम चन्द नानक चन्द	,,
८	श्री इस्लाम अहमद	,,
९	श्री चन्द्र प्रकाश	जहांगीराबाद
१०	श्री सतीश चन्द्र कौशिक	,,
११	श्री राधे श्याम	शिकारपुर
१२	श्री सरनीलम जगदीश प्रसाद	ककोड़
१३	श्री विजय कुमार छोटे लाल	खुरजा
१४	श्री जोगी राम बहोरी लाल	,,
१५	श्री किशन	डिबाई
१६	श्रीमती सौभाग्यवती	खुरजा

नत्थी 'च'

अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत प्रस्तुत अन्य कटौती के प्रस्ताव

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—(१) प्रशासन को प्रभावकारी बनाने तथा नीतियों का प्रभावी ढंग से लागू करने के हेतु कदम उठाना । (२) प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना हेतु नीतियों में परिवर्तन करना । (३) बोझीला शासन तथा अनावश्यक खर्च में कमी कर शासन यन्त्र को शुद्ध तथा जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाना । (४) स०वि०द० के १९ सूत्रीय कार्य-क्रम को लागू कराने हेतु मांग करना । (५) कमिश्नरों के पदों को समाप्त करना । (६) सरकारी कर्मचारियों को वेतन और महंगाई संबंधी मांगों को स्वीकार कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग करना । (७) प्रस्तावित छंटनी और विविटमाइजेशन की नीति का विरोध करना ।
२	श्री इन्द्रमणी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन व्यवस्था में स्थिति और आवश्यकतानुसार आमूल परिवर्तन करने हेतु मांग करना, प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों को वार्डर जिला घोषित करना । भू० पू० टेहरी स्टेट के कर्मचारियों जैसे अध्यापकों आदि की नौकरी की शर्तों तथा वेतन-क्रमों को विलयन की शर्तों के मुताबिक समानान्तर राज्य कर्मचारियों के बराबर लाना ।
३	श्री नवलकिशोर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन यन्त्र का राजनैतिक दलों के स्वार्थ में प्रयोग की आलोचना ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
४	श्री श्रीराम तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।
५	श्री गोविन्द सहाय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सामान्य प्रशासन की प्रचलित विधि में हेर फेर करना तथा उसके स्थान पर कोई नई विधि न चालू करने का विरोध करना ।
६	श्री प्रभुदयाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—शासन में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार पर मुख्य मंत्री का ध्यान खींचना ।
७	श्री कालीचरण अग्रवाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया करदी जाय । कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं दलबन्दी पर चर्चा तथा सुझाव देना । मण्डलों के आयुक्तों को खत्म करने पर चर्चा तहसील के मुख्य स्थानों पर परगनाधीशों, न्याय अधिकारियों इत्यादि के नियुक्त करने पर चर्चा ।
८	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सामान्य चर्चा तथा आलोचना ।
९	श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—चर्चा एवं आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
१०	श्री चन्द्र सिंह रावत	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करनेका उद्देश्य—यह चर्चा करना कि फिजूल खर्ची हटायी जाय, जनरल प्रशासन में शिथिलता पर सुझाव देना, और उसके कर्त्तव्यों की सीमा निर्धारित करने का सुझाव देना ।
११	श्री मुक्तिनाथ राय	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने कम उद्देश्य—निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना । (१) लेवी के वसूली में तबस्त परगनाधीशों, तहसीलदारों तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारियों को लगा देना जिससे जिलों का समस्त प्रशासकीय कार्य पंगु बना दिया गया ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		(२) सरकारी कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन वापस लेने पर भी उनके नेताओं को जेल से रिहा नहीं किया गया। (३) महिला मंगल योजना को समाप्त करके वर्षों से कार्य करने वाली महिला कार्यकर्त्रियों के बेकार करने एवं शांतिपूर्ण ढंग से अनशन करने वाली महिलाओं को जेल में बन्द करना। (४) ग्रामों में पंचायत राज की बुनियाद को सुदृढ करने वाले पंचायत मंत्री वर्ग की घोर उपेक्षा, उन्हें राज्य कर्मचारी नहीं माना गया। यह निम्नतम वेतन भोगी कर्मचारी हैं, इनके वेतन-भत्ते में एक पैसे की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई। (५) प्रशासन में भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के हस्तक्षेप करने की बढ़ती हुई मनोवृत्ति से प्रशासन के स्वच्छ रहने के दिशा में जनता में शंका का उत्पन्न होना। (६) भूमि-अधिग्रहण के पुराने नियम को बदल कर भूमि की वर्तमान दर जो प्रचलित हो, दी जाय।
१२	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—भ्रष्टाचार निवारण हेतु सुझाव देना तथा विभागीय नीति की आलोचना करना।
१३	श्री श्रीनाथ	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सुझाव देना।
१४	श्री मदन मोहन मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने कय उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना एवं सुझाव।
१५	श्री राम स्वरूप यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सामान्य प्रशासन की संपूर्ण नीति की आलोचना तथा सुझाव।
१६	श्री जगन्नाथ किशोर तिवारी	मद क—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्य के प्रमुख संघ के राज्य क्षेत्र मन्त्रि-मंडल और मन्त्रिगण के उप मद (झ) मन्त्रिगण १—अधिकारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि में १ लाख रुपये की कमी की जाये। कमी करने का उद्देश्य—मन्त्रियों के वेतन को संयुक्त विधायक दल के कार्य-क्रम के अनुसार ५०० रुपये प्रतिमास के भीतर निश्चित करके मितव्ययिता करने का सुझाव देना।
१७	श्री रामायण राय	सम्पूर्ण मांग के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य—केन्द्रीय सरकार के वेतन-क्रम के समान राज्य कर्मचारियों के वेतन को न कर सकने की आलोचना ।
१८	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—वर्तमान जिलाधीश, शाहजहांपुर जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप हैं, जिसे मुख्य मन्त्री को २० जून, १९६७ को दिया गया, अब तक जांच न करने, मुअत्तल न करने आदि पर चर्चा उठाना । हाटा तहसील, जिला देवरिया के सामान्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा ।
१९	श्री दल बहादुर सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२०	श्री गुप्तार सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—रचनात्मक आलोचना व उचित सुझाव ।
२१	श्री कृष्ण सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—पर्वतीय विकास बोर्ड की रूप-रेखा को बदलने की सरकार की नीति की आलोचना ।
२२	श्री मुक्तिनाथ राम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—ग्राम प्रतापपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के किसानों की अत्यन्त उपजाऊ भूमि लगभग दो वर्ष पूर्व पावर सब स्टेशन बनाने के लिये ली गई । बाजार के पास की भूमि का मूल्य इस समय कम से कम एक हजार रुपया प्रति बिस्वा है । अभी तक किसानों को उनकी भूमि का उचित प्रतिकर नहीं दिया गया । मामला बहुत दिनों से राजस्व परिषद् के यहां विचाराधीन पड़ा है । किसानों को अति शीघ्र वर्तमान बाजार दर से प्रतिकर देने के निमित्त सरकार का ध्यान दिलाना ।

अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत प्रस्तुत अन्य कटौती के प्रस्ताव

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री राम तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
२	श्री लाल बहादुर सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
३	श्री मोहन लाल गौतम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकार की मौजूदा प्रशासन संबंधी नीति तथा कार्य प्रणाली की आलोचना।
४	श्री प्रभुदयाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—नौगढ़ तहसील के भ्रष्टाचार पर शासन का ध्यान दिलाना।
५	श्री दल बहादुर सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने के उद्देश्य—आलोचना करना और सुझाव देना।
६	श्री चतुर्भुज शर्मा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी जाय। कमी करने का उद्देश्य—आलोचना एवं सुझाव।
७	श्री मुक्तिनाथ राय	मद क—आयुक्त (कमिश्नर) के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—आयुक्त (कमिश्नर) के पद को समाप्त कर दिये जायं, का सुझाव देना।
८	श्री माता प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के संरक्षण के विभिन्न शासनादेशों की जिलाधिकारियों द्वारा उपेक्षा, तथा संरक्षण को पूरा कराने के लिये सरकार के कड़े आदेश देने तथा जिलों की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में नियुक्ति के समय जिले की चुनाव समितियों में अनुसूचित जाति का भी एक प्रतिनिधि रखने की ओर ध्यान आकृष्ट करना।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६७ एल० ए०—१९६७—८४६।